नगर निगम सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1-376/81 फिन (एल0ए0) खण्ड-IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं का अंकेक्षण दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर निगम/परिषद सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021 तक के लेखाओ का अंकेक्षण कार्य निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर निगम में निम्न प्रधान / मेयर व कमिश्नर / कार्यकारी अधिकारी कार्यरत्त रहेः-

(i) प्रधान

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री देवेंदर ठाकुर	01/04/2019 से 31/03/2020
2	श्री देवेंदर ठाकुर	01/04/2020 से 28/10/2020
3	हि०प्र० सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या UD-A(I)-8/2015-I दिनांक 28/10/2020 द्वारा नगर परिषद, सोलन को नगर निगम, सोलन का दर्जा दिया गया तथा नगर निगम/परिषद को भंग किया गया तथा दिनांक 07/04/2021 को नगर निगम पार्षदों का चुनाव किया गया		

(ii) अंकेक्षण के दौरान कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त एवं आहरण / वितरण अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	आहरण / वितरण अधिकारी	पद	अवधि	कार्यकारी अधिकारी एवं आयुक्त का नाम नाम	पद	अवधि
1	श्री गुरमीत जी नेगी	कार्यकारी अधिकारी	28/02/2019 से 18/07/2019	श्री गुरमीत जी नेगी	कार्यकारी अधिकारी	28/02/2019 से 18/07/2019
2	श्री ललित कुमार	कार्यकारी अधिकारी	19/07/2019 से 04/11/2020	श्री ललित कुमार	कार्यकारी अधिकारी	19/07/2019 से 04/11/2020
3	श्री प्रशांत सरकेक (HPAS)	आयुक्त	05/11/2020 से 30/12/2020	श्री प्रशांत सरकेक (HPAS)	आयुक्त	05/11/2020 से 04/03/2021
4	श्री गोपी सिंह	सहायक अभियंता	31/12/2020 से 31/03/2021	श्री एल.आर. वर्मा (HPAS)	आयुक्त	05/03/2021 से 31/03/2021

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर निगम सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.2019 से 31.3.2021 तक के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः-

क्रम संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाख में
1.	आय के चैक अस्वीकार होने देय राशि की वसूली न होने के कारण नगर निगम को हानि	4(घ)(ii)	16.39
2.	रोकड़ बही व बैंक शेष में अंतर का मिलान न करना	4(v)	0.14
3.	स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय से अधिक व्यय करने	4(viii)	193.10

	का स्त्रोत स्पष्ट न करना		
4.	सावधि जमा में निवेशित राशियों पर कम ब्याज की प्राप्ति के कारण वित्तीय हानि	5(ii)	5.30
5.	दिनांक 31/03/2021 को अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष होना	6(ख)	1296.51
6.	जल प्रभार की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7 (i)	133.84
7.	मालवहन (conservancy tax) की बकाया वसूली हेतु शेष	8 (i)	335.05
8.	स्टालों/दुकानों के किराए कि बकाया राशि	9 (i)	171.25
9.	मोबाईल टावर की स्थापना/नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	12 (i)	56.90
10.	पार्किंग शुल्क वसूली हेतु शेष	13(i)	17.07
11.	नगर निगम द्वारा गृहकर अधिरोपित न करने के फलस्वरूप वित्तीय हानि	16	1763.00
12.	हि०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1994 में दिये गए प्रावधानों के विपरीत स्थापना पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करना	23 (vii)	713.47
13.	नगर निगम निधि से ग्रेच्युटी का अनियमित भुगतान	23 (viii)	50.09
14.	नगर निगम निधि से पेंशन का अनियमित भुगतान	23 (ix)	1070.00
15.	प्रधान मन्त्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के खातों में निर्धारित सीमा से अधिक तथा अपात्र व्यक्तियों के खातों में राशि हस्तांतरित कर दुर्विनियोजन करना	29 (i)	32.00

16.	सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य विभाग को पानी के आपूर्ति के संदर्भ में दिनांक 31/03/2021 को बकाया राशि	32(i)	7633.40
17.	सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण नगर निगम पर अधिभार का अतिरिक्त दायित्व होना	32(ii)	196.47
18.	नगर निगम को जल आपूर्ति के एवज में वित्तीय हानि	32 (vi)	1376.37
19.	अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष	36 (i)	396.68
20.	निर्माण कार्यों में अधिक भुगतान	40	0.27

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट (क)** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर निगम द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः निगम इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर निगम के लेखाओं अवधि 1.4.2019 से 31.3.2021 तक का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री पुनीश सागर (सहायक नियन्त्रक) एवं श्री अजय कुमार (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा अवधि 01.06.2021 से 16.10.2021 तक नगर निगम के सोलन स्थित कार्यालय में किया गया। विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 3/20 व 03/21 तथा व्यय के

लिए माह 09/19 तथा 03/21 के लेखाओं का चयन किया गया,जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर निगम सोलन के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के गलत व अपूर्ण होने अथवा उपलब्ध न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा |

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

नगर निगम के लेखाओं का अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹121700/- आँका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा करने हेतु आयुक्त, नगर निगम से अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 49, दिनांक 16.10.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4 **वित्तीय स्थिति**

(क) नगर निगम सोलन के लेखाओं अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021 तक की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष	आय का स्त्रोत	प्रारम्भिक शेष	आय(₹)	ब्याज	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2019-20	स्व: स्त्रोत	(-)45731579.16	112627682.00	1417847.30	68313950.14	99724279.00	(-)31410328.86
	अनुदान	70577769.00	105926302.00	-------------	176504071.00	110732962	65771109.00
	कुल योग	24846189.84	218553984.00	1417847.30	244818021.10	210457241.00	34360780.14
2020-21	स्व: स्त्रोत	(-)31410328.86	112876324.90	3074001.25	84539997.25	99357691.00	(-)14817693.75
	अनुदान	65771109.00	192717212.00	-------	258488321.00	128837507.00	129650814.00
	कुल योग	34360780.14	305593536.90	3074001.25	343028318.30	228195198.00	114833120.20
दिनांक 31/03/2021 को रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार अंतिम शेष = 114833120.20							

दिनांक **31/03/2021** को बैंक पास बुकों एवं सावधि जमा के अनुसार अंतिम शेष = **125200722.78**
रोकड़ बही तथा बैंक खातो व सावधि जमा के अंतशेष में अंतर = **10367602.58.00**

(ख) निगम द्वारा दिनांक 31/03/2021 तक बैंक खातों व सावधि योजना में निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	दिनांक 31/03/21 को शेष	खाते का प्रकार
1.	Axis Bank	666010100011228	12092163.20	Saving
2.	Axis Bank(Parking grant)	919010038234893	7320089.00	Saving
3.	Bank of Baroda	30030100002031	1308.00	Saving
4.	Canara Bank	1189214000001	2234079.72	Current
5.	IDBI SOLAN	733104000000019	9634427.10	Saving
6.	IDBI SOLAN	733104000009942	2204946.99	Saving
7.	Indian overseas Bank.	128001000017000	15260.26	Saving
8.	Bhartiya mahila Bank/SBI	101600098976/65292540540	561605.00	Saving
9.	SBI/SBOP Solan	55080128257	67332.91	Saving
10.	Jogindra Central Co-op.	101834029000375	1113347.00	Saving
11.	SBOP Solan	55080161476	9958.93	Saving
12.	HUDCO UCO	06490100011247	282333.78	Saving
13.	HUDCO UCO	06490100011246	62003.56	Saving
14.	HUDCO UCO	06490100011245	50995.53	Saving
15.	HDFC Bank	50200024425448	848647.25	Saving
16.	HDFC Bank	10410100003100	282571.25	Saving
17.	Dena Bank/BOB(30030100008068)	30030100008068	64738.02	Saving

18.	IDBI SOLAN	733104000016311	1477654.00	Saving
19.	IndusInd Bank	100047056472	444875.00	Saving
20.	IndusInd Bank	100079496389	1636743.12	Saving
21.	Himachal Gramin Bank	89241100000059	3353000.20	Saving
22.	Syndicate Bank	89902200020740	295862.85	Saving
23.	RBL Bank	309008140344	250969.00	Saving
24.	Yes Bank	SBM(0767)	286389.00	Saving
25.	Bank of Maharashtra	60348853388	3530411.20	Saving
26.	ICICI BANK	050401001227'	73540350.00	Saving
27.	SBI / SBOP Solan	55080123350	2179289.41	Current
28.	Parwanoo urban co-op. Bank	10410100003100	152706.00	Current
29.	The Baghat Urban Co-op, Bank	10700221555	260566.50	Current
30.	The Baghat Urban Co-op, Bank	10700226632	47372.00	Current
31.	FDR UCO Bank	064903100100134	47939.00	FDR
32.	FDR SBI	65255267325	212588.00	FDR
33.	Cash in hand	--------	638200.00	
	कुल योग		**₹125200722.78**	

(ग) बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31/03/2021 को बैंक समाधान विवरणी	**राशि (₹)**
दिनांक 31.03.2021 को बैंक खातों के अनुसार अन्तिम शेष	**12,52,00,722.78**
जमाः-	
1. वह राशि जिस का निजी दुर्घटना बीमा के रूप में नगर निगम/परिषद कार्यालय द्वारा भुगतान तो किया गया है किन्तु सम्बन्धित कर्मचारियों से इस राशि की कटौती नहीं की गई व अधिक वेतन अदायगी		4805.00
2 पैन्शन की वह राशि जिसे बैंक ने दिनांक 31.03.2009 को डेबिट तो कर दिया है किन्तु यह राशि रोकड़ वही में प्रविष्टि नहीं हो रही जैसा की गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित है	175243.00
3. ₹190.00 की आय का चैक (संख्या 373751 दिनांक 20.10.2012) का	80.00

बैंक द्वारा ₹110.00 का ही क्रेडिट दिया गया।					
4. ₹285.00 की आय का चैक (संख्या 252137 दिनांक 15.05.2012) का बैंक द्वारा ₹280.00 का ही क्रेडिट दिया गया |					5.00
5. ₹3250.00 का चैक (संख्या 044899 दिनांक 07.09.2011) जारी किया गया परन्तु बैंक द्वारा ₹3530.00 का भुगतान कर दिया गया |					280.00
6. टी.सी..एस राशि जो कि निगम निधि से अदा की गई (नोटः- इस राशि को नगर निगम/परिषद द्वारा ना तो लेखा बहियो में आय में शामिल किया गया था और न ही व्यय में)					**2,20,888.00**
7. आय के चैक जिनका क्रेडिट बैंक द्वारा 31.03.2021 के बाद दिया					8,04,118.**50**
चैक संख्या	**दिनांक**	**राशि**	**बैंक क्रेडिट की तिथि**	**बैंक का नाम**	
199	30-03-2021	10560	02-04-2021	IDBI -9942	
278660	26-03-3021	110	02-04-2021	IDBI -9942	
28624	27-03-2021	704	02-04-2021	IDBI -9942	
698711	30-03-2021	12075	02-04-2021	IDBI -0019	
33595	30-03-2021	11250	02-04-2021	IDBI -0019	
5056	30-03-2021	31135	02-04-2021	IDBI -0019	
86287	30-03-2021	13791	02-04-2021	IDBI -0019	
13692	27-03-2021	14385	02-04-2021	IDBI -0019	
29	30-03-2021	1953	02-04-2021	IDBI -0019	
303629	30-03-2021	19330	02-04-2021	IDBI -0019	
5372	30-03-2021	29960	02-04-2021	IDBI -0019	
75702	30-03-2021	30000	02-04-2021	IDBI -0019	
161053	30-03-2021	6285	02-04-2021	IDBI -0019	
7007	21-01-2021	622580.50	23-04-2021	Canara Bank-0001	
	योग	**₹804118.50**			
8. आय के चैक जो बाउंस होने पर बैंक द्वारा लौटा दिए गए					**33,83,886.00**

चैक संख्या	दिनांक	राशि	बैंक का नाम	
327110	06.10.2011	63730	IDBI -0019	
66310	17-01-2012	234000	IDBI -0019	
66593	03-10-2013	162000	IDBI -0019	
66594	03-12-2012	125000	IDBI -0019	
66595	15-3-2012	125000	IDBI -0019	
66596	15-3-2012	125000	IDBI -0019	
252137	14-8-2012	4800	IDBI -0019	
936748	08-12-2012	8580	IDBI -0019	
692117	31-12-2012	1983	IDBI -0019	
392978	20-09-2016	1100	IDBI -0019	नोट –आय लेखों में दो बार लेखांकित
875128	20-09-2016	50000	IDBI -0019	यथोपरि
908643	28-11-2016	2552	IDBI -0019	
188416	03.12.2016	6704	IDBI -0019	
197859	04.01.2017	97	IDBI -0019	
785521	18-01-2017	225	IDBI -0019	
888540	13-02-2017	15450	IDBI -0019	
471994	14-02-2017	2915	IDBI -0019	
60171	04-03-2017	50000	IDBI -0019	
753257	26-04-2017	10000	IDBI -0019	
2503	27-04-2017	1500	IDBI -0019	
173908	24-05-2017	10000	IDBI -0019	
275169	28-06-2017	20700	IDBI -0019	
689564	15-01-2018	15000	IDBI -0019	
23979	20-01-2018	9020	IDBI -0019	
33	23-01-2018	22690	IDBI -0019	
1265	25-04-2018	20000	IDBI -0019	
228944	06-06-2018	118000	IDBI -0019	

1324	03.07.2018	2900	IDBI -0019	
54385	25-07-2018	15115	IDBI -0019	
717610	30-08-2018	3590	IDBI -0019	
52433	15-09-2018	500	IDBI -0019	
52436	15-09-2018	500	IDBI -0019	
937621	10-08-2018	93800	IDBI -0019	
010395	15-11-2018	1882	IDBI -0019	नोट –आय लेखों में दो बार लेखांकित
65411	22-11-2018	500	IDBI -0019	
880598	13-03-2019	1831	IDBI -0019	
43623	26-03-2019	500	IDBI -0019	
41620	10.04.2019	1374	IDBI -0019	
41619	10.04.2019	11484	IDBI -0019	
66006	11.04.2019	500	IDBI -0019	
65454	11.04.2019	500	IDBI -0019	
2017	02.05.2019	500	IDBI -0019	
129971	13.06.2019	4915	IDBI -0019	
18166	19.07.2019	2200	IDBI -0019	
000001'	23.07.2019	12675	IDBI -0019	
47606	30.07.2019	3427	IDBI -0019	
69153	13.08.2019	29700	IDBI -0019	
614216	10.10.2019	7025	IDBI -0019	
(RH)40822	18.10.2019	12400	IDBI -0019	
10122	22.10.2019	1000	IDBI -0019	
454668	08.01.2020	1500	IDBI -0019	
093494'	11.02.2020	30000	IDBI -0019	
654731	24.02.2020	7921	IDBI -0019	
98877	27.02.2020	10025	IDBI -0019	
000043'	29.02.2020	3370	IDBI -0019	

774641	13.03.2020	7000	IDBI -0019	
984753	13.03.2020	6370	IDBI -0019	
151696	17.03.2020	5345	IDBI -0019	
020361-624308	17.03.2020	10000	IDBI -0019	
12214	17.03.2020	20000	IDBI -0019	
269916	21.03.2020	42318	IDBI -0019	
274280	20.05.2020	5000	IDBI -0019	
NEFT	27.05.2020	32000	IDBI -0019	नोट –आय लेखों में दो बार लेखांकित
NEFT	27.05.2020	24435	IDBI -0019	यथोपरि
466463	28.05.2020	955	IDBI -0019	
624303	12.06.2020	225	IDBI -0019	
135011	10.07.2020	34059	IDBI -0019	
22802	28.07.2020	4568	IDBI -0019	
19809	14.08.2020	4335	IDBI -0019	
877844	01.09.2020	45000	IDBI -0019	
635885	21.09.2020	8490	IDBI -0019	
775853	29.09.2020	150	IDBI -0019	
729804	21.10.2020	1584	IDBI -0019	
945673	20.10.2020	1100	IDBI -0019	
3006	19.10.2020	4200	IDBI -0019	
1709	26.11.2020	630	IDBI -0019	
000002'	19.12.2020	450	IDBI -0019	
182920	29.12.2020	3000	IDBI -0019	
47964	15.01.2021	1650	IDBI -0019	
362525	18.01.2021	5215	IDBI -0019	
286150	21.01.2021	2030	IDBI -0019	
689741	30.01.2021	54450	IDBI -0019	

NEFT	22.05.2021	150	IDBI -0019	नोट –आय लेखों में दो बार लेखांकित
NEFT	24.02.2021	750	IDBI -0019	यथोपरि
120277	06.03.2021	3265	IDBI -0019	
278658	09.03.2021	150	IDBI -0019	
265500	16-2-2012	280	IDBI -9942	
954618	25-4-2013	1408	IDBI -9942	
45211	26-02-2013	1500	IDBI -9942	
549974	09-07-2017	1000	IDBI -9942	
647924	26-09-2017	888	IDBI -9942	
647923	26-09-2017	1586	IDBI -9942	
2011	26-04-2018	11038	IDBI -9942	
421320	06-11-2018	4703	IDBI -9942	
637364	19-06-2018	708	IDBI -9942	
41880	23-07-2018	100000	IDBI -9942	
729776	23-07-2018	1000	IDBI -9942	
957490	23-07-2018	10251	IDBI -9942	
114125	23-07-2018	3381	IDBI -9942	
134092	26-09-2018	581	IDBI -9942	
36935	10-11-2018	292	IDBI -9942	
25721	20-11-2018	12008	IDBI -9942	
15267	27-11-2018	654	IDBI -9942	
89332	29-01-2019	10000	IDBI -9942	
33220	24.04.2019	150000	IDBI -9942	
706876	29.04.2019	7926	IDBI -9942	
5819	15.06.2019	34090	IDBI -9942	
34516	05.08.2019	15000	IDBI -9942	
34515	09.08.2019	25000	IDBI -9942	
34517	20.08.2019	15192	IDBI -9942	

658532	10.02.2020	25338	IDBI -9942	
373509	19.02.2020	16872	IDBI -9942	
NEFT	20.02.2020	4720	IDBI -9942	नोट –आय लेखों में दो बार लेखांकित
37036	27.02.2020	339	IDBI -9942	
322499	01.06.2020	200	IDBI -9942	
46443	12.06.2020	1092	IDBI -9942	
782371	16.06.2020	45000	IDBI -9942	
729795	23.06.2020	500	IDBI -9942	
60776	20.07.2020	440	IDBI -9942	
674031	13.08.2020	12091	IDBI -9942	
156633	13.08.2020	300	IDBI -9942	
323856	27.08.2020	2640	IDBI -9942	
959	16.10.2020	836	IDBI -9942	
409464	16.10.2020	2398	IDBI -9942	
172	22.10.2020	3630	IDBI -9942	
779452	27.10.2020	3300	IDBI -9942	
601	26.10.2020	12695	IDBI -9942	
485287	26.10.2020	4760	IDBI -9942	
977416	20.11.2020	2592	IDBI -9942	
44326	23.11.2020	2332	IDBI -9942	
61296	06.03.2021	3321	IDBI -9942	
50684	24.03.2021	9580	IDBI -9942	
320411	22-07-2014	62194	Canara Bank-0001	
175373	10-08--2014	153000	Canara Bank-0001	
379386	25-11-2014	2315	Canara Bank-0001	

203946	18-10-2014	20000	Canara Bank-0001	
747536	02-02-2015	1500	Canara Bank-0001	
678691	30-01-2015	10000	Canara Bank-0001	
5692	27-03-2015	134250	Canara Bank-0001	
98589	05-12-2015	1163	Canara Bank-0001	
871679	09-09-2015	36280	Canara Bank-0001	
669403	27-11-2015	20000	Canara Bank-0001	
391842	21-12-2015	2700	Canara Bank-0001	
756031	29-09-2015	500	Canara Bank-0001	
851276	01-12-2016	4270	Canara Bank-0001	
851277	01-12-2016	2790	Canara Bank-0001	
743211	19-01-2016	1548	Canara Bank-0001	
198278	16-04-2016	11500	Canara Bank-0001	
165772	05-10-2016	17739	Canara Bank-0001	
931010	06-10-2016	1779	Canara Bank-0001	
95494	08-03-2016	27689	Canara Bank-	

			0001	
108460	14-09-2016	8000	Canara Bank-0001	
108	18-11-2016	4000	Canara Bank-0001	
130	23-11-2016	1100	Canara Bank-0001	
61936	19-12-2017	11500	Canara Bank-0001	
310122	05-12-2013	5000	SBI-123350	
310123	05-12-2013	5000	SBI-123350	
42557	10.07.2013	13433	SBI-123350	
13267	15-10-2013	5000	SBI-123350	
771184	23-12-2013	5000	SBI-123350	
45929	10-01-2013	8325	SBI-123350	
296218	01-03-2014	1880	SBI-123350	
173183	28-12-2013	400000	SBI-123350	
700518	01-10-2014	20000	SBI-123350	
665585	03-01-2014	20000	SBI-123350	
425871	18-03-2014	4415	SBI-123350	
	कुल योग	**₹3383886**		
			कुल योग	**12,97,90,028.28**
माईनसः-				
1. बघाट को0ओ0 बैंक खाता संख्या 631 जिसका अन्तिम शेष जो रोकड़ बही में नहीं लिया गया				**2326.50**
2. बैंक खाते में अधिक राशि गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में वर्णित				**2265.03**
3. ठेकेदारों को देय वह राशि जिसकी रोकड़ बही में बुकिंग 31.03.2021 से पूर्व की गई किन्तु दिनांक 31.12.2020 तक इस राशि का भुगतान ठेकेदारों को नहीं किया गया है।				**1,18,094.00**

4. वर्ष 2007-2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई बैंक खातों व रोकड़ बही के शेषों में भिन्नता |				**879518.73**
5.श्रीमति आशा पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार, बेलदार से सी.पी.एफ. एम्पलायर शेयर की रिकवरी = ₹23874, श्री कृष्णदत पुत्र श्री हरि दत, सेवानिवृत बेलदार से सी.पी.एफ.एम्पलायर शेयर की रिकवरी=₹122902. उपरोक्त राशि सहित ₹1316350/- (155472+546910+182758+431210) का कुल भुगतान ग्रेच्युटी एवं पेंशन की एवज में रोकड़ बही में दिनांक 26.10.2019 को दर्शाया गया था परंतु शुद्ध भुगतान उपरोक्त कर्मचारियों का एम्पलायर शेयर काट कर ₹1169574/- का किया गया था जिस कारण बैंक में इतनी राशि अधिक थी तथा जिसका समाधान दिनाक 31/03/21 तक इस राशि को पैशंन फंड खाता में हस्तांतरित कर नहीं किया गया था |				**1,46,776.00**
6. जारी किये गए चैक जिनको 31.03.2021 तक भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया				**67,12,460.00**
चैक संख्या	**दिनांक**	**राशि**	**बैंक का नाम**	
22101	13-7-2011	2844	IDBI - 0019	
9954	05.12.2012	400	IDBI - 0019	
9984	29-12-2012	171	IDBI - 0019	
32	15--07-2013	1530	IDBI - 0019	
10362	09.07.2013	2486	IDBI - 0019	
10365	09.07.2013	387	IDBI - 0019	
67895	20-09-2017	144998	IDBI - 0019	
70762	13.11.2017	370616	IDBI -	

			0019	
73858	16-12-2017	355733	IDBI - 0019	
73776	12.01.2018	160	IDBI - 0019	
73817	12.02.2018	3000	IDBI - 0019	
77810	05-05-2018	4000	IDBI - 0019	
77820	05-05-2018	7500	IDBI - 0019	
77823	05-05-2018	500	IDBI - 0019	
77831	05-07-2018	36742	IDBI - 0019	
78567	05.09.2018	743	IDBI - 0019	
83519	05.11.2018	1000	IDBI - 0019	
नोट: निजी दुर्घटना बीमा राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन में से की गई थी जिसे संबन्धित सरकारी खाते में दिनांक 31.03.2021 तक हस्तांतरित / जमा करवाने हेतु बैंक से डेबिट नहीं किया गया था।	01-01-2019	11120	IDBI - 0019	
(यथोपरि)	05.01.2019	560	IDBI - 0019	
(यथोपरि)	02-01-2019	240	IDBI - 0019	

87226	05.02.2019	92	IDBI - 0019	
नोट: निजी दुर्घटना बीमा राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन में से की गई थी जिसे संबन्धित सरकारी खाते में दिनांक 31.03.2021 तक हस्तांतरित / जमा करवाने हेतु बैंक से डेबिट नहीं किया गया था|	01.05.2019	160	IDBI - 0019	
(यथोपरि) .	01.07.2019	80	IDBI - 0019	
91714	09.07.2019	240	IDBI - 0019	
95237	16.09.2019	240	IDBI - 0019	
95219	09.09.2019	131	IDBI - 0019	
95189	04.10.2019	1000	IDBI - 0019	
888165	09.12.2019	210	IDBI - 0019	
965892	09.12.2019	7100	IDBI - 0019	
100634	21.12.2019	25	IDBI - 0019	
100727	05.02.2020	1000	IDBI - 0019	
965972	21.08.2020	5000	IDBI - 0019	
104168	26.06.2020	365	IDBI -	

			0019	
104169	26.06.2020	200	IDBI - 0019	
107362	01.10.2020	500	IDBI - 0019	
107407	26.10.2020	900	IDBI - 0019	
107465	08.12.2020	10000	IDBI - 0019	
(नोट:-रोकड़ बही/डे बुक में दर्शाये गए भुगतान हेतु चैक जारी नहीं किया गया है)	01.12.2020	1000	IDBI - 0019	
111743	17.03.2021	797	IDBI - 0019	
111708	01.03.2021	2950	IDBI - 0019 (दिनांक 3/4/21 को clear हुआ)	
111733	03.03.2021	1440	IDBI - 0019 (दिनांक 5/4/21 को clear हुआ)	
112118	31.03.2021	5000000	IDBI - 0019(दिनांक 7/4/21 को clear हुआ)	
107981	15-07-2013	22263	SBI-	

			123350	
108009	19-07-2013	1285	SBI-123350	
354760	21-06-2017	5100	SBI-123350	
354763	21-06-2017	5100	SBI-123350	
354776	22-06-2017	802	SBI-123350	
378952	01-01-2018	23258	SBI-123350	
614093	14-08-2018	1857	SBI-123350	
			SBI-123350	
(नोट:- रोकड़ पृष्ठ संख्या 48 पर वेतन का अधिक दर्शाया गया भुगतान जिसका दिनांक 31.03.2021 तक समाधान नही किया गया है।)	01-06-2020	66	Axis - 11228	
14874	23-05-2016	250	Axis - 11228	
14875	23-05-2016	250	Axis - 11228	
14881	23-05-2016	250	Axis - 11228	
14894	23-05-2016	250	Axis - 11228	
14896	23-05-2016	250	Axis - 11228	
14911	23-05-2016	250	Canara Bank-0001	

421829	18-02-16	1500	Canara Bank-0001	
Salary Ded.	02-04-2016	277	Canara Bank-0001	
(यूनियन फंड की कटौती वेतन से की गई जिसका भुगतान रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 17 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 31/03/2021 तक जिसका चैक जारी नहीं किया गया है।)	13.04.2020	120	Inusind - 96389	
(नोट:-NEFT द्वारा किया गया भुगतान जो दिनांक 31/03/21 तक बैंक खाते में डेबिट नहीं हुआ।)	04.11.2020	1800	IDBI - 9942	
75153	03-12-2018	29817	IDBI - 9942	
75185	16-05-2018	7048	IDBI - 9942	
75229	13-06-2018	500	IDBI - 9942	
87433	03-06-2019	600	IDBI - 9942	
(नोट:-डी.ए. अदायगी सी.पी.एफ. एम्पलाईज व एम्पालायर शेयर	24-10-2019	14018	IDBI - 9942	

का भुगतान रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 234 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 31.03.2021 तक जिसका चैक जारी नही किया गया है ।)				
(यथोपरि)	24-10-2019	17231	IDBI - 9942	
(यथोपरि)	24-102019	4164	IDBI - 9942	
	31-03-2021	595994	दिनांक 6/4/21 को IDBI - 9942 बैंक द्वारा clear हुआ)	
	कुल योग	**6712460**		
7 वह राशि जो ठेकेदारों के बिलों से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत काटी गई परन्तु भुगतान हेतु इस राशि का बैंक से आहरण दिनांक 31/03/2021 के पश्चात किया गया। (नोटः- इस राशि को नगर निगम/परिषद द्वारा ना तो लेखा बहियो में आय में शामिल किया गया था और न ही व्यय में)|				7081363.00

शीर्ष	**राशि**	
प्रतिभूति	4522809	
स्त्रोत पर आयकर	133957	
बिक्रीकर	26484	
सर्विस टैक्स	1744372	
जी.एस.टी.	518382	
लेबर सेस	86180	

रोयल्टी	49179	
योग	**₹7081363**	
8. आय का ₹1560.00 का चैक (संख्या 343125 दिनांक 28.01.2013) जिसका बैंक द्वारा ₹1566/- का क्रेडिट दिया गया		6.00
9 दिनांक 31.03.2021 तक बैंक खाते में अधिक राशि /भिन्नता		14098.81
नगर निगम/परिषद की लेखा बहियों / वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.03.2021 को अन्तिम शेष		**₹114833120.20**

(घ) बैंक समाधान विवरणी का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित टिप्पणियां अपेक्षित हैः-

(i) भुगतान हेतु जारी ₹10.60 लाख के कालातीत चैकों का समाधान / वसूली न करना :-

नगर निगम द्वारा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत दिनांक 31/03/2021 तक की बैंक समाधान विवरणिका के घटा (minus) भाग की क्रम संख्या 6 के अनुसार भुगतान हेतु जारी ₹6712460/- के चैक जिनका बैंक द्वारा 31.03.2021 तक भुगतान नहीं किया गया था, परन्तु इन चेकों में से निम्न थे जोकि अब कालातीत हो चुके है। अतः इन चैकों की बैंक से भुगतान की पुष्टि करने के उपरान्त रोकड़ बही में रिवर्स प्रविष्टि करके अन्तर का समाधान सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

चैक संख्या	दिनांक	राशि	बैंक का नाम
22101	13-7-2011	2844	IDBI -0019
9954	05.12.2012	400	IDBI -0019
9984	29-12-2012	171	IDBI -0019
32	15--07-2013	1530	IDBI -0019
10362	09.07.2013	2486	IDBI -0019
10365	09.07.2013	387	IDBI -0019
67895	20-09-2017	144998	IDBI -0019
70762	13.11.2017	370616	IDBI -0019
73858	16-12-2017	355733	IDBI -0019

73776	12.01.2018	160	IDBI -0019
73817	12.02.2018	3000	IDBI -0019
77810	05-05-2018	4000	IDBI -0019
77820	05-05-2018	7500	IDBI -0019
77823	05-05-2018	500	IDBI -0019
77831	05-07-2018	36742	IDBI -0019
78567	05.09.2018	743	IDBI -0019
83519	05.11.2018	1000	IDBI -0019
87226	05.02.2019	92	IDBI -0019
91714	09.07.2019	240	IDBI -0019
95237	16.09.2019	240	IDBI -0019
95219	09.09.2019	131	IDBI -0019
95189	04.10.2019	1000	IDBI -0019
888165	09.12.2019	210	IDBI -0019
965892	09.12.2019	7100	IDBI -0019
100634	21.12.2019	25	IDBI -0019
100727	05.02.2020	1000	IDBI -0019
965972	21.08.2020	5000	IDBI -0019
104168	26.06.2020	365	IDBI -0019
104169	26.06.2020	200	IDBI -0019
107362	01.10.2020	500	IDBI -0019
107407	26.10.2020	900	IDBI -0019
107465	08.12.2020	10000	IDBI -0019
107981	15-07-2013	22263	SBI-123350
108009	19-07-2013	1285	SBI-123350
354760	21-06-2017	5100	SBI-123350
354763	21-06-2017	5100	SBI-123350
354776	22-06-2017	802	SBI-123350
378952	01-01-2018	23258	SBI-123350
614093	14-08-2018	1857	SBI-123350
14874	23-05-2016	250	Axis -11228

14875	23-05-2016	250	Axis -11228
14881	23-05-2016	250	Axis -11228
14894	23-05-2016	250	Axis -11228
14896	23-05-2016	250	Axis -11228
14911	23-05-2016	250	Canara Bank-0001
421829	18-02-16	1500	Canara Bank-0001
Salary Ded.	02-04-2016	277	Canara Bank-0001
75153	03-12-2018	29817	IDBI -9942
75185	16-05-2018	7048	IDBI -9942
75229	13-06-2018	500	IDBI -9942
87433	03-06-2019	600	IDBI -9942
	कुल योग	**₹1060720/-**	

(ii) बैंक द्वारा अस्वीकार चैकों की वसूली हेतु निगम द्वारा उचित कार्रवाई न करना :-

(क) प्राप्त आय के कालातीत चैकों ₹16.39 लाख का समाधान न करना :-

नगर निगम द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार निम्न विवरणानुसार प्राप्त ₹1639003/- के चैकों को बैंक द्वारा या तो बाउंस करके नगर निगम को वापिस दिया गया था या जमा ही प्रदान नहीं किया गया था परंतु निगम द्वारा रिवर्स (reverse) प्रविष्टि करके न तो अन्तर का समाधान किया गया था और न ही इन चैकों से प्राप्त राशि को सम्बन्धित से पुनः वसूल ही किया गया था अपितु इन चैकों को पिछले कई वर्षों से बैंक समाधान विवरणिका में दर्शाया जा रहा है जोकि गम्भीर अनियमितता है | चूंकि अब वर्णित चैक कालातीत हो चुके है इसलिए इन चैकों की रोकड़ बही में रिवर्स प्रविष्टि करने के अतिरिक्त मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में पुनः मांग दर्ज करके देय राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

चैक संख्या	दिनांक	राशि	बैंक का नाम
908643	28-11-2016	2552	IDBI -0019
188416	03.12.2016	6704	IDBI -0019

197859	04.01.2017	97	IDBI -0019
785521	18-01-2017	225	IDBI -0019
888540	13-02-2017	15450	IDBI -0019
471994	14-02-2017	2915	IDBI -0019
60171	04-03-2017	50000	IDBI -0019
753257	26-04-2017	10000	IDBI -0019
2503	27-04-2017	1500	IDBI -0019
173908	24-05-2017	10000	IDBI -0019
275169	28-06-2017	20700	IDBI -0019
689564	15-01-2018	15000	IDBI -0019
23979	20-01-2018	9020	IDBI -0019
33	23-01-2018	22690	IDBI -0019
1265	25-04-2018	20000	IDBI -0019
228944	06-06-2018	118000	IDBI -0019
1324	03.07.2018	2900	IDBI -0019
54385	25-07-2018	15115	IDBI -0019
717610	30-08-2018	3590	IDBI -0019
52433	15-09-2018	500	IDBI -0019
52436	15-09-2018	500	IDBI -0019
937621	10-08-2018	93800	IDBI -0019
65411	22-11-2018	500	IDBI -0019
880598	13-03-2019	1831	IDBI -0019
43623	26-03-2019	500	IDBI -0019
41620	10.04.2019	1374	IDBI -0019
41619	10.04.2019	11484	IDBI -0019
66006	11.04.2019	500	IDBI -0019
65454	11.04.2019	500	IDBI -0019
2017	02.05.2019	500	IDBI -0019
129971	13.06.2019	4915	IDBI -0019
18166	19.07.2019	2200	IDBI -0019
000001	23.07.2019	12675	IDBI -0019

47606	30.07.2019	3427	IDBI -0019
69153	13.08.2019	29700	IDBI -0019
614216	10.10.2019	7025	IDBI -0019
(RH)40822	18.10.2019	12400	IDBI -0019
10122	22.10.2019	1000	IDBI -0019
454668	08.01.2020	1500	IDBI -0019
093494'	11.02.2020	30000	IDBI -0019
654731	24.02.2020	7921	IDBI -0019
98877	27.02.2020	10025	IDBI -0019
000043'	29.02.2020	3370	IDBI -0019
774641	13.03.2020	7000	IDBI -0019
984753	13.03.2020	6370	IDBI -0019
151696	17.03.2020	5345	IDBI -0019
020361-624308	17.03.2020	10000	IDBI -0019
12214	17.03.2020	20000	IDBI -0019
269916	21.03.2020	42318	IDBI -0019
274280	20.05.2020	5000	IDBI -0019
466463	28.05.2020	955	IDBI -0019
624303	12.06.2020	225	IDBI -0019
135011	10.07.2020	34059	IDBI -0019
22802	28.07.2020	4568	IDBI -0019
19809	14.08.2020	4335	IDBI -0019
877844	01.09.2020	45000	IDBI -0019
635885	21.09.2020	8490	IDBI -0019
775853	29.09.2020	150	IDBI -0019
729804	21.10.2020	1584	IDBI -0019
945673	20.10.2020	1100	IDBI -0019
3006	19.10.2020	4200	IDBI -0019
1709	26.11.2020	630	IDBI -0019
000002'	19.12.2020	450	IDBI -0019

182920	29.12.2020	3000	IDBI -0019
954618	25-4-2013	1408	IDBI -9942
549974	09-07-2017	1000	IDBI -9942
647924	26-09-2017	888	IDBI -9942
647923	26-09-2017	1586	IDBI -9942
2011	26-04-2018	11038	IDBI -9942
421320	06-11-2018	4703	IDBI -9942
637364	19-06-2018	708	IDBI -9942
41880	23-07-2018	100000	IDBI -9942
729776	23-07-2018	1000	IDBI -9942
957490	23-07-2018	10251	IDBI -9942
114125	23-07-2018	3381	IDBI -9942
134092	26-09-2018	581	IDBI -9942
36935	10-11-2018	292	IDBI -9942
25721	20-11-2018	12008	IDBI -9942
15267	27-11-2018	654	IDBI -9942
89332	29-01-2019	10000	IDBI -9942
33220	24.04.2019	150000	IDBI -9942
706876	29.04.2019	7926	IDBI -9942
5819	15.06.2019	34090	IDBI -9942
34516	05.08.2019	15000	IDBI -9942
34515	09.08.2019	25000	IDBI -9942
34517	20.08.2019	15192	IDBI -9942
658532	10.02.2020	25338	IDBI -9942
373509	19.02.2020	16872	IDBI -9942
37036	27.02.2020	339	IDBI -9942
322499	01.06.2020	200	IDBI -9942
46443	12.06.2020	1092	IDBI -9942
782371	16.06.2020	45000	IDBI -9942
729795	23.06.2020	500	IDBI -9942
60776	20.07.2020	440	IDBI -9942

674031	13.08.2020	12091	IDBI -9942
156633	13.08.2020	300	IDBI -9942
323856	27.08.2020	2640	IDBI -9942
959	16.10.2020	836	IDBI -9942
409464	16.10.2020	2398	IDBI -9942
172	22.10.2020	3630	IDBI -9942
779452	27.10.2020	3300	IDBI -9942
601	26.10.2020	12695	IDBI -9942
485287	26.10.2020	4760	IDBI -9942
977416	20.11.2020	2592	IDBI -9942
44326	23.11.2020	2332	IDBI -9942
175373	10-08--2014	153000	Canara Bank-0001
203946	18-10-2014	20000	Canara Bank-0001
98589	05-12-2015	1163	Canara Bank-0001
871679	09-09-2015	36280	Canara Bank-0001
669403	27-11-2015	20000	Canara Bank-0001
391842	21-12-2015	2700	Canara Bank-0001
756031	29-09-2015	500	Canara Bank-0001
851276	01-12-2016	4270	Canara Bank-0001
851277	01-12-2016	2790	Canara Bank-0001
743211	19-01-2016	1548	Canara Bank-0001
198278	16-04-2016	11500	Canara Bank-0001
165772	05-10-2016	17739	Canara Bank-0001
931010	06-10-2016	1779	Canara Bank-0001
95494	08-03-2016	27689	Canara Bank-0001
108460	14-09-2016	8000	Canara Bank-0001
108	18-11-2016	4000	Canara Bank-0001
130	23-11-2016	1100	Canara Bank-0001
61936	19-12-2017	11500	Canara Bank-0001
	कुल योग	**₹1639003/-**	

(ख) श्री संदीप सिंह, ठेकेदार द्वारा कार पार्किंग फीस ₹834730/- निम्न चैकों के माध्यम से नगर निगम/परिषद में जमा की गई थी और इन चैकों को बैंक द्वारा रद्द (bounce) करके नगर निगम/परिषद को वापिस लौटा दिया गया था परन्तु इन अस्वीकार चैकों की राशि को पार्किंग फीस के खाते में देय बकाया के रूप में नहीं दर्शाया गया था। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इन चैकों की राशि की वसूली हेतु माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। अतः उपरोक्त पार्किंग फीस की बकाया राशि को अभिलेख में वसूली हेतु बकाया दर्शाने के अतिरिक्त देय राशि की वसूली भी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परंतु नगर निगम/परिषद द्वारा अपेक्षित कारवाई अमल में नहीं लाई गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

चैक संख्या	**दिनांक**	**राशि (₹)**
327110	06.10.2011	63730
0063310	17.1.2012	234000
0066593	10.3.2012	162000
0066594	03.12.2012	125000
0066595	15.3.2012	125000
0066596	15.3.2012	125000
	कुल योग	**₹834730**

(ग) सफाई कर ₹0.29 लाख के बैंक में जमा चैकों का बैंक द्वारा (आय) वापिस करने के कारण सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज व वसूली न करना :-

निम्न चैकों के माध्यम से नगर निगम/परिषद बैंक खाते में उपभोक्ताओं द्वारा देय सफाई कर ₹29253 का भुगतान करके जमा किया गया था परन्तु इन चेकों को बैंक द्वारा अस्वीकार करने के उपरान्त परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में अभिलेख में मांग पुनः जीवित करते हुए राशि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि गम्भीर वित्तीय

अनियमितता है। अतः इस प्रकरण में उचित कार्रवाई करते हुए अपेक्षित अभिलेख में राशि की पुनः मांग दर्शाकर वसूली करना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परन्तु नगर निगम/परिषद द्वारा कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय हैः-

चैक संख्या	**दिनांक**	**राशि (₹)**
379386	25.11.2014	2315
936748	08.12.2012	8580
252137	14.08..2012	4800
692117	31.12.2012	1983
296218	01.03.2014	1880
425871	18.3.2014	4415
013267	15.10.2013	5000
265500	16.2.2012	280
	कुल योग	**₹29253**

(घ) आय प्राप्ति का चैक संख्या 045929 दिनांक 10.01.2013, ₹8325 को नगर निगम/परिषद द्वारा बैंक खाते में जमा किया गया था परंतु इसे बैंक द्वारा अस्वीकार / बाउंस कर वापिस लौटा दिया गया जिसमें से नगर निगम/परिषद द्वारा केवल ₹8000 को रसीद संख्या 396/38 दिनांक 3.2.2014 द्वारा प्राप्त कर लिया गया था जबकि शेष बकाया ₹325 को न तो सम्बन्धित खाते में बकाया दर्शाया गया और न ही सम्बन्धित से वसूली की गई जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण में सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी यह आपत्ति उठाई गई थी परंतु नगर निगम/परिषद द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

(ङ) चैक संख्या 692117 दिनांक 31.12.2012= ₹1983 का प्राप्त हुआ और यह चैक बैंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस कर दिया गया था। अभिलेखों की जाँच करने पर पाया कि इस बाउंस चैक के स्थान पर उपभोक्ता ने दिनांक 4.3.2015 को रसीद संख्या 457/88 द्वारा नगद राशि जमा करवा दी गई परंतु नगर निगम/परिषद द्वारा अपनी रोकड़ में उक्त रद्द (bounce) चैक की reverse entry नहीं की गई। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अन्तर का समाधान किया जाए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(च) जल प्रभार (आय) से सम्बन्धित ₹0.66 लाख के प्राप्त व बैंक में जमा चैकों को बैंक द्वारा वापिस करने के कारण परिषद द्वारा सम्बन्धित अभिलेख में पुनः मांग दर्ज व वसूली न करना :-

निम्न चैकों के माध्यम से नगर निगम/परिषद के बैंक खाते में उपभोक्ताओं द्वारा देय जल प्रभार ₹66433 का भुगतान करके जमा किया गया था परन्तु इन चैकों को बैंक द्वारा स्वीकार न करने के कारण सम्बन्धित उपभोक्ताओं के खाते में देय प्रभार की राशि को पुनः मांग दशाई जानी व रोकड़ बही में अपेक्षित प्रविष्टि की जानी अपेक्षित थी, लेकिन परिषद द्वारा न तो उपभोक्ताओं के खातों में जल प्रभार की राशि की पुनः मांग दर्ज की गई और न ही बैंक द्वारा वापिस चैकों पर वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई व रोकड बही में प्रविष्टियाँ की गई। अतः इस प्रकरण में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

चैक संख्या	दिनांक	राशि (₹)
045211	26.2.2013	1500
747536	2.2.2015	1500
678691	30.1.2015	10000
042557	10.7.2013	13433

665585	03.01.2014	20000
700518	01.10.2014	20000
	कुल योग	**₹66433**

(छ) कार पार्किंग फीस ₹534250 के प्राप्त चैकों के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ नगर निगम/परिषद को निम्नलिखित चैकों के माध्यम से ₹534250 की कार पार्किंग फीस प्राप्त हुई जिसे बैंक खाते में जमा करवाया गया था:-

चैक संख्या	**दिनांक**	**फर्म/व्यक्ति का नाम**	**राशि (₹)**
005692	27.3.2015	श्री करणजीत सिंह	134250
173183	28.12.2013	श्री गौरव	400000
		योग	**₹534250**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त दोनों वर्णित चैकों को बैंक द्वारा अस्वीकार / बाउंस कर वापिस लौटाया गया तथा इनमें से चैक संख्या 805692 दिनांक 27.3.2015 = ₹134250, जोकि श्री करणजीत सिंह से प्राप्त हुआ था, की वसूली उनके निर्माण कार्य बिल से की गई दर्शाई गई थी, परन्तु राशि की वसूली किस निर्माण कार्य बिल से की गई उससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में वसूल राशि की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की तुरंत वसूली करके नगर निगम/परिषद निधि में जमा करवाकर तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त श्री गौरव से पार्किंग शुल्क के रूप में प्राप्त चैक संख्या 173183 दिनांक 28.12.2013 ₹400000 को भी बैंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस कर दिया था जिसकी वसूली नगर निगम/परिषद द्वारा श्री गौरव से नहीं की गई थी अपितु ₹400000 की वसूली के लिए प्रकरण माननीय न्यायालय में दायर किया गया था जोकि अभी तक

न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इस सन्दर्भ में न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) चैक संख्या 771184 दिनांक 23.12.2013, ₹5000 :-

उक्त चैक श्री वजिन्द्र ठाकुर अध्यक्ष सिरमौर स्टूडैन्ट एसोसिएशन से रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुआ था तथा यह चैक बैंक द्वारा रद्द (बाउंस) कर दिया गया जिसके फलस्वरूप यह प्रतिभूति ₹5000 सम्बन्धित से वसूली जानी थी, परन्तु नगर निगम/परिषद द्वारा प्रतिभूति पुनः से वसूल नहीं की गई और न ही रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि की गई जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(झ) चैक संख्या 310122 तथा 310123 दिनांक 05.12.2013 प्रत्येक ₹5000 उक्त चैक श्री उदेय से रेस्ट हाउस हाल की बुकिंग के लिए ₹5000 किराये तथा ₹5000 प्रतिभूति राशि के रूप में प्राप्त हुए तथा दोनों चैक बेंक द्वारा अस्वीकार/बाउंस किए गए जिसके कारण चेक वापिस नगर निगम को लौटाए गए परंतु इन राशियों की वसूली पुनः सम्बन्धित से नहीं की गई। परिणामतः नगर निगम को वित्तीय नुकसान हुआ। अतः वर्णित देय राशि की वसूली शीघ्र सम्बन्धित से सुनिश्चित करके नगर निगम कोष में जमा की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ञ) चैक संख्या 320411 दिनांक 22.7.2014, ₹62194

यह चैक M.E.S से रसीद संख्या 834/54 के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था और बैंक समाधान विवरणिका के अनुसार यह चैक अस्वीकार/बाउंस दर्शाया गया हैं नगर निगम प्रशासन अंकेक्षण को यह स्पष्ट नहीं कर सका कि इस राशि की पुनः वसूली कर ली गई या नहीं ? क्योंकि मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर में इसका कोई विवरण नहीं दर्शाया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वर्णित राशि की सम्बन्धित से वसूली सुनिश्चित करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(iii) रोकड़ बही / डे बुक में दर्ज व्यय ₹1.97 लाख का 31/03/21 तक अपेक्षित समाधान न करना:-

नगर निगम द्वारा प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणिका के घटा (minus) भाग की क्रम संख्या 6 के अवलोकन पर पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गाय विवरण एवं कारणों के चलते दिनांक 31/03/2021 तक ₹197335/- लाख राशि का समाधान नहीं किया गया था जोकि अनियमित है | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपलना से आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाये |

तिथि	राशि	टिप्पणी
01-01-2019	11120	निजी दुर्घटना बीमा राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन में से की गई थी जिसे संबन्धित सरकारी खाते में में दिनांक 31.03.2021 तक हस्तांत्रित / जमा करवाने हेतु बैंक से डेबिट नहीं किया गया था |
05.01.2019	560	यथोपरि
02-01-2019	240	यथोपरि
01.05.2019	160	यथोपरि
01.07.2019	80	यथोपरि
01.12.2020	1000	डे बुक में दर्ज भुगतान जिसका चैक जारी नहीं किया गया है |
01-06-2020	66	रोकड़ पृष्ठ संख्या 48 पर वेतन का अधिक दर्शाया गया भुगतान जिसका

		दिनांक 31.03.2021 तक समाधान नही किया गया है)
13.04.2020	120	यूनियन फंड की कटौती वेतन से की गई जिसका भुगतान रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 17 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 31/03/2021 तक जिसका चैक जारी नहीं किया गया है |
04.11.2020	1800	NEFT द्वारा किया गया भुगतान जो दिनांक 31/03/21 तक बैंक खाते में डेबिट नहीं हुआ |
24-10-2019	14018	डी.ए. अदायगी सी.पी.एफ. एम्पलाईज व एम्पालायर शेयर का भुगतान रोकड़ पृष्ठ संख्या 234 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 31.03.2021 तक जिसका चैक जारी नही किया गया है।
24-10-2019	17231	यथोपरि
24-102019	4164	यथोपरि
26/10/2019	1,46,776.00	श्रीमति आशा पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार, बेलदार से सी.पी.एफ. एम्पलायर शेयर की रिकवरी = ₹23874, श्री कृष्णदत पुत्र श्री हरि दत, सेवानिवृत बेलदार से सी.पी.एफ.एम्पलायर शेयर की रिकवरी=₹122902. [नोट:-उपरोक्त राशि सहित ₹1316350/- (155472 +546910 +182758 +431210)

		का कुल भुगतान ग्रेजुटी एवं पेंशन की एवज में रोकड़ में दिनांक 26.10.2019 को दर्शाया गया था परंतु शुद्ध भुगतान उपरोक्त कर्मचारियों का एम्पलायर शेयर काट कर ₹1169574/- का उन्हें किया गया था | जिस कारण बैंक में इतनी राशि अधिक थी तथा जिसका समाधान दिनाक 31/03/21 तक इस राशि को पैशंन फंड खाते में हस्तांतरित करके नहीं किया गया था |]
कुल योग	**₹197335/-**	

(iv) आय ₹1.15 लाख के प्राप्त चैक की रोकड़ बही में दो बार गणना करना :-

बैंक समाधान विवरणी के अनुसार नगर निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार ₹115037/- की डे / रोकड़ बही में दो बार प्रविष्टि / गणना करने के कारण ₹115037/- की आय अधिक दर्शाई थी जिसका समाधान दिनांक 31/03/2021 तक नहीं किया गया था | अत: इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अंतर का समाधान किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	राशि
1	392978	20-09-2016	1100
2	875128	20-09-2016	50000
3	010395	15-11-2018	1882
4	NEFT	27.05.2020	32000
5	NEFT	27.05.2020	24435

6	NEFT	22.05.2021	150
7	NEFT	24.02.2021	750
8	NEFT	20.02.2020	4720
		कुल योग	**₹115037/-**

(v) बैंक और रोकड़ बही के शेषों के मिलान में पाये गए ₹0.14 लाख के अंतर का समाधान न करना :-

नगर निगम द्वारा 2019- 20 व 2020-21 की प्रस्तुत वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2021 को बैंक तथा रोकड़ बही के शेषों में ₹14098.81/- का समाधान नहीं किया गया था | इसके अतिरिक्त बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग की क्रम संख्या 2 पर ₹175243.00 तथा घटाव भाग की क्रम संख्या 1 पर 2 पर क्रमश: ₹2326.50 तथा ₹2265.03 के गत वर्षों से दर्शाये जा रहे अंतर / भिन्नता का भी दिनांक 31/03/2021 तक कोई समाधान नहीं किया गया था जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाये |

(vi) बैंक समाधान विवरणी में ₹3.43 लाख के अंतर का दर्शाया गया समाधान के समर्थन में सुस्पष्ट विवरण / औचित्य को स्पष्ट न करना :-

अंकेक्षण को प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी के जमा भाग के क्रम संख्या 1 व 6 तथा घटाव भाग के क्रम संख्या 3 पर दर्शाये गए राशि क्रमश: ₹4805/-, ₹220888/-, ₹118094/- के अन्तर समाधान के समर्थन में सुस्पष्ट विवरण / औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया जिसके अभाव में बैंक समाधान विवरणी का इस हद तक अंकेक्षण में सत्यापन सम्भव न हो सका। अतः इस सन्दर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही करके सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(vii) बैक द्वारा ₹85 की आय का कम जमा (credit) प्रदान करना तथा ₹280/- के भुगतान का अधिक नाम (debit) प्रभारित करना :-

बैंक समाधान विवरणी के क्रम संख्या 3 व 4 पर बैंक द्वारा क्रमश: ₹80 व ₹5 कुल ₹85/- की कुल आय का कम क्रेडिट (credit) प्रदान किया गया था जबकि क्रम संख्या 5 पर बैंक द्वारा ₹280/- के भुगतान को निगम के बचत खाते में अधिक डेबिट (debit) किया गया था जिसके समाधान हेतु परिषद द्वारा दिनांक 31/03/2021 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरण को अब संबन्धित बैंक से उठाकर अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(viii) अंकेक्षण अवधि के दौरान स्वयं स्ट्रोतों से प्राप्त आय से ₹193.10 लाख का अधिक व्यय का स्त्रोत स्पष्ट न करना :-

नगर निगम के वर्ष 2019- 20 व 2020-21 के लेखों के अवलोकन करने पर पाया गया कि निगम द्वारा स्वयं संसाधनों से कुल प्राप्त आय के विरुद्ध दिनांक 31/03/2021 तक निम्न विवरणानुसार (-) ₹19309542.26 का व्यय अधिक किया गया था :-

वित्त वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों से प्राप्ति	वर्ष के दौरान स्वयं संसाधनों पर व्यय	प्राप्ति से अधिक व्यय
2019-20	(-)45731579.16	112627682.00	99724279.00	(-)32828176.16
2020-21	(-)32828176.16	112876324.90	99357691.00	(-)19309542.26

अत: स्वयं संसाधनों की वास्तविक प्राप्ति से अधिक व्यय करने का स्त्रोत सहित औचित्य स्पष्ट करते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ix) अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा अवधि 28/10/2020 से 31/03/2021 से संबन्धित निम्न विवरणियां जोकि नगर निगम अधिनियम 1994 के अंतर्गत बनाए जाने अपेक्षित थे

अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएँ |

क्रम संख्या	**विवरण**
1	Balance Sheet
2	Income & Expenditure Statement
3	Statement of Cash Flow.
4	Receipt & Payment Account
5	Notes to Accounts.
6	Financial Performance indicators.

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त वर्णित अनियमितताएं आवशयक स्पष्टीकरण एवं कार्रवाई हेतु निगम के घ्यान में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 45 दिनाक 14/10/2021 द्वारा लाई गई था जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

5 **सावधि निवेश:-**

(i) नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31.03.21 को ₹71370375 सावधि जमा में निवेशित थे :-

शीर्ष	**राशि (₹)**
Provident Fund	27191282
Contributory Pension scheme	43918566
Municipal fund	260527
कुल योग	**₹71370375**

(ii) विभिन्न सावधि निवेशों पर ₹5.30 लाख (157940 + 372045) ब्याज के रूप में आय की कम प्राप्ति :-

नगर निगम द्वारा किये गये विभिन्न सावधि निवेशों पर प्राप्त ब्याज कि हड़ताल के दौरान पाया गया कि इन निवेशों के परिपक्क होने पर सम्बंधित बैंकों से निम्नानुसार ₹529985 ब्याज कम प्राप्त हुआ था जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग-1"** पर वर्णित है । इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा सावधि निवेशों पर ब्याज देते समय स्त्रोत पर आयकर की कटौती कर ली गई हो इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि आयकर

अधिनियम की धारा 194 में दिए गये निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है क्योंकि नगर निगम कि आय आयकर से मुक्त है। यह अनियमितता अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 17 दिनांक 02.08.2021 द्वारा नगर निगम के ध्यान में लाइ गई थी परन्तु अंकेक्षण कि समाप्ति तक न तो नगर निगम द्वारा इस अनियमितता के संदर्भ में कृत कार्रवाई से अवगत करवाया गया तथा न ही कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया अपितु चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि मामला सम्बंधित बैंकों के समक्ष उठा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दी जायगी। अतः इस बारे में अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

वर्ष	शीर्ष	राशि (₹)
2019-20 एवं 2020-21	Provident fund	157940 (135400 + 22540)
2019-20 एवं 2020-21	Contributory pension scheme	372045 (175913 + 196132)
	Total	₹529985

(iii) अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि नगर निगम द्वारा सावधि जमा में निवेशित अधिकतम राशियों पर अर्जित ब्याज को प्रत्येक quarter में निगम के saving accounts में हस्तांतरित किया जा रहा है। प्रत्येक quarter के उपरान्त अर्जित ब्याज को सावधि जमा में न जोड़े जाने के कारण निगम कोष को निरन्तर रूप से वित्तीय हानि हो रही है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि quarter के उपरान्त अर्जित ब्याज को सावधि में ही निवेशित रहने दिया जाए ताकि नगर निगम को ब्याज के रूप में अधिकतम आय की प्राप्ति हो सके।

(iv) यह सुझाव भी दिया जाता है कि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाए ताकि नगर निगम को ब्याज के रूप में अधिक आय प्राप्त हो सके।

(V) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि नगर निगम द्वारा निजी बैंकों में बैंक खाते खोले गये है तथा उनमे सावधि जमा भी किये गये थे जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिक से अधिक धन को सहकारी बैंकों में जमा रखा जाना अपेक्षित है। अतः समय-2 पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या (iii) से (v) में उल्लेखित अंकेक्षण प्रेषण गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी निगम के ध्यान में अपेक्षित सुधार हेतु लाइ गई थी परन्तु निगम द्वारा इस संदर्भ में अपेक्षित कारवाई नहीं कि जा रही है । मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है ।

6 **अनुदान :-**

नगर निगम सोलन द्वारा अवधि 1.4.2019 से 31.3.2021 के दौरान प्राप्त अनुदानों व इस अवधि में किए गए व्यय तथा दिनांक 31.3.2021 को अंत शेष का विवरण **परिशिष्ट "घ"** पर दिया गया है :-

(क) दो वर्षों से अधिक की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी अनुदान ₹496.50 लाख का उपयोग न करना :-

दिनांक 01/04/2019 से पूर्व अवधि के अनुदान के शेष ₹70577769/- में से ₹12438120/- वर्ष 2019-20 तथा ₹8487881/- वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय की गई थी तथा इस राशि में से ₹49651768/- दिनांक 31.3.2021 को उपयोग हेतु शेष थे। अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः वर्णित अनुपयोग अनुदान राशियों को या तो उन्हीं स्त्रोत को जहां से प्राप्त हुई है लौटाया जाना अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए निर्धारित उदेश्य हेतु उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपलना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ख) दिनांक 31.3.2021 तक अनुदानों की ₹1296.51 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षणाधीन अवधि वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त ₹298643514/- (105926302+192717212) के अनुदान में से निगम द्वारा केवल ₹218644468/- (98294842+6580188+113769438) ही उपयोग/व्यय किए गए थे एवं अंकेक्षणाधीन अवधि से पूर्व वर्षों की शेष अनुपयोग अनुदान ₹70577769/- में से उपयोग/व्यय हेतु ₹20926001/- (12438120+8487881) सहित दिनांक 31.3.2021 को कुल अनुदान ₹129650814/- उपयोग हेतु शेष थी । अतः अनुदान राशि सम्बन्धित

वर्षों में व्यय न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयोग अनुदान राशि को सक्षम अधिकारी से व्यय हेतु अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उन्हीं उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित करें, जिन उद्देश्यों हेतु राशि स्वीकृत की गई थी अन्यथा अनुपयोग राशि को सम्बन्धित संस्था को वापिस किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ग) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा अंकेक्षण अवधि से पूर्व तिथियों में प्राप्त ₹34706156/- अनुदानों से संबन्धित राशि का अंकेक्षण अवधि के दौरान बिलकुल भी उपयोग नहीं किया गया था जोकि अनुचित है तथा इससे संबन्धित सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अनुदान से संबन्धित प्राप्त राशियों को निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय न करने के कारण जहां शहर वासियों को प्राप्त होने वाली सुविधा से वंचित रहना पड़ा वहीं अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राप्त अनुदान राशि का निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग सुनिश्चित किया जाये अन्यथा इसे संबन्धित स्त्रोत को वापिस लौटाया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	अनुदान का शीर्ष	प्राप्ति की तिथि	अनुदान राशि	अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय	दिनांक **31/03/2021** को शेष
1	Sewerage line	11/12/2014	20000000	0	20000000
2	SWM	28/11/2007	7698609	0	7698609
3	Parks grant	12/02/2019	6000000	0	6000000
4	DC grant (C/o link road from Dogra house to Ratan house W.NO. 12)	18/12/2018	300000	0	300000
5	MPLAD grant (C/o lawn tennis symthetic court at Raja durga	21/04/2018	300000	0	300000

	singh club Solan (additional amount)				
6	MPLAD grant (Installation of intefrated trafiic control centre at old DC/SP office Solan.	01/05/2018	250000	0	250000
7	CCBP grant	26/05/2015	462000 (दिनांक 01/04/2019 को आरंभिक शेष ₹157547/-)	0	157547
				कुल योग	**₹34706156/-**

(घ) नगर निगम को निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला से रेलवे रोड पर कार पार्किंग के निर्माण हेत 2.95 करोड़ का अनुदान दिनांक 22.11.16 को प्राप्त हुआ था जिसमें से वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल 2.50 करोड़ ही खर्च किए तथा नगर निगम द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार यह निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नही हुआ है बल्कि निर्माणाधीन है जबकि लगभग चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। अतः नगर निगम इस निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करे ताकि शहर वासियों को इस सुविधा का समय पर लाभ प्राप्त हो सके।

(ङ) प्राप्त अनुदानों में से ₹193.09 लाख का अनियमित रूप से निर्धारित उद्देश्य की अपेक्षा अन्य उद्देश्य पर व्यय करना :-

अंकेक्षण पैरा (ङ) में वर्णित विवरणानुसार निगम द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान का व्यय स्वयं संसाधनों की आय प्राप्ति से अधिक किया गया था जिसका स्त्रोत अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया तथा ऐसा प्रतीत होता है कि निगम द्वारा सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों को divert करके निर्धारित उद्देश्यों की अपेक्षा किसी अन्य उद्देश्यों हेतु ₹19309542.26 का व्यय किया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनुदान राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में सरकारी अनुदानों की प्राप्त राशियों को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु ही व्यय किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए |

(च) दिनांक 31/03/2021 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) शीर्ष के अंतर्गत गलत शेष दर्शाना :-

निगम द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की वित्तीय स्थिति के अवलोकन के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2021 को अनुदान शीर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत ₹124680/- शेष दर्शाया गया था जिसके मिलान हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 46 दिनांक 14/10/2021 द्वारा आग्रह किया गया था | जिसके सन्दर्भ में निगम द्वारा **परिशिष्ट "घ-1"** पर संशोधित सूचना उपलब्ध करवाई थी गई जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाय गया है | इस सुचना के सम्बन्धित अभिलेख के साथ जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/2021 को अनुदान शीर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत ₹548096 राशि शेष बनती थी | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा लेखों यथा अनुदान पंजिका में आवश्यक सुधार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	व्यय	शेष
2016-17	0	915125	915125	45000	870125
2017-18	870125	1764555	2634680	570000	2064680
2018-19	2064680	45000	2109680	4755000	-2645320

2019-20	-2690320	3000000	354680	1670000	-1315320
2020-21	-1360320	4023416	2708096	2160000	548096
	योग	**₹9748096**	**योग**	**₹9200000**	

(छ) अनुदानों के उपयौगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न करना :-

अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर प्रस्तुत सुचना के अवलोकन के उपरांत पाया गया कि निगम द्वारा अधिकतम अनुदान राशियों के व्यय / उपयोग उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित funding agencies को प्रेषित नहीं किए थे जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त निगम द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए | उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित न करने के कारण नगर निगम को भविष्य में अनुदान राशियों की प्राप्ति में अनावश्यक विलंब हो सकता है | अत: इस संदर्भ में शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई की जाये तथा सम्बन्धित अभिलेख सहित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ज) हस्तांतरित अनुदान राशियों के सन्दर्भ में पावतियाँ (receipts) प्राप्त न करना :-

नगर निगम निम्न तालिका में दर्शाई गई अनुदान राशियाँ DRDA (District rural development authority) को हस्तांतरित की गई थी परन्तु हस्तांतरित अनुदान राशियों के सन्दर्भ **में** सम्बन्धित कार्यालय से पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

वर्ष	शीर्ष	राशि
2019-20	MLA grant (04/2019 से पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि)	200000
	यथोपरी	130000
	यथोपरी	50000
	यथोपरी	50000

	यथोपरी	50000
	यथोपरी	20000
	DC grant (वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान राशि)	500000
	DC grant	150000
	योग	**₹1150000**

(झ) अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

नगर निगम द्वार निम्न तालिका में दर्शाई गई अनुदान राशियाँ के सन्दर्भ में सम्बन्धित funding agency द्वारा जारी पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके अभाव में इन राशियों के शीर्षों के सन्दर्भ में आवश्यक सत्यापन संभव नहीं हो सका | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

वर्ष	शीर्ष	अनुदान राशि	वर्ष	शीर्ष	अनुदान राशि
2019-20	Misc/other grant	316500	2019-20	5 th State FC	2032083
2019-20	PMAY	1500000	2020-21	PMAY	400000
2019	NULM	765836	2020-21	NULM	100000
2019	ULB Roads	3137771	2020-21	Misc/other grant	1723394

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त वर्णित अधिकतम अनियमितताएं आवश्यक स्पष्टीकरण एवं कार्रवाई हेतु निगम के घ्यान में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 46 दिनाक 14/10/2021 द्वारा लाई गई था जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

आय :-

7 जल प्रभार :-

(i) दिनांक 31.3.2021 को जल प्रभार से संबन्धित लगभग ₹133.84 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम को उपभोक्ताओं द्वारा पानी के बिलों का भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है जिस कारण निगम द्वारा यथा **परिशिष्ट " ड."** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/021 को विभिन्न उपभोक्ताओं से जल प्रभार के रूप में ₹13383628/- की वसूली शेष थी जिससे यह स्पष्ट

प्रतीत होता है कि अभी तक नगर निगम द्वारा जल प्रभार वसूली हेतु कोई भी ठोस नीति अमल में नहीं लाई जा रही है | इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष होने के कारण निगम को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी की आपूर्ति से संबन्धित बिलों की देय बकाया राशि में भी वर्ष प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है और निगम की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर रही है | अत: परामर्श दिया जाता है कि जल प्रभार की बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) कुछ आवासियों से अत्याधिक राशि वसूली शेष होना :-

जल प्रभार से संबन्धित पंजिकाए जिनमें विभिन्न आवासियों से दिनांक 31/03/2021 को वसूली हेतु शेष राशि दर्शाई गई थी के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निगम क्षेत्र के कई आवासियों से हजारों रुपये जल प्रभार के रूप में वसूली हेतु शेष थे जिनमें से कुछ **परिशिष्ट "ड.-1"** पर दर्शाये गए हैं | आवासियों से वसूली हेतु हजारों रुपये की राशि शेष होना एक गंभीर अनियमितता है तथा निगम की कमजोर वित्तीय स्थिति का एक कारण भी है | अत: निगम न केवल **परिशिष्ट "ड.-1"** में दर्शाये गए प्रकरणों जिनसे हजारों रुपये की वसूली शेष थी अपितु इस प्रकार के अन्य प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करके संबन्धित आवासियों से प्राथमिकता पर बकाया जल प्रभार की वसूली हेतु ठोस कदम उठाए तथा वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाए |

(iii) ₹220/- जल प्रभार की कम वसूली करना :-

जल प्रभार से प्राप्त आय के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा उपभोक्ताओं से देय राशि से ₹220/- कम की वसूली की गई थी जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹220/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	जितनी वसूली की जानी थी	जितनी वसूली की गई	कम की गई वसूली
1.	78 / 30/03/21	4224	4024	200/-
2.	36 / 15/03/21	9679	9659	20/-
			कुल योग	₹220/-

(iv) अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान नगर निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | जल प्रभार से संबन्धित यह राशियाँ उपभोक्ताओं ने NEFT द्वारा जमा करवाई गई थी परंतु यह राशियाँ किन उपभोक्ताओं से प्राप्त हुई थी इस बारे कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

माह	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि
03/2020	401	4985/-	433	134060/-
	401	4199/-	433	288/-
	401	2780/-	435	4299/-
	405	420/-	435	348/-
	410	1872/-	435	5887/-
	410	24921/-	435	2875/-
	410	3000/-	435	4299/-
	411	3000/-	435	871/-
	411	3000/-	435	348/-
	411	180906/-	435	4299/-
	413	5300/-	435	348/-
	413	1963/-	435	3909/-
	421	1620/-	435	348/-
	421	447/-	435	4299/-
	421	1103/-	435	871/-
	423	447/-	435	3909/-

	423	749/-	435	348/-
	424	2326/-	436	3909/-
	426	826/-	436	3909/-
	427	567/-	436	4299/-
	427	383/-	436	3909/-
	428	660/-	437	871/-
	430	5300/-	437	3909/-
	432	44/-	437	3225/-
	432	2048/-	437	415/-
	433	826/-	437	351/-
	433	683/-	437	20175/-
03/2021	415	48990/-	446	1114/-
	415	1980/-	446	4729/-
	416	2136/-	448	4729/-
	416	3000/-	448	4729/-
	416	3000/-	448	1054/-
	416	3000/-	448	7508/-
	417	22543/-	448	844/-
	424	2948/-	448	2012/-
	425	6180/-	448	844/-
	428	344/-	448	1054/-
	437	1491/-	448	13757/-
	438	19940/-	448	1648
	439	138732/-	448	12800
	440	17999/-	448	633/-
	440	436/-	448	54828/-
	441	6402/-	448	867/-
	442	2221/-		

(v) निगम के जल प्रभार अनुभाग की कार्यशैली संबंधी अनियमितताएं :-

(क) जल प्रभार प्राप्ति के संदर्भ में computerized रसीदें जारी करना :-

नगर निगम/परिषद के जल प्रभार की वसूली से संबन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर निगम/परिषद द्वारा जल प्रभार की प्राप्ति के एवज में computerized रसीदें जारी की जा रही थी | प्रत्येक दिन रसीदें क्रम संख्या एक से जारी की जाती है तथा जितने उपभोक्ता जल प्रभार जमा करवाते है एक से लेकर उतनी रसीदें जारी कर दी जाती है | उदाहरण के लिए यदि किसी दिन 125 उपभोक्ता बिल की राशि जमा करवाते हैं तो उस दिन 125 रसीदें जारी कर दी जाती है | इस प्रकार प्रत्येक दिन किया जाता है | स्पष्ट है रसीदें क्रमवार जारी नही की जा रही है | नगर निगम/परिषद द्वारा रसीदें जारी करने हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस प्रक्रिया में रसीदें क्रमवार जारी न करने के कारण इनके क्रम की निरंतता की पड़ताल करना संभव नही होता है तथा इस कारण वित्तीय अनियमितता की संभावना भी बनी रहती है | इसके अतिरिक्त यह प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के पश्चात अपनाई गई है इससे संबन्धित कोई भी अभिलेख कई बार आग्रह के पश्चात भी प्रस्तुत नही किया गया | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9(ङ) द्वारा भी यह अनियमितता निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न करना निगम की लापरवाह कार्यशैली को दर्शाता है | अत: मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है |

(ख) मांग एवं प्राप्ति अभिलेख का रख रखाव न करना :-

नगर निगम के जल प्रभार अनुभाग में जल प्रभार से संबन्धित मांग एवं प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख / पंजिकाओं का रख रखाव नहीं किया जा रहा था | अनुभाग द्वारा इस अभिलेख का रख रखाव कंप्यूटर में ही रखा जा रहा था | सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित मांग एवं प्राप्ति अभिलेख के अभाव में मांग, प्राप्ति व बकाया राशि से संबन्धित आकड़ों का सत्यापन किया जाना संभव नहीं होता है | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2

संबन्धित अभिलेख का रख रखाव किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06 दिनांक 07/07/2021, 12 दिनांक 15/07/2021 एवं 25 दिनांक 18/09/21 द्वारा उपरोक्त अधिकतम अनियमितताएं निगम के ध्यान में लाकर संबन्धित अभिलेख एवं आवश्यक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी जिसके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक निगम द्वारा न तो संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया तथा न ही संतोषप्रद उत्तर दिया गया |

8 सफाई शुल्क :-

(i) दिनांक 31-03-21 को सफाई शुल्क (conservancy tax) की लाभग ₹335.05 लाख की वसूली शेष होना : -

नगर निगम द्वारा अंकेक्षण को यथा **परिशिष्ट "च"** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार दिनांक 31-3-2021 को सफाई कर की बकाया ₹33504939/- वसूली योग्य शेष थी जोकि गंभीर अनियमितता है क्योंकि इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष होना नगर निगम की लचर कार्य प्रणाली को परिलक्षित करता है जिसके कारण निगम निधि को नियमित रूप से हानि हो रही है | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(ii) सफाई शुल्क ₹0.18 लाख की कम वसूली करना :-

सफाई शुल्क की प्राप्ति से संबन्धित कुछ प्रकरणों को चयनित आधार पर अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए आवासियों से पंजिका में दर्ज वसूली हेतु शेष राशि के स्थान पर ₹17662/- कम सफाई शुल्क की वसूली की गई थी जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसका या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान दर्शाया जाए |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / रसीद संख्या व दिनांक	जितनी वसूली की जानी थी	जितनी वसूली की गई	कम की गई वसूली
1.	3751 / 30/03/21	11813	9600	2213/-
2.	3752 / 30/03/21	65965	63328	2637/-
3.	769/73 / 21/03/20	324088	311276	12812/-
			कुल योग	₹17662/-

(iii) सफाई शुल्क विलंब से जमा करवाने पर ₹0.03 लाख पेनल्टी की वसूली न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवासियों द्वारा देय तिथि के पश्चात सफाई शुल्क से संबन्धित राशि जमा करवाए जाने के बावजूद उनसे निम्नानुसार ₹2690/- पेनल्टी से संबन्धित राशि की वसूली नहीं की गई थी जोकि अनियमित है | अत: पेनल्टी से संबन्धित राशि की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹2690/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / रसीद संख्या / माह	देय तिथि	जिस तिथि जमा की गई	कम की गई वसूली
1.	3523 / 17/03/20	16/03/20	22/07/20	535/- (5345/- का 10%)
2.	850/46 / 01/03/21	27/01/21	01/03/21	2155/- (21550 का 10%)
			कुल योग	₹2690/-

(iv) सफाई कर निर्धारण से संबन्धित अनियमितता :-

अंकेक्षण के दौरान सफाई कर के निर्धारण से संबन्धित कुछ प्रकरणों की चयनित आधार पर जांच करने के दौरान पाया गया कि सफाई कर के निर्धारण हेतु जो प्रक्रिया

अपनाई जा रही है वह उचित प्रतीत नहीं होती है | नगर निगम द्वारा गृह स्वामी को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व सर्वप्रथम वार्षिक सफाई कर का निर्धारण करके देय राशि की वसूली की जाती है | सफाई कर के निर्धारण हेतु नव निर्मित भवन के क्षेत्रफल के साथ -2 वह भूमि जिस पर भवन निर्मित किया गया है उसकी कीमत को भी गणना में लिया जाता है जो सफाई कर के निर्धारण हेतु आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में घोषित जमीन की कीमत पर आधारित होती है | परंतु आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी दस्तावेज़ संलग्न नही किया जा रहा है जिस से घोषित की गई भूमि की कीमत के सही होने की पुष्टि की जा सके | जिसके अभाव में निम्न तालिका में दर्शाये गए निर्धारित सफाई कर का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका तथा इस कारण निगम निधि को सफाई कर के कम निर्धारण के कारण हो रही राजस्व की नियमित हानि की संभावना से भी इंकार नही किया जा सकता है | अत: भविष्य में आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेज़ जिस पर भूमि / फ्लैट की कीमत दर्ज हो संलग्न करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सफाई कर के सही निर्धारण होने की पुष्टि की जा सके | मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है |

नाम	**आवेदन में घोषित की गई भूमि / फ्लैट की कीमत**	**निर्धारित सफाई कर**
769/73 / 21/03/20	1000000/- (भूमि)	89945/- प्रति वर्ष
859/06 / 22/03/21	2200000/- (फ्लैट)	9900/- प्रति वर्ष

(v) पिछले कई वर्षों से सफाई शुल्क की वसूली न करना :-

सफाई शुल्क के मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख की चयनित आधार पर जांच करने के दौरान पाया गया कि निगम क्षेत्र के कई आवासियों से लाखों र० के देय सफाई शुल्क की वसूली पिछले कई वर्षों से नहीं की गई थी जिससे संबन्धित कुछ प्रकरण **परिशिष्ट "च-1"** पर दर्शाये गए हैं तथा ऐसे अन्य प्रकरणों भी हो इस संभावना से इंकार नहीं किया

जा सकता है | अत: निगम न केवल परिशिष्ट में दर्शाये गए प्रकरणों अपितु इस प्रकार के अन्य प्रकरणों को अपने स्तर पर चिन्हित करके बकाया सफाई शुल्क की वसूली की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(vi) सफाई शुल्क की वसूली से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान नगर निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाया गया अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | जल प्रभार से संबन्धित यह राशियाँ उपभोक्ताओं ने NEFT द्वारा जमा कारवाई गई थी परंतु यह राशियाँ किन उपभोक्ताओं से संबन्धित थी इस बारे कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित विवरण आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	राशि
1.	3621 / 26/03/20	28079/-
2.	3660 / 31/03/20	3909/-
3.	3665 / 31/03/20	177765/-
4.	3603 / 19/03/21	52271/-
5.	3660 / 23/03/21	2651/-
6.	3673 / 24/03/21	2614/-
7.	3720 / 29/03/21	7370/-
8.	3786 / 31/03/21	8805/-
9	861/4 / 26/03/21	14400/- (ledger में प्रविष्टि नहीं दर्शाई गई)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 13 दिनांक 15/07/2021 तथा 23 दिनांक 08/09/21 द्वारा उपरोक्त अधिकतम अनियमितताएं निगम के ध्यान में लाकर संबन्धित अभिलेख एवं आवश्यक स्पष्टीकरण की मांग की गई थी जिसके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक निगम द्वारा न तो संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया तथा न ही संतोषप्रद उत्तर दिया गया |

9 दुकान / स्टाल :-

(i) **दुकानों/स्टालों के किराए की लगभग ₹171.25 लाख राशि वसूली हेतु शेष होना -**

नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित स्टालों/दुकानों के मासिक किराये से संबन्धित राशि की वसूली संबन्धित व्यवसायियों / कारोबारियों से नियमित रूप से नही की जा रही थी जिसके कारण 31.3.2021 को यथा **परिशिष्ट "छ "** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ₹17125033/- किराये कि राशि वसूली हेतु शेष थे | इतनी अधिक राशि वसूली हेतु शेष होना स्पष्ट दर्शाता है कि नगर निगम द्वारा मासिक किराये की राशि की नियमित रूप से वसूल करने हेतु कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 21 दिनांक 08/09/21 द्वारा किराए की वसूली न किए जाने बारे स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को प्राथमिकता के आधार पर अवगत करवाया जाये |

(ii) **स्टाल धारकों से कम किराये की वसूली करना :-**

दुकानों / स्टालों की किराया पंजिका के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा कई स्टाल धारकों से अत्याधिक कम किराये की वसूली की जा रही थी जिससे संबन्धित कुछ प्रकरण **परिशिष्ट "छ-1"** पर उल्लेखित है | निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम को अपनी आय बड़ाने की आवश्यकता है जिसके लिए आय के अपने सभी स्त्रोतों से आय बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठाए जाने आवशयक है परंतु निगम द्वारा न तो स्टाल धारकों से कम किराए की वसूली किए जाने बारे कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया तथा न ही भविष्य में किराये से आय बढ़ाने हेतु किए जा रहे नियोजन बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया गया | इसके अतिरिक्त इन दुकान /स्टाल धारकों को जिन शर्तो के आधार पर दुकाने दी गई थी उससे संबन्धित दस्तावेज़ / अनुबंध भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस बारे आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या

21 दिनांक 08/09/21 द्वारा भी इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: परामर्श दिया जाता है कि दुकान एवं स्टाल धारकों से किराये से आय बढ़ाने हेतु विशेष ध्यान दिया जाये तथा इस संदर्भ में कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(iii) दिनांक 31/03/21 को 4 दुकाने / स्टाल खाली होना :-

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "छ-2"** द्वारा उपलब्ध कारवाई गई जानकारी के अनुसार दिनांक 31/03/21 को 4 दुकाने खाली थी तथा निगम को उनसे आय प्राप्त नही हो रही थी | दुकाने खाली रहने के कारण निगम कोष को नियमित रूप से हानि होती है | अत: दुकानों को किराए पर दिये जाने हेतु आवश्यक प्रयत्न किए जाये ताकि निगम कोष को भविष्य में होने वाली हानि से बचाया जा सके |

10 कामकाजी महिला आवास :-

(i) उप निदेशक सामाजिक महिला एवं अनुसूचित जाति कल्याण हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 59/75-Wel-e दिनांक 03/04/2003 के अनुसार कामकाजी महिला आवास में सिंगल बैड हेतु कामकाजी महिला से उसके कुल वेतन का 15 प्रतिशत बतौर आवास शुल्क प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान कामकाजी महिला आवास पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि वर्ष 2019-20 में कुल 16 में से 7 तथा वर्ष 2020-21 में कुल 14 में से 5 कामकाजी महिलाओं से ₹570 मासिक किराए के रूप में वसूली की जा रही थी। इतनी अधिक कामकाजी महिलाओं के किराए की राशि का एक समान होना तथा उनकी वेतन एक समान होना यह औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त लगभग सभी प्रकरणों में नगर निगम द्वारा महिला आवासियों से उन्हें छात्रावास आबंटन के समय पर ही वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाते है तथा आगामी वर्षों में उनके द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन की पुष्टि नहीं की जाती है | जबकि इस संभावना से इंकार नही किया जा सकता है प्रत्येक वर्ष महिला आवासियों के वेतन में वृद्धि होती हो जिसके परिणामस्वरूप उनके मासिक किराये में बढ़ोतरी की जाने भी अपेक्षित है जोकि नहीं किया जा रहा है | अत: उपरोक्त स्थिति बारे

स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये तथा भविष्य में आवास शुल्क की समय -2 पर समीक्षा की जानी सुनिश्चित की जाये ताकि निगम कोष को वित्तीय हानि से बचाया जा सके |

(ii) कामकाजी महिला आवास से सम्बन्धित पंजिका का रख रखाव सही ढंग से नही किया जा रहा है | पंजिका में की गई प्रविष्टियों को भी सम्बन्धित कर्मचारी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही किया गया था | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 02/08/2021 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताओं बारे निगम से स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु निगम द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

11 नक्शा पारित शुल्क (map processing fee) :-

(i) निगम द्वारा नक्शा पारित शुल्क (map processing fee) शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त आय के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा संबन्धित अभिलेख का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा है | चयनित मासों में नक्शा पारित की जिन व्यक्तियों से प्राप्ति की गई थी उनके नाम रोकड़ बही / डे बुक में दर्ज नहीं थे | निगम के अनुसार आवेदकों द्वारा यह शुल्क online जमा करवाया जाता है तथा बैंक पास बुक में भी इनके नाम उल्लेखित नहीं होते है | निगम द्वारा इस संदर्भ में अनुरक्षित पंजिका में भी तिथिवार ऐसा कोई विवरण दर्ज नहीं था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किस -2 आवेदक से कितनी -2 नक्शा पारित शुल्क की राशि प्राप्त हुई थी जिसके अभाव में अलग -2 तिथियों को जिन आवेदकों से यह शुल्क प्राप्त हुआ था इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होती है | अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 19 दिनांक 08/09/21 द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गई प्राप्तियों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया रहा जिसे अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण इन प्राप्तियों के संदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: अभिलेख के उचित रख रखाव न किए जाने तथा संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट

की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाये | इसके अतिरिक्त भविष्य में अभिलेख का उचित रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

माह	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	राशि	टिप्पणी
03/2020	13/03/20	421	6685/-	प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया	
	16/03/20	422	21033/-	केवल बाविता =₹8460/-, सुरेश ठाकुर =₹3629/- एवं पंकज पँवर= ₹8171/- से नक्शा पारित शुल्क की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया	शेष राशि ₹773/- [21033-20260 (8460+ 3629+8171)] की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया जाए	
03/2021	03/03/21	413	47610/-	प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया	
	04/03/21	414	15866/-	यथोपरि	
	05/03/21	415	24915/-	यथोपरि	
	05/03/21	415	15844/-	यथोपरि	
	09/03/21	420	27344/-	यथोपरि	
	08/03/21	418	64833/-	यथोपरि	
	19/03/21	428	1811/-	यथोपरि	
	24/03/21	439	5664/-	यथोपरि	
	26/03/21	442	87103/-	राजू राम = ₹64554/- से नक्शा पारित शुल्क की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया	शेष राशि ₹22549/- [87103-64554] की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाए	
	27/03/21	443	90994/-	केवल रमेश शर्मा =₹27790/-, राजेंदर

	30/03/21	446	60919/-	सिंह = ₹21351/-, सुजाता =₹21760/-, नमिता = ₹27229/- व सीमा शर्मा = ₹25658/- से नक्शा पारित शुल्क की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया | शेष राशि ₹28125/- [151913 (90994+60919)-123788 (27790 +21351 +21760+ 27229+ 25658] की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाए |
	31/03/21	450	27746/-	अरुण कुमार =₹5682/-, संदीप कुमार =10333/- से नक्शा पारित शुल्क की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया गया | शेष राशि ₹11731/- [27746-16015 (5682 + 10333)] की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाए|
	06/03/21	416	5423/-	प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया |

(iii) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित आग्रह (15 दिनांक 22/07/2021) के बावजूद निगम द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान भवन निर्माण हेतु पारित नक्शों एवं भवन निर्माण में त्रुटियों के नियमितीकरण के एवज में प्राप्त निपटारे शुल्क (compounding fee) बारे सूचना एवं संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण इस संदर्भ में अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | जिससे यह प्रतीत होता है कि निगम द्वारा इस अभिलेख का रख रखाव नहीं किया जा रहा है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित सूचना / अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए |

12 मोबाइल टावर नवीनीकरण शुल्क :-

मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क लगभग ₹56.90 लाख वसूली हेतु शेष होनाः-

(i) अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा **परिशिष्ट "ज"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/21 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹5689539/- की वसूली शेष था | अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 , Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh , Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (vi) (b) में विहित निर्देशों के अनुसार यदि वार्षिक नवीनीकरण शुल्क का भुगतान 30 दिन के पश्चात किया जाता है तो उस स्थिति में संबन्धित service provider से 5% प्रति सप्ताह की दर से penalty की वसूली की जानी अपेक्षित है | परंतु अंकेक्षण के समक्ष उपरोक्त परिशिष्ट द्वारा प्रस्तुत सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2021 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष राशि में उपरोक्त पत्र में विहित निर्देशों के अनुसार दिनांक 21/06/2017 से 31/03/2019 तक विलंब से जमा करवाए गए नवीनीकरण शुल्क पर पेनल्टी से संबन्धित राशि की न तो वसूली की गई थी तथा न ही इस राशि की गणना करके दिनांक 31/03/2021 को दर्शाई गई वसूली हेतु शेष बकाया राशि में इसे सम्मिलित किया गया था | इसके अतिरिक्त उपरोक्त सूचना से यह स्पष्ट होता है कि निगम द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान नवीनीकरण शुल्क से संबन्धित किसी भी राशि की वसूली नहीं की थी जोकि न केवल निगम की लापरवाह कार्यशैली दर्शाता है अपितु एक गंभीर अनियमितता भी है | इस कारण नगर निगम कोष को नियमित रूप से वित्तीय हानि हो रही है | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उपरोक्त बकाया राशि की वसूली पेनल्टी से संबन्धित राशि की गणना उपरोक्त अवधि (21/06/2017 से 31/03/2019 तक) के संदर्भ में अपने स्तर पर करके उक्त राशि सहित अविलंब की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

(ii) मोबाइल कम्पनियों के अतिरिक्त anteenaa से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना एवं नियमानुसार देय शुल्क कि वसूली न करना :-

अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96, Department of Information Technology, Government of Himachal Pradesh, Dated 21st June, 2017 के पैरा संख्या 3.4 (vi) (b) में विहित निर्देशों के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त antenna, जोकि mobile tower को share करता है, उसके एवज में mobile tower के वार्षिक नवीनीकरण शुल्क के 60% के बराबर अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है | परंतु निगम द्वारा निगम क्षेत्र में स्थापित mobile towers एवं उनके अतिरिक्त antennas की संख्या एवं उनके एवज में अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई शुल्क की वसूली के संदर्भ में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई | इससे यह प्रतीत होता है कि निगम द्वारा न तो इस संदर्भ में किसी अभिलेख का रख रखाव किया गया है तथा न ही शुल्क की वसूली की गई थी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित कार्रवाई एवं दिनांक 21/06/2017 से निगम क्षेत्र में स्थापित अतिरिक्त antennas के संदर्भ में उपरोक्त शुल्क की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 38 दिनांक 12/10/21 द्वारा नगर निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः उपरोक्त अनियमितताओं के संदर्भ में अब अपेक्षित कार्यवाही एवं देय शुल्क की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 पार्किंग शुल्क :-

(i) पार्किंग नीलामी राशि लगभग ₹17.07 लाख वसूली हेतु शेष होना :-

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "झ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा विभिन्न संविदाकारों जिन्हें

अंकेक्षण अवधि के दौरान निगम क्षेत्र में स्थित विभिन्न पार्किंग स्थलों के नीलामी द्वारा ठेके दिये गए थे उनसे दिनांक 31/03/21 को नीलामी से संबन्धित ₹1707240/- (298200+1409040) राशि वसूली हेतु शेष थी जोकि अनियमित है। इस कारण नगर निगम को न केवल उक्त राशि बल्कि इस राशि पर ब्याज की जो आय प्राप्त हो सकती थी उससे भी वंचित होना पड़ा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा उपरोक्त राशि की वसूली अविलंब करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(ii) पार्किंग स्थलों के आबंटन हेतु प्रयाप्त प्रतिक्रिया (sufficient response) न आने के बावजूद पुन: टेंडर आमंत्रित न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न पार्किंग स्थलों का आबंटन एक टेंडर के आधार पर कर दिया गया था | यदि पार्किंग स्थलों के आबंटन हेतु केवल एक ही टेंडर प्राप्त हुआ था तो उस स्थिति में टेंडर पुन: आमंत्रित किए जा सकते थे ताकि अधिक टेंडर प्राप्त होते जिसके फलस्वरूप पार्किंग स्थलों के अधिक राशि पर आबंटन किए जाने तथा निगम कोष को लाभ होने की संभावना हो सकती थी जोकि नहीं किया गया | अत: पार्किंग स्थलों के आबंटन हेतु प्रयाप्त प्रतिक्रिया प्राप्त न होने के बावजूद पुन: टेंडर आमंत्रित न किए जाने बारे औचित्य प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	वर्ष	पार्किंग स्टाल का नाम	संविदाकार का नाम	टेंडर से संबन्धित राशि (₹)
1	2019-20	Working women hostel	श्री विनय कुमार	37200/-
2	2019-20	Tank road	श्री विनय कुमार	79200/-
3	2019-20	Kotlaa nala	श्री अरुण मेहता	181200/-
4	2020-21	Working women hostel	श्री जितेंदर कुमार	28896/-
5	2020-21	Lohar muhala	श्री भूपेन्दर	48600/-

(iii) पार्किंग स्थल का ठेका छोड़ने पर धरोहर / अग्रिम राशि के जब्त किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट न करना :-

पार्किंग स्थलों के आबंटन से संबन्धित शर्त संख्या 14 में विहित निर्देशों के अनुसार यदि कोई संविदाकार पार्किंग का ठेका छोड़ता है तो उस स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि को जब्त किया जाना अपेक्षित था | परंतु निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए संविदाकारों जिन्होंने पार्किंग के ठेके छोड़ दिये थे उनकी अग्रिम राशियों जब्त की गई थी या नहीं इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा जब्त की गई अग्रिम राशियों का सत्यापन आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाया जाये |

क्रम संख्या	वर्ष	पार्किंग स्थल का शीर्ष	संविदाकार का नाम	ठेके की राशि(₹)	धरोहर / अग्रिम राशि(₹)
1	2020-21	Parking near old bus stand	श्री हेमंत कुमार	1096800/-	100000
2	2020-21	Parking near PWD rest house	श्री हितेन्द्र कुमार	900000/-	100000
3	2020-21	Parking near railway road	श्री दर्शन गौतम	229200/-	100000

(iv) संविदाकरों को आबंटित राशि पर दी गई छूट (rebate) के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत न करना :-

(i) निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए संविदाकारों को टेंडर की आबंटित राशि पर 20% छूट दी गई थी | निगम द्वारा चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि यह छूट कोविड महामारी के चलते दी गई थी परंतु इस छूट दिये जाने के संदर्भ में नगर निगम सदन का

अनुमोदन अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया जिसके अभाव में छूट की राशि के सही एवं औचित्य पूर्ण होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

क्रम संख्या	वर्ष	पार्किंग स्थल का शीर्ष	संविदाकार का नाम	जितनी राशि पर पार्किंग स्थल ठेके पर दिया गया था (₹)	20% छूट उपरांत ठेके की आबंटित राशि (₹)
1.	2020-21	Sunny side	श्री गौरव ठाकुर	606000	484800
2.	2020-21	Mc parking	श्री गौरव ठाकुर	1224000	979200
3.	2020-21	Tank road	श्री जितेंदर कुमार	62400	49920
4.	2020-21	Women hostel	श्री जितेंदर कुमार	36120	28896
5.	2020-21	Kotla nala	श्री अरुण मेहता	207600	166080
6.	2020-21	Saproon gurdwara	श्री अरुण मेहता	720000	576000
7.	2020-21	Old court road	श्री सुरेश कुमार	1021200	766960 (लगभग 25% की छूट दी गई)

(v) नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी से संबन्धित सूचना (notice) में विहित शर्तों का स्वयं पालन न करना :-

नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों के नीलामी द्वारा आबंटन हेतु जारी सूचना में विहित शर्त के अनुसार संविदाकारों से एक निश्चित राशि प्रतिभूति के रूप में ली जानी

अपेक्षित है | प्राय: इस राशि को पार्किंग स्थल के ठेके की अवधि के समाप्त होने के पश्चात पार्किंग स्थल के ठीक पाये जाए की स्थिति में संबन्धित संविदाकर को लौटाया जाना अपेक्षित होता है जबकि निगम द्वारा प्रतिभूति से संबन्धित इस राशि का समायोजन संविदाकार द्वारा नीलामी उपरांत ठेके हेतु देय राशि के विरुद्ध किया जा रहा था तथा संविदाकार से नीलामी की राशि प्रतिभूति से संबन्धित राशि कम कर के ली जा रही थी जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है | प्रतिभूति से संबन्धित राशि के नीलामी हेतु देय राशि में समायोजन के उपरांत निगम के पास संविदाकार की ऐसी कोई भी राशि नही बचती है जिससे पार्किंग स्थल के ठेके की अवधि की समाप्ति के उपरांत पार्किंग स्थल को हुई किसी भी प्रकार की हानि की भरपाई की जा सके | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में इन अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

(vi) अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

नीलामी सूचना में विहित शर्त 9 के अनुसार नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों की नीलामी के पश्चात संबन्धित संविदाकारों के साथ अनुबंध किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाये गए पार्किंग स्थलों की नीलामियों उपरांत संविदाकारों के साथ किए गए अनुबंध से संबन्धित दस्तावेज़ न तो अवलोकन हेतु प्रस्तुत किए गए तथा न ही इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अनुबंध संबंधी दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाये |

क्रम संख्या	वर्ष	पार्किंग स्थल का शीर्ष	संविदाकार का नाम	जितनी राशि पर पार्किंग स्थल ठेके पर दिया गया (₹)
1.	2019-20	PWD rest house	श्री प्रदीप कुमार	438000
2.	2019-20	Lohar muhalla	श्री वीरेंदर ठाकुर	121200

3.	2019-20	Old Court road	श्री सुरेश ठाकुर	159000
4.	2020-21	Near working woman hospital	श्री जितेंदर ठाकुर	28896
5.	2020-21	Near old bus stand	श्री गोपाल कृषन	480000
6.	2020-21	Kotla nala	श्री अरुण मेहता	166080
7.	2020-21	Lohar muhalla	श्री भूपेन्दर जसवाल	48600
8.	2020-21	Old Court road	श्री सुरेश ठाकुर	766960
9.	2020-21	Tank road	श्री जितेंदर कुमार	49920
10.	2020-21	Saproon bye pass	श्री अरुण मेहता	576000

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त अधिकतम अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 20 दिनांक 08/09/2021 द्वारा निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

14 कूड़ा शुल्क :-

निगम द्वारा घर घर से (door to door) कूड़ा शुल्क से प्राप्त आय की संबन्धित अभिलेख के साथ नमूना परीक्षण के दौरान अभिलेख के रख रखाव में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) आवासियों से प्राप्त आय की संबन्धित पंजिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों से मिलान के दौरान पाया गया कि रसीदों में दर्ज आवासियों के नाम, प्राप्त राशि, वार्ड संख्या, आबंटी संख्या पंजिकाओं में दर्ज आवासी के नाम, वार्ड संख्या, आबंटी संख्या के साथ मिलान नहीं

खाते थे | इस कारण रसीदों पर प्राप्त आय का पंजिकाओं में दर्ज आवासियों से प्राप्त आय से मिलान संभव नहीं हो सका | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

क्र सं	माह	रसीद संख्या	रसीद के अनुसार नाम / वार्ड संख्या / आबंटी संख्या	रसीद के अनुसार प्राप्त राशि (₹)	पंजिका में वार्ड संख्या / आबंटी संख्या के समक्ष दर्ज नाम
1.	03/21	514/33	वरुण / D(11) / 277	640	आर एस नेगी
2.		511/17	रेखा / D(11) / 444	700	सीता राम
3.		505/3	डबली	656	महाराज ट्रेडर / D(5)278
4.		511/13	शिव चन्द्र / D(13) / 150	2861	यशपाल / D(11) / 272
5.		511/92	देवेंद्र सिंह / D(10) / 242	165	वीरेंदर सिंह / D(11)/380
6.		513/95	दलीप मोदगिल / D(11) / 95	210	दलीप
7.		508/72	ओ सी परिहार	300	राम दयाल
8.		504/12	रूप चंद / D(10) / 48	1260	रूप चंद
9.		503/94	गनपत राम / D(5) / 361	220	हिमेन्द्र सिंह

(ii) पंजिकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा आवासियों के खातों को अद्यतन (update) नहीं किया गया था | इस कारण खाते आवासियों से प्राप्त एवं बकाया राशि बारे स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं जिसके चलते निगम निधि को होने वाली वित्तीय हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा खातों को अधत करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	पंजिका में दर्ज नाम / वार्ड संख्या / आबंटी संख्या	टिप्पणी
1.	5	ओम ट्रेडर D(5)349	खाते में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी
2.	5	राम D(5)352	यथोपरि
3.	5	शाहरुख खान D(5)375	यथोपरि
4.	5	जगदीश लाल D(5)359	खाते में 12/2020 के पश्चात कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी
5.	6	गुलाब सिंह D(6)603	खाते में 09/2020 के पश्चात कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी	
6.	6	पंजाब केसरी समाचार D(6)609	खाते में 06/2020 के पश्चात कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी
7.	10	राधा कृष्णन D(5)281	खाते में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गई थी
8.	10	ओंकार D(5)283	खाते में 07/2020 के पश्चात कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी

(iii) अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा रसीदों पर प्राप्त कूड़ा शुल्क की अवधि से संबन्धित विवरण दर्ज नहीं किया गया था जिस कारण प्राप्त शुल्क किस अवधि से संबन्धित है तथा किस अवधि का शुल्क वसूली हेतु शेष है इस बारे आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में अभिलेख (पंजिकाओं, रसीदें आदि) पर कूड़ा शुल्क की

अवधि से संबन्धित विवरण का उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि आवासियों से प्राप्त एवं बकाया शुल्क की राशियों की पुष्टि संभव हो सके |

क्रम संख्या	रसीद संख्या / दिनांक	नाम	राशि (₹)
1.	513/62 / 25/3/21	रामा नन्द शर्मा	930
2.	514/60 / 27/3/21	अभिनव	2940
3.	515/50 / 30/3/21	गौतम चंद	777
4.	515/72 / 30/3/21	शमशेर	3047
5.	515 / 86 / 30/3/21	आराध्य	574
6.	518/6 / 30/3/21	पीएनबी बैंक	6950
7.	518 / 34 / 31/3/21	होटल उत्सव	12390
8.	518 / 45 / 31/3/21	माउंटेन पिजा	5560

(iv) कूड़ा शुल्क से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा रसीद बुकों का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा था | एक रसीद बुक के पूर्ण उपयोग से पूर्व ही उससे अगले क्रमांक की रसीदों का प्रयोग आरंभ कर दिया गया था | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है जिनके संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा शेष बची रसीदों का पूर्ण उपयोग करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	रसीद संख्या / माह	जितनी उपयोग की गई
1	301 / 03/20	1 से 90 तक
2	320 / 03/20	1 से 29 तक
3	323 / 03/20	1 से 40 तक

(v) रसीद संख्या 301/90 माह 03/20 के अनुसार कूड़ा शुल्क के रूप में ₹250/- प्राप्त हुए थे परंतु यह राशि निगम निधि में जमा नहीं पाई गई | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा निगम निधि में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कटवाया जाए |

(vi) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क की मांग, प्राप्ति , बकाया राशि बारे अभिलेख का उचित रख रखाव नहीं किया जा रहा था | निगम की लेखा शाखा द्वारा **परिशिष्ट "ध"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निगम द्वारा निगम क्षेत्र से कूड़े के निस्तारण हेतु ₹41014919/- का भुगतान किया गया था तथा घर-2 कूड़ा शुल्क के रूप में ₹14015175/- प्राप्त हुए थे जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | स्पष्टतया निगम को कूड़े के निस्तारण हेतु कूड़ा शुल्क की प्राप्ति से लगभग तीन गुना राशि व्यय करनी पड़ रही है तथा इस कारण निगम कोष पर वित्तीय दबाव पड़ रहा है | निगम द्वारा कूड़ा शुल्क से संबन्धित मांग एवं प्राप्ति अभिलेख के उचित रख रखाव के अभाव में कूड़ा शुल्क की जितनी वसूली गई थी वह राशि मांग के अनुरूप है इस तथ्य की पुष्टि संभव नहीं हो सकी | निगम द्वारा कूड़ा शुल्क की मांग एवं प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख का उचित रख रखाव तथा उसके अनुरूप कूड़ा शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित है ताकि कूड़े कि निस्तारण पर हो रहे व्यय एवं प्राप्त कूड़ा शुल्क के अंतर को कम किया जा सके तथा फलसवरूप निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी निगम द्वारा इस संदर्भ में किए जा रहे नियोजन बारे अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया गया | अत: इस संदर्भ में आवश्यक नियोजन करके ठोस कदम उठाए जाए ताकि निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके | मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है |

(vii)

वर्ष	कूड़े के एकत्रीकरण एवं फिंकवाने पर आया कुल व्यय (₹)	घर घर से कूड़ा एकत्रीकरण से प्राप्त आय (₹)
2019-20	18675377.00	6417505.00
2020-21	22339542.00	7597670.00
कुल योग	**41014919.00**	**14015175.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11 दिनांक 12/07/2021, 22 दिनांक 08/09/2021 तथा 40 दिनांक 12/10/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं निगम के ध्यान में लाई गई थी जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक निगम द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

15 **शराब एवं बिजली उपकर :-**

(i) शराब उपकर:-

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट** "ञ" पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार निगम को अंकेक्षण अवधि के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग हिमाचल प्रदेश से निगम क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपया प्रति बोतल की दर से शराब उपकर की प्राप्ति निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार हुई थी :-

अवधि	राशि (₹)	टिप्पणी
2019-20	2789582.00	वर्ष 2018-19 से संबन्धित
2020-21	2115329.00	वर्ष 2019-20 से संबन्धित

अंकेक्षण के दौरान शराब उपकर की प्राप्ति से संबन्धित निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनके संदर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया :- -

(i) परिशिष्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2020-21 से संबन्धित शराब उपकर की प्राप्ति नहीं हुई थी | इस अवधि से संबन्धित प्राप्ति क्यों नहीं हुई थी निगम द्वारा इस बारे में स्थिति स्पष्ट नही की गई |

(ii) इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितनी शराब की बोतलों का विक्रय किया गया था इससे संबन्धित कोई भी विवरण / अभिलेख संबन्धित विभाग से प्राप्त करके प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण उपरोक्त तालिका के दर्शाई गई प्राप्त राशियाँ विक्रय की गई बोतलों की संख्या के अनुसार सही हैं इस तथ्य की पुष्टि संभव नही हो सकी |

(ii) बिजली उपकर :-

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट** "ञ " पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरणानुसार बिजली उपकर की प्राप्ति हुई थी |

अवधि	राशि (₹)	टिप्पणी
2019-20	1131562.00	वर्ष 2017-18 से संबन्धित
2020-21	2347714.00	वर्ष 04/2018 से 03/2021 तक

शहरी विभाग की अधिसूचना संख्याः एलएसएचडी(1)-9/94-खण्ड-II, दिनांक 13.12.2000 के अनुसार नगर निगम परिक्षेत्र के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 1.1.2001 से एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली उपकर विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर निगम को दिया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान नगर निगम क्षेत्र में प्रतिवर्ष बिजली के कितने यूनिट्स की खपत हुई थी इससे संबन्धित कोई भी विवरण / अभिलेख निगम द्वारा संबन्धित विभाग से प्राप्त करके प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण उपरोक्त तालिका में दर्शाई गई प्राप्त राशियाँ बिजली की यूनिट्स की खपत के अनुसार सही हैं इस तथ्य की पुष्टि संभव नही हो सकी |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 37 दिनांक 12/10/21 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं नगर निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: उपरोक्त अनियमितताओं के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 शराब एवं बिजली उपकर की वसूली एवं अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

16 **सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित गृहकर तदानुसार गृहकरदाताओं से मांग व वसूली न करने के कारण राजस्व हानि :-**

हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 65 में वर्णित प्रावधानो को पूर्णतया लागू करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग द्वारा समय -2 पर जारी निर्देशों के बावजूद भी नगर निगम द्वारा सोलन के अधिसूचित क्षेत्र में गृह कर अधिरोपित नहीं किया गया है | अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2002 से 3/2007 तथा इसके उपरांत सभी अंकेक्षण प्रतिवेदनों में यह प्रकरण निगम के ध्यान में निरंतर लाया जाता रहा है परन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि इस प्रकरण के प्रति नगर निगम की उदासीनता व लचर कार्यशैली को परिलक्षित करता है जिसके कारण निगम को निरंतर राजस्व हानि उठानी पड़ रही है जिसका दिनांक 31.3.2019 तक लगभग ₹154238955/- का आकलन किया गया था जोकि जोकि **परिशिष्ट "ट"** में वर्णित विवर्णानुसार दिनांक 31.3.2021 को बढ़कर ₹176300471/- आंका गया है। अंकेक्षण के दौरान इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके संदर्भ में निगम द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः आय बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा बार-बार दिशा निर्देश जारी करने के बावजूद भी निगम परिक्षेत्र में गृहकर अधिरोपित न करने को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

17 प्रदर्शन शुल्क की बकाया ₹1.27 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर निगम द्वारा यथा **परिशिष्ट "ठ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के सम्बन्धित अभिलेख के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि दिनांक 31/03/21 को सुंदर सिनेमा से ₹126700/- प्रदर्शन शुल्क वसूली हेतु शेष था | स्पष्टतया निगम द्वारा बकाया राशि की वसूली की ओर ध्यान नही दिया जा रहा है जोकि अनियमित है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में शुल्क की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाये |

18 लाईसेंस नवीनीकरण (Hand Cart) शुल्क की बकाया ₹3.37 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर निगम द्वारा यथा **परिशिष्ट "ड"** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2021 को ₹336810/- लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष था | स्पष्टतया निगम द्वारा शुल्क की वसूली नियमित रूप से नहीं की जा रही थी जोकि अनियमित है | अतः लाईसेंस फीस की वसूली न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में शुल्क की वसूली नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित की जाये |

19 विश्राम गृह की आगुंतक पंजिका (Visitor book) का रख-रखाव नियमानुसार न करना :-

नगर निगम के विश्राम गृह की आगुंतक पंजिका (Visitor book) के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि पंजिका का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था | पंजिका में दर्ज प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था | इसके अतिरिक्त पंजिका में आगुन्तकों के विश्राम गृह में आने व वहाँ से जाने के समय की प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई थी | आगुन्तकों के आने व जाने के समय की प्रविष्टियों के अभाव में उनसे प्राप्त ठहराव शुल्क के सही होने सम्बन्धी पुष्टि संभव नहीं हो सकी | इस अनियमितता बारे सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: पंजिका के रख रखाव में की जा रही

उपयुक्त कमियों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाये |

माह / पृष्ठ संख्या	**आगुंतक का नाम**	**आगुंतक के आने की तिथि**	**आगुंतक के आने का समय**	**आगुंतक के जाने की तिथि**	**आगुंतक के जाने का समय**	**प्राप्त ठहराव शुल्क**
03/2020 / 154	श्री प्रकाश	1/3/20	पंजिका में उल्लेखित नहीं था		पंजिका में उल्लेखित नहीं था		पंजिका में उल्लेखित नहीं था		300/-
	श्री चरण सिंह	3/3/20	यथोपरि	5/3/20	यथोपरि	600/-
	श्री अनिल	3/3/20	यथोपरि	5/3/20	यथोपरि	600/-
	-------	7/3/20	यथोपरि	9/3/20	यथोपरि	600/-
	---------	12/3/20	यथोपरि	उल्लेखित नहीं	यथोपरि	200/-
03/2021 / 158	श्री नरेंदर कुमार	27/2/21	यथोपरि	उल्लेखित नहीं	यथोपरि	600/-

20 **पालतु कुत्ता शुल्क से सम्बंधित अभिलेख का उचित रख-रखाव न करना :-**

नगर निगम द्वारा यथा **परिशिष्ट " ढ"** उपलब्ध करवाई गई सूचना के सम्बन्धित पंजिका के साथ पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर निगम को वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में क्रमश: ₹600/- तथा ₹250/- कुत्ता शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी परंतु नगर निगम द्वारा दिनांक 31/03/2021 को कुल कितने कुत्ता मालिकों टोकन जारी किए गए थे न तो इससे संबन्धित कोई सूचना लिखित रूप में अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 21 दिनांक 01/06/2021 द्वारा आग्रह के बावजूद उपलब्ध करवाई गई तथा न ही निगम द्वारा अनुरक्षित पंजिका कुत्ता शुल्क की वसूली हेतु बकाया राशि बारे स्थिति स्पष्ट करती थी | अपितु चर्चा के दौरान निगम द्वारा वास्तविक जारी टोकनों की संख्या तथा उनके संदर्भ में वसूली हेतु बकाया राशि की पुन: समीक्षा करके अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने का आश्वासन दिया गया था | अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2

संबन्धित अभिलेख को अदृत (update) करके तथा दिनांक 31/03/2021 को कुत्ता शुल्क की वसूली हेतु बकाया राशि की गणना एवं वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

21 **अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

(i) अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरणानुसार आय की प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 34 दिनाक 11/10/2021 द्वारा अभिलेख की मांग की गई थी जोकि अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

क्रम संख्या	दिनांक	शीर्ष	राशि (₹)
1	9/3/20	unclassified income	4206/-
2	15/3/21	यथोपरि	5000/-
3	20/3/21	यथोपरि	2155/-

(ii) अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 34 दिनांक 11/10/2021) के पश्चात भी निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार प्राप्त आय ₹3796/- की जमा संबन्धित बैंक खातों में नहीं दर्शाई गई | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित बैंक खातों में जमा से संबन्धित प्रविष्टि की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान कारवाई जाये |

क्रम संख्या	दिनांक	शीर्ष	राशि (₹)
1	9/3/20	tender form sale	200/-
2	28/3/20	un earmarked investment	3596/-
		योग	**₹3796/-**

(iii) अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 15/07/2021) के बावजूद निगम द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विज्ञापन शुल्क के रूप में प्राप्त आय से संबन्धित सूचना संबन्धित अभिलेख सहित प्रस्तुत नहीं की जिस कारण इस संदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

(iv) अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित आग्रह (अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 41 दिनांक 12/10/2021) के बावजूद भी निगम द्वारा सलोगड़ा में स्थित कूड़ा निस्तारण सयन्त्र पर अंकेक्षण अवधि के दौरान हुए आय / व्यय की सूचना संबन्धित अभिलेख सहित प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण इस संदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त सूचना संबन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए |

22 **आय से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव सही रूप से न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था | मोबाइल टावर शुल्क पंजिका, पार्किंग शुल्क पंजिका, दुकानों / स्टालों के किराये सम्बन्धी पंजिका, लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क पंजिका, सफाई शुल्क पंजिका आदि में प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था | इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित प्रभारियों / सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो समय-2 पर इन अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा था न ही इनके रख रखाव तथा आय की प्राप्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था | इस कारण एक ओर जहां इन पंजिकाओं में की गई प्रविष्टियाँ उचित प्रतीत नही होती है वहीँ दूसरी ओर आय की प्राप्ति में भी विलम्ब होता है जिसके फलस्वरूप नगर निगम कोष को हानि उठानी पड़ रही है | साथ ही कई खातों में बकाया शेषों को update भी नहीं किया गया था जोकि अनियमित है तथा नगर निगम द्वारा वसूली हेतु बकाया राशि की गणनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता हैं | अंकेक्षण के

दौरान एवं गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी पैरा संख्या 21 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है जोकि अनियमित है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त अभिलेख के रख रखाव तथा समय-2 पर इनके अवलोकन उपरान्त आय की प्राप्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए |

23 **स्थापना :-**

(i) Family pension के भुगतान संबंधी अनियमितताएं :-

(क) ₹3.78 लाख family pension का अधिक अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार के D.M.No.fin(Pen)A(3)-1/09Part-1 दिनांक 14.10.2008 के पैरा संख्या 8.2 में वर्णित निर्देशों के अनुसार कर्मचारी की सेवानिवृति से पूर्व तथा बाद में मृत्यु के पश्चात उसके आश्रित को दी जा रही family pension से संबन्धित राशि का क्रमश: 10 तथा 7 साल बाद normal rate पर restore किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "ण"** में उल्लेखित प्रकरणों में family pension को नियमानुसार normal rate पर restore नहीं किया गया था तथा इस कारण पेंशनर्स को ₹378384/- पैंशन से संबन्धित राशि का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा उक्त राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

(ख) अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पैंशन के भुगतान से संबन्धित 2016 से पूर्व का अभिलेख / पंजिका प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण **परिशिष्ट "ण-1"** में दर्शाई गई तिथियों को फॅमिली पेंशनरों की normal rate पर restore की गई फेमिली पैंशनकी राशि का संत्यापन संभव

नहीं हो पाया | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबन्धित अभिलेख आवशयक सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

(ii) रिहायशी आवास आबंटित करने के संदर्भ में License fee की कटौती न करने तथा गृह कर भत्ते (HRA) का भुगतान करने के कारण नगर निगम कोष को ₹0.16 लाख की हानि होना :-

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "त"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार सहायक अभियंता को माह नवंबर 2020 को type II कार्यकारी अधिकारी रिहायशी आवास, आवास हेतु आबंटित किया था | वेतन पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि नगर निगम द्वारा सहायक अभियंता के वेतन में से नवंबर/2020 से अक्तूबर / 2021 तक एक ओर जहां licence fee की कटौती नहीं की गई थी तथा साथ ही गृह कर भत्ते (HRA) का भुगतान भी किया गया था जोकि अनियमित है | परिणामस्वरूप नगर निगम कोष में से ₹16056/- { 4656 [388/- (license fee)x12 माह] + [5400(900, गृह कर भत्ता प्रति माह) x 6 + [6000 (1000, गृह कर भत्ता प्रति माह) x 6]} को हानी हुई थी | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹16056/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

(iii) श्री दीप राज (चालक) के वेतन के गलत निधार्रण करने के कारण ₹0.02 लाख वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना :-

नगर निगम द्वारा श्री दीप राज (चालक) को 20 वर्ष पश्चात दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान की गई थी | सेवा पंजिका में प्रविष्टि के अनुसार श्री दीप राज ने दिनांक 28/09/1998 को सेवा में कार्य ग्रहण किया था जिसके अनुसार उन्हें दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 28/09/2018 को दिया जाना अपेक्षित था परंतु निगम द्वारा यह लाभ दिनांक 01/09/2018 प्रदान किया गया था जोकि अनियमित है | परिणामत: संबन्धित कर्मचारी को निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार ₹2507/- वेतन का

अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹2507/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

दिनांक 01/09/2018 से 30/09/2018 तक वेतन का किया गया भुगतान	दिनांक 01/09/2018 से 27/09/2018 तक जितने वेतन का भुगतान कियाया जाना अपेक्षित था	वेतन का अधिक भुगतान (1-2)
मूल वेतन = 15130/-	मूल वेतन = 14080/-	2507/-
ग्रेड पे = 3000/-	ग्रेड पे = 3000/-	
DA = 26107/- (144%)	DA = 24592/- (144%)	
IR= 3807/- (21%)	IR= 3587/- (21%)	
योग = 48044/- ---(1)	योग = 45259/-	
	देय वेतन = 45259/- x27/30=40733 –(क)	
	दिनांक 28/09/2018 से 30/09/2018 तक जितने वेतन का भुगतान कियाया जाना अपेक्षित था	
	मूल वेतन = 15130/-	
	ग्रेड पे = 3000/-	
	DA = 26107/- (144%)	
	IR= 3807/- (21%)	
	योग = 48044/-	
	देय वेतन = 48044/- x3/30=4804/- --(ख)	
	माह 09/2018 हेतु कुल देय वेतन = 45537/- (40733+4804) --- (2) (क+ख)	

(iv) ₹0.20 लाख सेवानिवृत ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान करना :-

नगर निगम द्वारा श्री जय चंद (मीटर रीडर) को सेवानिवृति पश्चात ₹454545/- का भुगतान किया गया था | श्री जाए चंद ने नगर निगम में दिनांक 01/07/1999 से 31/05/2020 तक सेवाएँ दी थी | सेवानिवृति ग्रेच्युटी की गणना हेतु 43 अर्ध वार्षिक अवधियों के स्थान पर 45 अर्ध वार्षिक अवधियाँ ली गई थी | परिणामत उन्हें ₹20201/- { 454545/- [15970 (13570+2400)+ 153% DA x 45 / 4] - 434344 [15970 (13570+2400)+ 153% DA x 43 / 4] सेवानिवृत ग्रेच्युटी का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹20210/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(v) ₹0.01 लाख **Leave encashment का अधिक भुगतान करना :-**

नगर निगम द्वारा स्व० श्री राज कुमार (जमादार) के आश्रितों को दिनांक 25/10/2019 को उनकी मृत्यु उपरांत ₹113602/- leave encashment का भुगतान किया गया था | यह भुगतान 78 दिन के अर्जित अवकाश शेष हेतु किया गया था परंतु अर्जित अवकाश खाते की पड़ताल के दौरान पाया गया कि अर्जित अवकाश का शेष 77 दिन बनता था | फलसवरूप ₹1456/- { ₹113602/- [17270 (15470+1800)+ 153% DA x 78 / 30] – 112146/- [17270 (15470+1800)+ 153% DA x 77 / 30] leave encashment हेतु अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹1456/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(vi) संविदा (contract) के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ₹339/- के अधिक भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदा पर नियुक्त किए गए कर्मचारी श्री देश राज, लिपिक को एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान कि गई थी जिसके फलसवरूप उन्हें ₹339/- का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है | कर्मचारी को किए गए अधिक भुगतान का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹339/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपलना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये|

नाम	पद	कार्य ग्रहण करने की तिथि	आगामी वर्ष जिस तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जानी थी		जिस तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई		दिनों का अधिक भुगतान	अधिक भुगतान (₹)
श्री देश राज	लिपिक	16/08/2018	16/08/2019	01/08/2019	15	113
		16/08/2019	16/08/2020	01/08/2020	15	113
		16/08/2020	16/08/2021	02/08/2021	15	113
					कुल योग	₹339/-

(vii) स्थापना (Establishment) पर लाभग ₹713.47 लाख का अनियमित व्यय किया जानाः-

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 53 (1) (c) में विहित निर्देशों के अनुसार स्थापना पर व्यय नगरपालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं किया जा सकता है । नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "थ"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान स्थापना पर ₹71346722/- का व्यय निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार उपरोक्त धारा में विहित सीमा से अधिक किया गया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्यां 36

दिनांक 12/10/2021 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितता के संदर्भ मे स्पष्टिकरण माँगा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक नगर निगम द्वारा इस बारे कोई भी औचित्य / स्पष्टिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

वर्ष	कुल व्यय	कुल व्यय का 1/3 (क)	स्थापना पर किया गया व्यय (ख)	अधिक किया गया व्यय (ख-क)
2019-20	210457241.00	70152414.00	107633625.00	37481211.00
2020-21	228195198.00	76065066.00	109930577.00	33865511.00
			कुल योग	**₹71346722.00**

(viii) नगर निगम निधि में से लगभग ₹50.09 लाख का Gratuity हेतु अनियमित भुगतानः-

अंकेक्षण अवधि के दौरान निगम द्वारा ग्रेच्युटी निधि मे यथेष्ट (sufficient) राशि न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान नगर निगम निधि में से किया गया था । नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "द"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2021 तक नगर निगम निधि में से ₹5008573/- ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया था| नगर निगम निधि में से ग्रेच्युटी के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। अतः नगर निगम निधि में से ग्रेच्युटी का भुगतान किए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा 31.3.2021 तक नगर निगम निधि में से ग्रेच्युटी हेतु किए गए अनियमित भुगतान से संबन्धित राशि की उपयुक्त स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके एवं नगर निगम निधि में जमा करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ix) नगर निगम निधि में से लगभग ₹1070.00 लाख का Pension हेतु अनियमित भुगतानः

अंकेक्षण अवधि के दौरान निगम द्वारा पेंशन निधि मे यथेष्ट (sufficient) राशि न होने पर सेवानिवृत कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नगर निगम निधि में से किया गया था । नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "द"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार

दिनांक 31.3.2021 तक नगर निगम निधि में से ₹107000257.05/- पेंशन का भुगतान किया गया था | अतः नगर निगम निधि में से पेंशन का भुगतान किए जाने के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा 31.3.2021 तक नगर निगम निधि में से पेंशन हेतु किए गए अनियमित भुगतान से संबन्धित राशि की उपयुक्त स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके एवं नगर निगम निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 34 दिनांक 11/10/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं अवशयक स्पष्टीकरण हेतु निगम के ध्यान में लाई गई थी जिनके सदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

(x) पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि में नियोक्ता अंशदान की गणना वेतनमान के अधिकतम एवं ग्रेड पे को जोड़ कर करना :-

पेंशन एवं ग्रेच्युटी नियोक्ता अंशदान हेतु कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम पर क्रमश: 12% तथा 5% की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा पेंशन एवं ग्रेज्युटी नियोक्ता अंशदान की गणना वेतनमान के अधिकतम में ग्रेड पे जोड़ कर की गई थी जोकि अनियमित है | निम्न तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार माह 09/2019 तथा 03/2021 में पेंशन तथा ग्रेज्युटी अंशदान हेतु क्रमश: ₹63580/- तथा ₹14404/- का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की गई राशि सहित पूर्व में किये गए अधिक भुगतान का समाधान भविष्य में देय नियोक्ता अंशदान में समायोजन करके किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

माह	जितना पेंशन अंशदान किया गया था (क)	ग्रेड पे छोड़ कर जितना पेंशन अंशदान किया जाना अपेक्षित था (ख)	पेंशन का अधिक किया गया अंशदान था (क-ख)	जितना ग्रेज्युटी अंशदान किया गया था (ग)	ग्रेड पे छोड़ कर जितना ग्रेज्युटी अंशदान किया जाना अपेक्षित था (घ)	ग्रेज्युटी का अधिक किया गया अंशदान (ग-घ)
09/19	281862	250072	31790	117444	110242	7202
03/21	281862	250072	31790	117444	110242	7202
		योग	**63580/-**		**योग**	**₹14404/-**

(xi) सेवा पंजिकाओं के रख रखाव संबंधी अनियमितताएं :-

(क) सेवा पंजिकाओं के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि श्री देवी राम (कनिष्ठ सहायक) सेवा की पंजिका में कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि से संबन्धित प्रविष्टियों को दिनांक 01/03/2014 के पश्चात अद्यतन (update) नहीं किया गया था परंतु माह 03/2021 में उसे ₹13860 +3600 के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया था | सेवा पंजिका में वार्षिक वेतन वृद्धि से संबन्धित प्रविष्टियाँ दिनांक 01/03/2014 के पश्चात दर्ज न होने के कारण माह 03/2021 में ₹13860+3600 के आधार पर कर्मचारी को किए गए वेतन के भुगतान की सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा सेवा पंजिका में देय वेतन से संबन्धित प्रविष्टियों को अधत करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(ख) सेवा पंजिकाओं के नमूना परीक्षण के पश्चात पाया गया कि छुट्टी के खातों का अद्यतन (update) नहीं किया गया था | इस कारण खाते कर्मचारियों की छुट्टियों के शेष के संदर्भ में सही स्थिति नहीं दर्शाते थे जोकि अनियमित है | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं | नगर निगम द्वारा इस अनियमितता के संदर्भ में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**कर्मचारी का नाम**	**पद**	**जिस तिथि के पश्चात छुट्टी के खातों का अद्यतन (update) नहीं किए गए थे |**
1.	श्री उमेश	कनिष्ठ सहायक	30/06/2013
2.	श्री कुलदीप	वरिष्ठ सहायक	31/12/2019
3.	श्री हेमंत कुमार	लेखाकार	30/06/2013
4.	श्री देवी राम	कनिष्ठ सहायक	30/06/15
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार	कीमेन	31/12/2018
6.	श्री प्रदीप कुमार	लिपिक	31/12/18

7.	श्री नरेश कुमार	लिपिक	31/12/2009
8.	श्री देविन्दर सिंह	लिपिक	30/06/2013
9.	श्री दया नन्द	लिपिक	31/12/2011
10.	श्री राकेश	मेट	30/06/2007
11.	श्री कृष्ण दत्त	बेलदार	31/12/2009
12.	श्री रामनन्द	बेलदार	31/12/2009
13.	श्री देश बहादुर	बेलदार	31/12/2019
14.	श्री विनोद कुमार	सफाई कर्मचारी	30/06/2012
15.	श्रीमती रमा देवी	सफाई कर्मचारी	31/12/2012
16.	श्री सुनील कुमार	कनिष्ठ अभियंता	30/06/19
17.	श्री राजेश कुमार	सफाई निरीक्षक	31/12/18
18.	श्री दीप राज	चालक	31/12/2018
19.	श्री पवना कुमारी	लिपिक	30/06/2015
20.	श्री आकाश	सफाई कर्मचारी	28/08/2020
21.	श्री महेश्वर	क्लीनर	31/12/2017
22.	श्री कपूर सिंह	चौकीदार	30/06/19
23.	श्री हेम प्रकाश	चपड़ासी	31/12/2009
24.	श्री सुदिश कुमार	बिल वितरक	30/06/14
25.	श्री शेर सिंह	बेलदार	13/12/2015

(ग) वेतन भुगतान पंजिकाओं के रख रखाव बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वेतन भुगतान पंजिका (वर्ष 2019-20 तथा 2020-21) का रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था | वेतन पंजिका में की गई भुगतान से संबन्धित कुछ प्रविष्टियों को संबन्धित प्राधिकारी / कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | वेतन पंजिका का नियमानुसार सही रख रखाव न करना एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजिका में प्रविष्टियों का सत्यापन न करना अनियमित है | इस कारण एक ओर जहां वेतन के गलत भुगतान की संभावना बनी रहती है, वही दूसरी ओर प्रविष्टियों की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से

आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

क्रम संख्या	वर्ष	पंजिका में जिस अवधि से संबन्धित वेतन भुगतान की प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था	
1	2019-20	माह 04 से 06/2019
2	2020-21	माह 03/2021

(घ) पेंशन भुगतान पंजिकाओं के रख रखाव बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वेतन भुगतान पंजिका (वर्ष 2019-20 तथा 2020-21) का रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था | पेंशन पंजिका में की गई भुगतान से संबन्धित कुछ प्रविष्टियों को संबन्धित प्राधिकारी / कर्मचारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | इस कारण जहां एक ओर पेंशन के गलत भुगतान की संभावना बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर प्रविष्टियों की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये ताकि भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

क्रम संख्या	**वर्ष**	**पंजिका में जिस अवधि से संबन्धित पेंशन भुगतान कि प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था |**
1	2019-20	माह 03/2020
2	2020-21	माह 10/2020 से 03/2021

अंकेक्षण के दौरान उपरोक्त वर्णित अनियमितताएं आवश्यक स्पष्टीकरण एवं कार्रवाई हेतु निगम के घ्यान में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 47 दिनाक 14/10/2021 द्वारा लाई गई थी जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

(xii) मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के नियंत्रित (regulated) भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई न करना :-

मकान किराया भत्ता व चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के संदर्भ में अनियमित व्यय के नियंत्रण हेतु समय-2 पर समस्त कर्मचरियों से नियमानुसार विहित प्रपत्रों पर आवश्यक सयुक्त घोषणा पत्र (Joint declaration) तथा परिवार के आश्रितों की सूची (list of family dependents) से संबन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित है ताकि जिन कर्मचारियों के पति या पत्नी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभाग, बोर्ड कॉर्पोरेशन इत्यादि में कार्यरत्त हो तो उपरोक्त भुगतान दोनों में से किसी एक कर्मचारी द्वारा ही प्राप्त किया जाए। अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 21 दिनांक 01/06/2021 द्वारा निगम से उन कर्मचारियों जिनके पति या पत्नी सरकारी/अर्ध-सरकारी विभाग, बोर्ड कॉर्पोरेशन इत्यादि में कार्यरत हो बारे जानकारी मांगी गई थी जोकि अंकेक्षण की समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में इस सन्दर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

व्यय :-

24 **क्रय औपचारिकताए पूर्ण किए बिना ₹3.32 लाख का भुगतान करना :-**

हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के अनुसार स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन्न सेवाओं / मुरम्मत कार्यों हेतु ₹3000/- से अधिक भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाई जानी अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए ₹332655/- भुगतान से पूर्व नियमानुसार क्रय औपचारिकताए पूर्ण नहीं की थी क्योंकि अंकेक्षण के दौरान आग्रह के

बावजूद भी इस संदर्भ में संबन्धित अभिलेख यथा अवतरनें, निविदाएँ आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | उपरोक्त अनियमितता ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021 द्वारा भी नगर निगम के ध्यान में आवश्यक कार्रवाई / स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹3.32 लाख के भुगतान को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)	विवरण
03/2021	685	23600	Tilak Varun & associates को GST & EPF रिटर्न फाइल करने हेतु भुगतान	
	686	18223	Tilak Varun & associates for filing GST & EPF रिटर्न फाइल करने हेतु भुगतान	
	732/317	150000	Bizap waste decomposer तथा bizap order remover के क्राय हेतु भुगतान	
	734	71200	फेस मास्कस एवं गलब्स का क्रय	
09/2019	249-B	24632/- (4810+3333 +4488+8284 +3717) (कुल भुगतान 51670/-)	जल आपूर्ति की पाइप फिटिंग से संबन्धित वस्तुओं के क्रय हेतु भुगतान	
	304	45000	दशहरे के दौरान पुतले बनाने हेतु किया गया भुगतान	
	कुल योग	**₹332655/-**	

25 कर्मचारियों की सेवाएँ outsource करने संबंधी अनियमितताएं :-

(i) सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विभिन्न कर्मचारियों की सेवाएँ outsource करना तथा ₹29.20 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 170 तथा 112 में विहित प्रावधानों के अनुसार क्रमश: किसी भी पद के सृजन एवं उस पद पर नियुक्ति हेतु तथा कर्मचारियों की सेवाएँ outsource किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है | इसके अतिरिक्त letter NO. Fin(C)-B(15)-8/2013, Government of Himachal Pradesh, Finance (Regulation) Department, Dated : Shimla -171002, the 01/07/2017 में विहित निर्देशों के अनुसार सेवाएँ out source किए जाने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति ली जानी अपेक्षित है | नगर निगम द्वारा शहरी आजीविका केंद्र (City livelihood centre) से विभिन्न कर्मचारियों की सेवाएँ outsource की थी जिसकी एवज में शहरी आजीविका केंद्र को निगम द्वारा चयनित मासों में निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार ₹2920878/- का भुगतान किया था परंतु कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021) के पश्चात भी सेवाएँ outsource किए जाने के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में निगम द्वारा किए गए ₹2920878/- के भुगतान की औचित्यता पर प्रश्न चिन्ह है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या / माह	राशि (₹)	टिप्पणी
03/2021	684	1768116	माह 02/21 हेतु घर घर से कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मचारियों, माली, चौकीदार, लाइन

			मैन आदि 160 कर्मचारियों तथा चालक (3), डाटा एंट्री ऑपरेटर (2), वर्क सुपरवाइजर (1), पटवारी (1) कुल मिला कर 167 कर्मचारियों को किया गया वेतन का भुगतान |
09/2019	269	998710/-	158 सफाई कर्मचारियों को माह 08/21 के वेतन का किया गया भुगतान |
	271	154052/-	माह 08/219 हेतु [72000 (8, लाइन मेन)+18000 (2, चालक)+9000 (1, लाइब्रेरी सहायक) +9000 (1, चौकीदार)+18000(2, माली)+ 10052 (9052+1000(प्रोत्साहन राशि), 1, डाटा एंट्री ऑपरेटर @292/- दैनिक) + 18000 (2, पटवारी)]
	कुल योग	**₹2920878/-**	

(ii) सफाई कर्मचारियों को ₹2.57 लाख प्रोत्साहन राशि (incentive) के भुगतान के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा CLC से घर घर से कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मचारियों, माली, चौकीदार, लाइन मैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि कर्मचारियों की सेवाएँ outsource की थी| इन कर्मचारियों को माह 02/2021 के वेतन के साथ निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि ₹257736/- (256736+1000) का भुगतान किया गया था | निगम द्वारा इस राशि के भुगतान के संदर्भ में न तो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत की गई तथा न ही संबन्धित नियम / प्रावधान से अवगत करवाया गया जिसमें विहित निर्देशों के अनुसार यह भुगतान किया गया था जिसके अभाव में किए गए भुगतान को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त राशि ₹257736/- सहित अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गये प्रोत्साहन राशि के कुल भुगतान की गणना अपने स्तर

पर करके किये गए भुगतान को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कर नियमित करवाया जाये या फिर इस राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)	प्रोत्साहन राशि (₹)	टिप्पणी
03/2021	684	1768116/-	256736/-	सफाई कर्मचारियों को माह 02/2021 के वेतन के साथ किया गया प्रोत्साहन राशि का कुल भुगतान	
09/2019	271	154052/-	1000/-	डाटा एंट्री ऑपरेटर को माह 02/2021 के वेतन के साथ किया गया प्रोत्साहन राशि का भुगतान	
		कुल योग	**₹257736/-**	

(iii) ₹1.60 लाख वेतन तथा सर्विस चार्ज का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा शहरी आजीविका केंद्र (City Livelihood Centre) से घर घर से कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मचारियों, माली, चौकीदार, लाइन मैन कर्मचारियों की सेवाएँ out source की थी | CLC द्वारा निगम को प्रस्तुत इन कर्मचारियों के माह 08/2019 से सम्बन्धित मासिक वेतन बिल में इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान ₹290.32/- प्रति दिन की दर से देय दर्शाया गया था तदानुसार निगम द्वारा भुगतान भी कर दिया गया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि हि०प्र० सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या Fin-(PR)B(7)-33/2010, Govt. of Himachal Pradesh,

Finance (Pay Revision) Department दिनांक 20/02/2019 में विहित निर्देशों के अनुसार उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को दिनांक 01/04/2019 से ₹250/- दैनिक वेतन दिये जाने के आदेश पारित हुए थे | परंतु इन कर्मचारियों को ₹290.32 प्रति दिन की दर से भुगतान किस आधार पर किया गया था इस बारे में कई बार मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021) के पश्चात भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | निगम द्वारा किये गए वेतन के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप CLC को सर्विस चार्ज का भी अधिक भुगतान किया गया था | वेतन तथा सर्विस चार्ज के किये गए कुल अधिक भुगतान ₹159759/- (148709+11050) का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल ₹159759/- की अपितु अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार के किये गए अधिक भुगतान की गणना अपने स्तर पर करके कुल राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वा0सं0	राशि	वेतन का किया गया वास्तविक भुगतान (क)	निगम द्वारा शहरी आजीविका केंद्र को किया गया सर्विस चार्ज ("क" का 5%) का वास्तविक भुगतान (₹) (ग)	दैनिक वेतन के देय रेट के अनुसार जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था (ख) (₹)	निगम द्वारा शहरी आजीविका केंद्र को सर्विस चार्ज ("ख" का 5%) का जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था (घ) (₹)	वेतन का अधिक भुगतान अ=(क-ख) (₹)	सर्विस चार्ज का अधिक भुगतान आ=(ग-घ) (₹)
09/2019	269	998710	998710 [3440 दिन x 290.32 प्रति दिन(लगभग)]	53550	860000 (3440 दिन x250 प्रति दिन)	43000	138710	10550
	271	154052	71999 [248 दिन (8 लाइनमेन	3600	62000 [248 दिन (8 लाइनमेन x 31दिन) x	3100	9999	500

			x 31दिन) x 290.32 प्रति दिन)		250 प्रति दिन)			
					कुल योग		**148709/-**	**11050/-**
कुल अधिक भुगतान (अ+आ)= ₹159759/- (148709+11050)								

26 ₹0.03 लाख TA/DA का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिकाओं में दर्शाये गए विवरण के अनुसार संबन्धित निगम में कार्यरत विशेषज्ञों को ₹2732/- (1862+870) TA / DA की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है | इसके अतिरिक्त इन विशेषज्ञों को ₹200/- प्रति दिन की दर से DA का भुगतान देय था परंतु इस दर से DA का भुगतान किए जाने के संदर्भ में संबन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गया | नगर निगम से ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी न तो उपरोक्त अधिक भुगतान के बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया तथा न ही संबन्धित आदेश प्रस्तुत किए गए | अत: इस बार में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹2732/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से किये जाने के साथ -2 विशेषज्ञों को DA के देय रेट ₹200/- से संबन्धित आदेश प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किए जाए |

(i) विशेषज्ञों को निम्नानुसार ₹1862/- DA का अधिक भुगतान किया गया था :-

वाउचर संख्या/ माह / राशि	नाम / पद / मूल वेतन	DA का किया गया भुगतान (₹)	जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था (₹)	अधिक भुगतान (₹)
680 / 03/2021 / 5628/-	रुचि वासुदेवा / Urban Planner / 43000/-	**200/-** [1 दिन x 200/-] **यात्रा का विवरण :-** [(22/10/20, शिमला से सोलन तथा वापिस शिमला (9AM से 7PM)],	67/- [1 दिन x 67/- (96/- का 70%)]	133/-
	सुदेश कुमारी / Social	**200/-** [1 दिन x 200/-]	67/- [1 दिन x 67/- (96/-	133/-

	Development Specialist / 43000/-	**यात्रा का विवरण :-** [(22/10/20, शिमला से सोलन तथा वापिस शिमला (9AM से 7PM)],	का 70%)]	
	रुचि वासुदेवा / Urban Planner / 43000/-	**200/-** [1 दिन x 200/-] **यात्रा का विवरण :-** [(20/11/20, शिमला से सोलन तथा वापिस शिमला (9AM से 7PM)],	67/- [1 दिन x 67/- (96/- का 70%)]	133/-
	सुदेश कुमारी / Social Development Specialist / 43000/-	**200/-** [1 दिन x 200/-] **यात्रा का विवरण :-** [(20/11/20, शिमला से सोलन तथा वापिस शिमला (9AM से 7PM)],	67/- [1 दिन x 67/- (96/- का 70%)]	133/-
	रुचि वासुदेवा / Urban Planner / 43000/-	**1000/-** [5 दिन x 200/-] **यात्रा का विवरण :-** [(14,15,16, 30,31/12/20, शिमला से सोलन तथा वापिस शिमला (9AM से 7PM)],	335/- [5 दिन x 67/- (96/- का 70%)]	665/-
	सुदेश कुमारी / Social Development Specialist / 43000/-	**1000/-** [5 दिन x 200/-] **यात्रा का विवरण :-** [(14,15,16, 30,31/12/20, शिमला से सोलन तथा वापिस शिमला (9AM से 7PM)],	335/- [5 दिन x 67/- (96/- का 70%)]	665/-
			कुल योग	**₹1862/-**

(ii) वित्त विशेषज्ञ को निम्नानुसार ₹870/- TA / DA का अधिक भुगतान किया गया था :-

वाउचर संख्या /राशि / माह	नाम / पद / मूल वेतन	तिथि	यात्रा का विवरण / अवधि / यात्रा आरंभ तथा समाप्ति का समय	**TA की राशि का भुगतान (own car) (1) (`)**	**TA से संबन्धित जितना भुगतान बनता था (साधारण बस किराया) (2) (₹)**	**अधिक भुगतान (1-2) (₹)**	**DA का भुगतान (1) ₹)**	**DA का जितना भुगतान बनता था / tour की समय अवधि (2) (₹)**	**अधिक भुगतान (1-2) (₹)**
288 /	श्री आशीष	23/07	MC Solan to	944/-	207/-	737/-	200	67/-	133/-

6263/- / 9/2019	आनंद /वित्त विशेषज्ञ	/2019	NP Arki and back / 1 दिन / 8AM 5.30 PM	[118 km(59+59) km x 8/-)	[118x1.75)]			(96/- का 70%) (12 घंटे से कम)	
	TA तथा DA का कुल अधिक भुगतान = 737+133= 870/-								

27 बिजली बिलों की देय राशि में सम्मिलित रख रखाव प्रभार एवं बकाया राशि के बारे में स्थिति स्पष्ट न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि बिजली के बिलों की कुल देय राशि में बिजली के खपत प्रभार के साथ रख रखाव प्रभार (maintenance charges) तथा बकाया राशि (arrear) भी सम्मिलित थी जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | परन्तु बिलों में रख रखाव एवं बकाया से सम्बन्धित राशियाँ क्रमशः किस दर के आधार पर तथा किस अवधि से सम्बन्धित थी इस बारे में न तो बिल स्वयं स्थिति स्पष्ट करते थे तथा न ही निगम द्वारा मौखिक एवं लिखित (ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021) अनुरोध के पश्चात इस बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में इन राशियों के किए गए भुगतान का अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबन्धित विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को आवशयक सत्यापना हेतु अवगत करवाया जाये |

वाउचर संख्या / माह	वाउचर की कुल राशि (₹)	बिजली बिल की राशि (₹)	लाइन रख रखाव प्रभार (₹)	बकाया राशि [Arrears (nor)] (₹)	टिप्पणी
694 / 03/21	599676	134007/-	25743.30	101465.77	
		16593/-	12871.65	------------	
		12247/-	10652.40	------------	
		677381/-	24025.92	646361.53	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹377381/-

		639919/-	25891.25	604241.97	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹35677/-
695 / 03/21	199863	20071/-	4142.40	-------------	
		52790/-	4142.40	-------------	
		10723/-	4142.40	------------	
		12156/-	4142.40	------------	
		5863/-	4142.40	------------	
		6431/-	4142.40	------------	
		14978/-	4142.40	------------	
		9752/-	4142.40	------------	
		13912/-	4142.40	------------	
		9832/-	4142.40	------------	
		13699/-	4142.40	------------	
		8209/-	4142.40	------------	
		5577/-	4142.40	------------	
696 / 03/21	44815	2052/-	598.39	------------	
		1144/-	552.36	------------	
		732/-	598.39	------------	
		1608/-	552.36	------------	
		2764/-	552.36	------------	
		1439/-	552.36	------------	
		2314/-	1012.66	------------	
		1800/-	460.30	------------	
		3705/-	598.39	------------	
		3381/-	460.30	------------	
		1130/-	598.39	------------	
		3021/-	552.36	------------	
		4430/-	598.39	------------	
296 / 09/19	47490	35964/-	26601.12	323207	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹9832/-
		180640	13300.56	161494.08	बिल की राशि के

					विरुद्ध किया गया भुगतान ₹5845/-
		148070	11007.36	133821.27	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹3242/-
		360713	25743.30	328490.02	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹6480/-
		363897	26754	330170	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹6972/-
297 / 09/19	26502	7655	641.16	6870.38	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹784/-
		9824	591.84	6361.16	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹3462/-
		7406	641.16	6621.46	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹785/-
		5658	493.20	5021.76	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹636/-
		13915	650	5172.42	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹8743/-
		5960	493.20	5313.34	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹647/-
		19055	1085.04	17804.80	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया

					भुगतान ₹1250/-
		7834	591.84	7099.09	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹735-
		11599	591.84	10864.44	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹735/-
		7675	600	6929.64	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹745/-
		7766	641.16	6981.54	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹784/-
		12031	591.84	11296.03	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹735/-
		19179	641.16	16812.71	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹2366/-
298 / 09/19	67628	70982.60	4438.50	57755.09	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹8790/-
		64810	4438.50	57872.38	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹2499/
		67384	4438.50	56698.72	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹6247/
		67804	4438.50	57003.77	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹6361/

		62543	4438.50	56358.01	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹1746/
		63128	4438.50	56031.37	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹2658/
		65942	4438.50	56630.61	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹4872/
		65048	4438.50	56309.31	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹4300/
		68489	4438.50	56903.74	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹7147/
		98345	4438.50	89564.55	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹4321/
		59879	4438.50	55297.97	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹143/
		63428	4438.50	56517.43	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹2472/
		98304	4438.50	92712.97	बिल की राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान ₹1152/

28 कूड़े के निस्तारण संबंधी अनियमितताएं :-

नगर निगम द्वारा निगम के विभिन्न वार्डों से कूड़ा उठाने तथा निस्तारण हेतु विभिन्न वाहन धारकों को ठेके दिये गये थे जिससे संबन्धित वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) आबंटन पत्र में उल्लेखित शर्तों / निर्देशों का अनुसरण न करने के बावजूद वाहनधारकों को पूर्ण भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा आबंटन पत्र में उल्लेखित शर्तों में विहित निर्देशों को पूर्ण न करने के बावजूद वाहनधारकों को पूर्ण मासिक / किराये की राशि का भुगतान किया जा रहा था | आबंटन पत्र की शर्त संख्या 11 में उल्लेखित निर्देश के अनुसार वाहन का दिन में कूड़ा के निस्तारण हेतु 4 से 5 चक्कर (Trip) लगाए जाने आवश्यक थे परंतु वाउचर के साथ संलग्न दस्तावेजों (लाग बुक की छाया प्रतियाँ) के अवलोकन के दौरान पाया गया कि कई प्रकरणों में वाहनों द्वारा लगाए गए चक्करों का उल्लेख ही नहीं किया गया था तथा कुछ प्रकरणों में वाहनों द्वारा उपरोक्त शर्त में विहित निर्देशों के अनुसार अपेक्षित चक्कर ही नहीं लगाए थे इसके बावजूद वाहनधारकों को पूर्ण भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है जिस कारण निगम कोष को हुई वित्तीय हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है | इस अनियमितता का सम्पूर्ण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस कारण किए गए अधिक भुगतान की राशि की गणना एवं उपयुक्त स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि का भुगतान	संविदाकार का नाम	टिप्पणी
03/2021	724/310	425904	Sh.Vikrant Sharma	वाहन (HP-64C-1098 तथा HP-15E-1098) द्वारा दिन में लगाए गए चक्करों का उल्लेख नहीं था
	725/311	271416	Sh. Rohit Chouhan)	वाहन द्वारा दिन में दो से तीन चक्कर लगाए थे	
	726/313	87320	MS Brothers Traders	वाहन द्वारा दिन में लगाए गए चक्करों का उल्लेख नहीं था
	727/312	86140	Sh.Bhupinder	यथोपरि
	728/314	98836	Social health & education development	माह 01/2021 में वाहन द्वारा दिन में लगाए गए चक्करों का उल्लेख नहीं था तथा माह 02/2021

			society	में दो चक्कर लगाए गए थे |
	729/315	371572	do	माह 12/2020 में वाहन द्वारा दिन में एक से दो चक्कर, माह 01/2021 में दो चक्कर तथा माह 02/2021 में वाहन द्वारा लगाए गए चक्करों का उल्लेख नहीं किया गया था |
09/2019	299	123000 (42000+ 39000+ 42000)	Virender Thakur, Vipin Gupta, SR association .	1.वाउचर के साथ वाहन संख्या HP-15-0209 की माह 06/19 से सम्बन्धित लॉग बुक की छाया प्रति संलग्न थी जबकि वाहन धारक श्री वीरेंदर ठाकुर को माह 08/19 हेतु भुगतान किया गया था | माह 08/2019 से सम्बन्धित लोग बुक के अभाव में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: माह 08/19 में वाहन द्वारा निधारित चक्करों से कम लगाये गए चक्करों की अपने स्तर पर पड़ताल एवं इस कारण अधिक भुगतान की वसूली करके सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए | इसके अतिरिक्त वाउचर के साथ संलग्न माह 06/19 से सम्बन्धित लॉग बुक के अनुसार वाहन (HP-15-0209) द्वारा माह के दौरान में अधिकतम तिथियों को तीन से चार चक्कर लगाए गए थे | 2. वाहन (HP-35-1614) द्वारा माह 08/19 में अधिकतम तिथियों में दो चक्कर लगाए गए थे |

(ii) वाहनधारकों से GST जमा करवाए जाने संबंधी प्रमाण प्राप्त न करना :-

आबंटन पत्र की शर्त संख्या 8 में विहित निर्देशों के अनुसार वाहनधारकों को प्रत्येक तिमाही के पश्चात वस्तु एवं सेवा कर के जमा करवाए जाने संबंधी प्रमाण निगम कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था परंतु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा वाहनधारकों से यह प्रमाण प्राप्त ही नहीं किए गए थे क्योंकि कई बार आग्रह के पश्चात भी

यह अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में वाहनधारकों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर से संबन्धित राशि संबन्धित विभाग में जमा कारवाई गई थी इस तथ्य की पुष्टि संभव नहीं हो सकी | इस अनियमितता से संबन्धित प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित वाहनधारकों से वस्तु एवं सेवा कर जमा करवाए जाने संबंधी प्रमाण प्राप्त करके आवश्यक सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएँ।

माह	वाउचर संख्या	राशि का भुगतान (₹)	संविदाकार का नाम
03/21	725/311	271416	do (Sh. Rohit Chouhan)
	726/313	87320	do (MS Brothers Traders)
	727/312	86140	do (Sh.Bhupinder)
	728/314	98836	do (Social health & education development society)
	729/315	371572	do

(ii) वाहन धारक को किये गये भुगतान सम्बन्धी अनियमिताएं :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा वाहन धारक श्री विक्रांत शर्मा को उनके वाहन (संख्या HP-64A-9716) द्वारा कूड़े के निस्तारण हेतु चयनित मासों में निम्नानुसार ₹332760/- का भुगतान किया था | वाहन धारक को किये गए भुगतान की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(क) निगम द्वारा निम्न तालिका की क्रम संख्या 2 में दर्शाए गए वाउचर संख्या 300 माह 09/2019 पर दर्ज विवरण के अनुसार वाहन धारक को वाहन के माह 08/2019 में 943 किलोमीटर इस्तेमाल के एवज में ₹40.50/- प्रति कि०मी० तथा 20 दिनों हेतु ₹4050/- प्रति दिन के दर से कुल ₹140645/- का भुगतान किया गया | वाउचर के साथ संलग्न

वाहन की माह 08/2019 से सम्बन्धित लॉग बुक की छाया प्रति के अनुसार माह 08/2019 के दौरान वाहन को निगम के कार्यों हेतु 2010 किलोमीटर चलाया गया था परन्तु वाहन धारक को 943 कि०मी० तथा 20 दिनों हेतु ₹4050/- प्रति दिन की दर से भुगतान किस आधार पर किया गया न तो इस बारे में वाउचर पर कोई गणना दर्ज थी तथा न ही इस बारे में निगम द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई जिसके अभाव में वाहन धारक को किये गए ₹140645/- के भुगतान के सही होने सम्बन्धी पुष्टि संभव नहीं हो सकी |

(ख) निगम द्वारा निम्न तालिका की क्रम संख्या 2 में दर्शाए गए वाउचर संख्या 300 माह 09/2019 पर दर्ज विवरण के अनुसार वाहन धारक को वाहन के माह 08/2019 में 943 किलोमीटर इस्तेमाल के एवज में ₹40.50/- प्रति कि०मी० तथा 20 दिनों हेतु ₹4050/- प्रति दिन की दर से कुल ₹141027/- का भुगतान किया गया | इसके अतिरिक्त वाउचर के अनुसार वाहन धारक श्री विक्रांत शर्मा को माह 08/19 में वाहन के इस्तेमाल किये जाने के एवज में भुगतान किया गया था परन्तु वाउचर के साथ वाहन की माह 08/2019 के स्थान पर माह 12/2018 से सम्बन्धित लॉग बुक की छाया प्रति संलग्न की गई थी तथा साथ ही वाहन धारक को 943 कि०मी० तथा 20 दिनों हेतु ₹4050/- प्रति दिन की दर से भुगतान किस आधार पर किया गया न तो इस बारे में वाउचर पर कोई गणना दर्ज थी तथा न ही इस बारे में निगम द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई जिसके अभाव में वाहन धारक को किये गए ₹141027/- के भुगतान के सही होने सम्बन्धी पुष्टि संभव नहीं हो सकी |

तालिका की क्रम संख्या 1 में दर्शाए गए वाउचर संख्या 687/213 माह 03/221 के अनुसार वाहन धारक को वाहन द्वारा तय दुरी के आधार पर भुगतान किया गया था तथा उसे ₹4050/- प्रति दिन की दर से अलग से भुगतान नहीं किया गया | अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या 300 तथा 219/87 माह 09/2019 में दिनों की गणना तथा 20 दिनों हेतु 4050/- प्रति दिन के दर से भुगतान किये जाने बारे में स्थिति स्पष्ट किये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस बारे कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख सहित वस्तुस्थिति से तालिका की क्रम संख्या 2 तथा 3 में दर्शाए गए भुगतानों की सत्यापना हेतु अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

क्रम संख्या	माह	वाउचर संख्या	राशी (₹)	वाहन संख्या	विवरण	किये गए भुगतान का विवरण (₹)	टिप्पणी
1	03/2021	687/287	51088/-	HP-64A-9716	माह 12/20 में वाहन द्वारा तय दुरी 1069 कि०मी० हेतु किया गया भुगतान		1069 कि०मी० x 40.50/-प्रति कि०मी० =43295/- +7793(GST)= ₹51088/-	--------
2	09/2019	300	140645/-	HP-64A-9716	माह 08/19 में वाहन द्वारा तय दुरी 2010 कि०मी० हेतु किया गया भुगतान	140645/- [38191/-(943 कि०मी० x 40.50/-प्रति कि०मी०) + 81000 (20 दिन x 4050/- प्रति दिन) +21454 (18% GST)]	
3	09/2019	219/87	141027/-	HP-64A-9716	माह 09/19 में वाहन द्वारा तय दुरी हेतु किया गया भुगतान	140645/- [38515/-(951 कि०मी० x 40.50/-प्रति कि०मी०) + 81000 (20 दिन x 4050/- प्रति दिन) +21512 (18% GST)]	वाउचर के साथ माह 08/2019 के स्थान पर माह 12/2018 से सम्बन्धित लोग बुक की छायाप्रति संलग्न थी	
		योग	**₹332760/-**				

(iv) कूड़े के निस्तारण के लिए वाहनों को किराये पर लेने हेतु नियमानुसार व्यापक प्रसार न करना :-

निगन द्वारा **परिशिष्ट "ध"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान निगम द्वारा कूड़े के निस्तारण हेतु वाहनधारकों को ₹14712068/- राशि का कुल भुगतान किया था | हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 102 (1) में विहित निर्देशों के अनुसार स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन सेवाएँ / मुरम्मत कार्यों हेतु दस लाख रुपये से अधिक का भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के official gazette तथा दो अग्रणी समाचार पत्रों जिनका व्यापक प्रसार (wide circulation) हो में विज्ञापन किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा कूड़े के निस्तारण हेतु वाहन किराए पर लेने के लिए समय-2 पर निदेशालय, सूचना एवं प्रकाशन, हि०प्र० शिमला-2 के माध्यम से दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गए थे | यदि निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान वाहनों की जरूरत का आकलन करके उपरोक्त नियम में विहित निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के official gazette तथा दो अग्रणी समाचार पत्रों जिनका व्यापक प्रसार हों में विज्ञापन दिया होता तो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि निगम को अधिक प्रतिसाद (response) एवं प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ प्राप्त होता जिसके फलसवरूप निगम कोष में बचत के रूप में वित्तीय लाभ होता | अत: नियमानुसार व्यापक प्रसार पर ध्यान न दिये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए | इसके अतिरिक्त प्रकरण भविष्य में अपेक्षित सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है |

वर्ष	**कूड़े के निस्तारण हेतु वाहन धारकों को किया गया भुगतान (₹)**
2019-20	6840824/-
2020-21	7871244/-
कुल योग	**₹14712068/-**

29 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

(i) प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के खातों में निर्धारित सीमा से अधिक तथा अपात्र लाभार्थियों के खातों में राशियाँ हस्तांतरित करने के परिणामत: ₹32.00 लाख राशि के दुर्वनियोजन बारे :-

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 14 दिनांक 15/07/21 द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निगम कोष किसी भी कारण के चलते हुई हानि, दुर्विनियोजन आदि बारे जानकारी मांगी गई थी जिसके संदर्भ में निगम द्वारा पत्र दिनांक 04/102021 द्वारा ₹32 लाख राशि के दुर्वनियोजन बारे अंकेक्षण को सूचित किया था (**परिशिष्ट "न"**) | सूचना के अनुसार निगम में कार्यरत श्री आशीष आनंद, वित्त विशेषज्ञ, जो प्रधान मंत्री आवास योजना (Prime minister avas yojna, PMAY) के वर्ष 2016 से अक्तूबर, 2019 तक प्रभारी थे, ने वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान ₹1710000.00 तथा ₹1490000.00 लाख कुल मिला कर ₹32 लाख की राशि क्रमश: PMAY के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के खातों में निर्धारित सीमा (₹165000/- प्रति लाभार्थी) से अधिक तथा अपात्र व्यक्तियों के खातों में जोकि PMAY के अंतर्गत चयनित लाभार्थी नहीं थे, हस्तांतरित की थी जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका "अ" तथा "आ" तालिकाओं में दर्शाया गया है |

तालिका "अ"

प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों का विवरण जिन्हें निर्धारित सीमा से अधिक भुगतान किया गया था			
क्रम संख्या	**नाम**	**भुगतान की तिथि**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
1	Pushpa	25-06-2018	45000
2	Santosh kumari	04-08-2018	45000

3	Neelam chauhan	04-08-2018	45000
4	Vimla	31-08-2018	45000
5	Dila ram	13-09-2018	45000
6	Avtar kaur	11-10-2018	15000
7	Raj kumar	11-10-2018	45000
8	Raj kumar	23-10-2018	45000
9	Raj kumar	08-11-2018	60000
10	Raj kumar	10-12-2018	45000
11	Pawan kumari	05-02-2019	15000
12	Raj kumar	14-02-2019	50000
13	Raj kumar	18-02-2019	40000
14	Rishi	15-03-2019	15000
15	Raj kumar	15-03-2019	75000
16	Raj kumar	20-03-2019	45000
17	Raj kumar	29-03-2019	45000
18	Pawan kumari	29-03-2019	30000
19	Raj kumar	23-04-2019	75000
20	Raj kumar	24-06-2019	75000
21	Mahima	24-06-2019	30000
22	Raj kumar	02-07-2019	90000

23	Raj kumar	10-07-2019	90000
24	Rishi	10-07-2019	45000
25	Avtar kaur	10-07-2019	30000
26	Raj kumar	30-07-2019	90000
27	Raj kumar	08-08-2019	90000
28	Raj kumar	19-08-2019	75000
29	Raj kumar	03-09-2019	90000
30	Raj kumar	11-09-2019	90000
31	Raj kumar	10-10-2019	90000
		कुल योग	₹1710000

तालिका "आ"

प्रधान मंत्री आवास योजना अपात्र व्यक्तियों का विवरण जिनके खातों में राशियाँ हस्तांतरित की गई जोकि PMAY के अनर्गत चयनित लाभार्थी नहीं थे |			
क्रम संख्या	नाम	भुगतान की तिथि	भुगतान की गई राशि (₹)
1	Aayursh Parmod Gaur	20-06-2018	90000
2	Deepak kumar	16-08-2018	90000
3	Lokesh kumar	16-08-2018	90000
4	Jasvir singh	13-09-2018	30000
5	Lokesh kumar	11-10-2018	80000

6	Vighnesh kumar	23-10-2018	75000
7	Vighnesh kumar	23-10-2018	75000
8	Vighnesh kumar	05-11-2018	90000
9	Vighnesh kumar	10-12-2018	90000
10	Deepak kumar	10-12-2018	90000
11	Vighnesh kumar	08-01-2019	90000
12	Aayursh Parmod Gaur	16-01-2019	90000
13	Aayursh Parmod Gaur	16-01-2019	45000
14	Vighnesh kumar	16-01-2019	75000
15	Vighnesh kumar	14-02-2019	50000
16	Aayursh Parmod Gaur	18-02-2019	50000
17	Sunny sidhu	30-07-2019	90000
18	Vighnesh kumar	08-08-2019	75000
19	Sunny sidhu	08-08-2019	75000
20	Anupurna Rani	03-09-2019	50000
		कुल योग	₹1490000

निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वित्त विशेषज्ञ द्वारा माह अक्तूबर 2019 में इस्तीफा दे दिया था परंतु उनके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबन्धित अभिलेख व लाभार्थियों को आबंटित राशि के संदर्भ में सही अभिलेख / आकड़ें न देने के कारण निगम के लेखा शाखा का इस बारे में मिलान नहीं हो पा रहा था जिस कारण पत्र संख्या न.प.सो-202-4271 दिनांक 03/10/2020 द्वारा पूर्व वित्त विशेषज्ञ से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था | जिसके संदर्भ मै पूर्व वित्त विशेषज्ञ द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 12/10/2020 में अपनी लापरवाही, पारिवारिक परिस्थितियों एवं बह्न की गंभीर बीमारी के कारण कुछ अपात्र लाभार्थियों को तथा कुछ पात्र लाभार्थियों को अनुदान राशि से अधिक की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित करना स्वीकार किया गया था | इस बारे आवश्यक मिलान / छानबीन करने के उपरांत PMAY लेखों के मिलान के दौरान जब उपरोक्त अनियमितता बारे निगम को ज्ञात हुआ तो निगम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्याज सहित उपरोक्त राशि सही कुल ₹3488416/- की वसूली संबन्धित कर्मचारी से कर ली थी जिसका सम्पूर्ण विवरण तालिका “ अ-1” में दर्शाया गया है :-

तालिका “अ-1”

क्रम संख्या	दिनांक	राशि	बैंक का नाम जिसमें राशि जमा की गई	टिप्पणी
1	12/10/20	100.00	केनरा बैंक (खाता संख्या - 1189214000001)	पात्र लाभार्थियों को किए गए अधिक भुगतान एवं अपात्र लाभार्थियों को किए गए भुगतान की वसूली |
2	12/10/20	499900.00	यथोपरि	यथोपरि
3	16/10/20	1000000.00	यथोपरि	यथोपरि
4	16/10/20	1000000.00	यथोपरि	यथोपरि
	17/10/20	700000.00	यथोपरि	यथोपरि
	योग	**3200000.00 —(क)**		
1	09/11/20	200000.00	केनरा बैंक (खाता संख्या -	निगम द्वारा की गई दंड ब्याज की वसूली

			1189214000001)	
2	16/11/20	88416.00	यथोपरि	यथोपरि
	योग	**288416.00— (ख)**		
	कुल योग (क+ख)	**₹3488416.00**		

नगर निगम द्वारा पत्र संख्या न.प.सो.-2020-4570 दिनांक 30/10/2020 तथा पत्र संख्या : न.नि.सो.-2020-4788 दिनांक 18/11/2020 द्वारा इस प्रकरण बारे निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. को इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी दी थी | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या --- दिनांक 14/10/2021 द्वारा लाभार्थियों को किश्ते जारी करते समय लाभार्थियों को पात्रता एवं देय राशि की सीमा ध्यान क्यों नहीं रखा गया था इस बारे में निगम से स्पष्टीकरण माँगा गया था जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

(ii) दुर्विनियोजन से संबंधित ₹0.15 लाख की कम वसूली करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अपात्र लाभार्थी श्री विघनेश कुमार (Vighnesh Kumar) को ₹635000/- राशि जारी की थी जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है परन्तु निगम द्वारा **परिशिष्ट "न-1"** पर उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार इस सन्दर्भ में वसूली केवल ₹620000/- की गई थी | परिणामत: ₹15000/- (635000-620000) कम राशि की वसूली की गई थी | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या – दिनांक 14/10/21 द्वारा इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तु नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹15000/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

दिनांक	जारी की गई राशि
23/10/18	75000
23/10/18	90000
30/10/18	90000
10/12/18	90000
08/01/19	90000
16/01/19	75000
14/02/19	50000
08/08/19	75000
योग	**₹635000/-**

(iii) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रस्तुत न करना :-

चयनित मासों में लाभार्थियों को जारी की गई किश्तों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्रीमती स्वर्ण पत्नी चौधरी राम को प्रधानमन्त्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत मकान बनाने हेतु निम्नानुसार किश्तें जारी की थी परन्तु उसका नाम अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अनुमोदित लाभार्थियों की सूचि में नहीं था। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तु स्थिति एवं अपेक्षित कार्रवाही उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या	माह	राशि (₹)	श्रीमती सवर्ण पत्नी चौधरी राम को जारी कि गई राशि (₹)
670	03/2021	450000	45000
671	03/2021	390000	45000
		Total	90000

(iv) लाभार्थियों के नामों का अनुमोदित लाभार्थियों कि सूचि में दर्ज नामों से मेल न खाना :-

लाभार्थियों को जारी कि गई किश्तों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न लाभार्थियों के नाम लाभार्थियों कि अनुमोदित सूचि में दर्ज नामों से पूर्ण रूप से मेल नहीं

खाते थे। अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं कि गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट कि जाए तथा वस्तु स्थिति एवं अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वाउचर संख्या	माह	राशि (₹)	वाउचर के अनुसार नाम	जारी की गई किश्त की राशि (₹)	अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अनुमोदित लाभार्थियों की सूचि के अनुसार नाम
670	03/2021	450000	मधु बाला	45000	मधु खन्ना
			मीरा देवी	45000	मीरा भाटिया
671	03/2021	390000	मीरा देवी	45000	मीरा भाटिया
688	03/2021	225000	मीरा देवी	45000	मीरा भाटिया

(v) प्रधानमन्त्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों की संख्या में अंतर होना :-

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध **परिशिष्ट "न-2"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 तक प्रधानमन्त्री योजना के अंतर्गत कुल 72 लाभार्थी थे परन्तु अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत अनुमोदित लाभार्थियों की सूचि (2015-16 से 2020-21) **परिशिष्ट "न-3"** के अनुसार कुल 66 (10+25+17+14) लाभार्थी थे। अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वस्तु स्थिति से सम्बंधित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

30 **शहरी आजीविका केंद्र (City livelihood centre) :-**

(क) शहरी आजीविका केन्द्र द्वारा यथा **परिशिष्ट "प"** पर उपलब्ध करवाई गई अंकेक्षण अवधि से संबन्धित वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :-

वित्त वर्ष	आरंभिक शेष	प्राप्ति	कुल योग	भुगतान	अंतिम शेष
2019-20	643840.75	13432826	14076666.75	12931671.8	1144994.95

2020-21	1144994.95	17927190	19072184.95	17471668.8	1600516.15
दिनांक 31/03/2019 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष = 1600516.15/- -----(क)					
दिनांक 31/03/2021 को बैंक खातों के अनुसार शेष = 1600516.15/- (1484468.60+116047.55)-----(ख)					
दिनांक 31/03/2021 को Canara Bank (खाता संख्या : -1189201001021) में शेष = 1484468.60/-					
दिनांक 31/03/2021 को SBI (खाता संख्या :.- 65292910830) में शेष = 116047.55/-					
दिनांक 31/03/2021 को अंतर = शून्य ----(क-ख))					

(ख) चयनित मासों में शहरी आजीविका केंद्र के लेखाओं के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) **नियुक्ति के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत न करना :-**

शहरी आजीविका केंद्र द्वारा एक कर्मचारी की सेवाएँ outsource की थी जोकि पहले receptionist तथा बाद में mangaer cum accountant के पद पर कार्यरत थी तथा उसे निम्नानुसार वेतन का भुगतान किया था परंतु इन पदों पर इनकी नियुक्ति के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन तथा इन पदों से संबन्धित भर्ती एवं पदोन्नति नियम (recuruitment and promotion rules) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए | जिनके अभाव में कर्मचारी की उपरोक्त पदों पर नियुक्ति तथा उसे मिलने वाले वेतन के संदर्भ में आवशयक अंकेक्षण संभव नहीं हो पाया | अत: उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

माह	भुगतान की गई राशि (₹)	संस्था का नाम जिसे भुगतान किया गया
09/2019	18231/-	Zed securities services
03/2021	46240/-	यथोपरि

(ii) नियमानुसार क्रय औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना भुगतान करना (वाउचर राशि ₹8800/- माह 03/2021) :-

शहरी आजीविका केंद्र उपरोक्त वाउचर द्वारा किए कुल भुगतान में Rakesh Garg and Co. Chartered Accountant की सेवाओं की एवज में किया गया ₹5000/- प्रति मासिक भुगतान भी सम्मिलित था परंतु फर्म की सेवाएँ लेने से पूर्व शहरी आजीविका केंद्र द्वारा हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के अनुसार ₹3000/- से अधिक भुगतान करने से पूर्व विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई थी क्योंकि कई बार आग्रह के पश्चात भी औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने से संबन्धित दस्तावेज़ (अवतरनें/quotations) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में उपरोक्त फर्म को किया गए ₹5000/- के भुगतान के औचित्यपूर्ण होने संबंधी तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(iii) सेवाएँ उपलब्ध करवाने के एवज में ₹0.03 लाख सेवा शुल्क की वसूली न करना (वाउचर राशि ₹16920/- माह 03/2021) :-

शहरी आजीविका केंद्र द्वारा उपायुक्त कार्यालय में सफाई कर्मचारियों की सेवाएँ उपलब्ध करवाई गई थी जिसकी एवज में उपायुक्त कार्यालय से 18% की दर से ₹3046/- (16920/- का 18%) सेवाकर (service tax) की वसूली करके संबन्धित विभाग में जमा नहीं करवाई गई थी | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹3046/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा संबन्धित विभाग में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 42 दिनांक 14/10/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं नगर निगम के ध्यान में लाई गई थी जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

31 भविष्य निधि :-

भविष्य निधि राशि पर ₹0.12 लाख ब्याज का अधिक भुगतान करना :-

नगर निगम द्वारा निम्न भविष्य निधि के अंतिम भुगतान करते समय ₹12056/- ब्याज की राशि का अधिक भुगतान किया था जोकि अनियमित है | इस अनियमितता का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹12056/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

कर्मचारी का नाम / पद	सेवानिवृति की तिथि / भुगतान की तिथि	सेवानिवृति की तिथि को भविष्य निधि में शेष राशि जिस पर ब्याज दिया गया (क) (₹)	सेवानिवृति की तिथि को भविष्य निधि में शेष राशि पर 5.5% की दर से दिया गया ब्याज (ख) (₹)	भविष्य निधि के अंतर्गत अंतिम भुगतान (क+ख) (₹)	**5.5% की दर से जितना ब्याज बनता था (ग) (₹)**	ब्याज का अधिक भुगतान (ख-ग) (₹)
श्री पूर्ण चंद / मेट	31/10/2019 / 31/102019	3063993 [3142192-(71600+6599)]	102956	3166949	98303 (3063993 पर माह 04/2019 से 10/2019 तक)	4653
श्री राज कुमार / सफाई कर्मचारी	Expired on 25/10/2019 / 21/01/2020	990627 (1979327-988700)	48236	1038863	40863 (990627 पर माह 04/2019 से 31/12/2019 तक)	7373
					योग	**₹12026/-**

(ii) अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान नमूना परिक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान भविष्य निधि पर 5.5% की दर से ब्याज दिया गया था परन्तु इस दर से ब्याज दिए जाने के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्रस्तुत नहीं किये गए | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित आदेश अंकेक्षण अवधि के दौरान भविष्य निधि पर देय ब्याज की दर की सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये |

32 **जन स्वास्थ्य विभाग से पानी के क्रय सम्बन्धी अनियमितताएं :-**

(i) **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को अधिभार सहित ₹7633.40 लाख का भुगतान शेष होना :-**

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "फ"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार नगर दिनांक 31.3.2019 तक निगम द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जल आपूर्ति की एवज में अधिभार सहित ₹763339993/- की राशि भुगतान हेतु शेष थी | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को इतनी अधिक राशि का भुगतान बकाया होना एक गंभीर विषय है | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी नगर निगम द्वारा इस संदर्भ में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया कि इतनी अधिक बकाया राशि का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी पैरा संख्या 36 (क) द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु निगम द्वारा इतनी अधिक राशि के भुगतान हेतु कोई स्पष्ट नियोजन न करना निगम की लचर कार्यशैली परिलक्षित करता है जिसके कारण मूल राशि के साथ-2 अधिभार की राशि भी प्रतिवर्ष बढने पर निगम पर अनावश्यक वित्तीय बोझ की बढ़ोतरी हो रही है | अत: यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है |

(ii) सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण नगर निगम पर लगभग ₹196.47 लाख के अधिभार (surcharge) के भुगतान का दायित्व होनाः-

अभिलेख की जाँच में यह पाया गया कि नगर निगम द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग को पानी के बिलों का भुगतान नियत तिथि के भीतर न करने के कारण **परिशिष्ट "फ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/21 तक निगम द्वारा अधिभार (surcharge) से संबन्धित ₹19646675/- (9861896+9784779) राशि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को देय बनती है जिसे समय पर जल आपूर्ति के बिलों का भुगतान करके बचाया जा सकता था परंतु इस संदर्भ में निगम द्वारा कोई भी ठोस कदम न उठाना गंभीर चिंता का विषय है | अत: यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है ताकि निगम को गंभीर वित्तीय संकट से बचाया जा सके |

(iii) नगर निगम द्वारा दिनांक 31/03/2021 को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को देय राशियो में ₹233.83 लाख का अंतर होना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बिलों के अनुसार नगर निगम द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को दिनांक 31/03/2021 को दोनों जल आपूर्ति योजनाओं हेतु देय राशि ₹786723281/- (263875980+ 522847301) बनती थी जबकि निगम द्वारा **परिशिष्ट "फ"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी में देय राशि ₹763339993/- दर्शाई गई थी | जन स्वास्थ्य विभाग के बिलों तथा उपलब्ध करवाई गई जानकारी में ₹23383288/- (786723281 - 763339993) देय राशि का अंतर था | अत: अंतर की इस राशि का समाधान करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(iv) औसत जल आपूर्ति (अश्वनी खड्ड तथा गिरि नदी जल आपूर्ति योजना) के आधार पर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम को लगभग ₹189.15 लाख का संदेहास्पद अधिक बिल जारी करना :-

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल आपूर्ति की एवज में नगर निगम को प्रति माह बिल जारी किए जाते हैं | यह बिल मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए जाते है | कई बार मीटर में खराबी आ जाने के कारण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल आपूर्ति से संबन्धित बिल औसत के आधार पर जारी किए जाते है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 08/11/2020 से 31/03/2021 तक [अश्वनी खड्ड जल आपूति परियोजना (नई लाइन)] तथा दिनाक 01/10/2020 से 31/03/2021 तक (गिरि नदी जल आपूर्ति परियोजना) जल आपूति के बिल औसत के आधार पर जारी किए गए थे | परंतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलों पर दर्शाई गई औसत जल आपूर्ति की मात्रा ठीक प्रतीत नही होती है तथा इस कारण इस अवधि से संबन्धित बिलों पर निगम द्वारा ₹18915243/– (922242+ 17993001) अधिक देय राशि दर्शाई गई प्रतीत होती है | यदि बिलों की प्राप्ति के समय इस बारे गहन जांच की होती तो बिलों में आवश्यक सुधार करवाके निगम निधि को होने वाली वित्तीय हानि से बचाया जा सकता था | जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिलों पर दर्शाई गई अधिक जल आपूर्ति एवं देय राशि की गणना से संबन्धित सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "फ-1"** के अनुसार है| नगर निगम द्वारा अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: परामर्श दिया जाता है कि अपने स्तर पर गहन छानबीन करके यह प्रकरण जन स्वास्थ्य विभाग के समक्ष उठा कर अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(iii) औसत के आधार पर बिल जारी करना (गिरि नदी जल आपूर्ति) :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा court area, kleen, sunder cinema, H/board phase I & II को Saproon line के माध्यम से

प्रति दिन 1000000 लीटर की आपूर्ति की जाती है | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा दैनिक आपूर्ति से संबन्धित 1000000 लीटर की गणना किस आधार पर की जाती है इस से संबन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किया गया | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछली काफी अवधि से उपरोक्त colonies के लिए बिल औसत के आधार पर जारी किए जा रहे है जबकि यह बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी किए जाने अपेक्षित थे | गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी पैरा संख्या 36 (घ) द्वारा यह प्रकरण नगर निगम के ध्यान में लाया गया था परंतु अभी तक इस बारे कोई कार्रवाई न करना नगर निगम की लापरवाह् कार्यशैली दर्शाता है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा तथा मामला संबन्धित विभाग के समक्ष उठाकर बिल वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी करवाए जाने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करने का आग्रह किया जाये ताकि भविष्य में वास्तविक जल आपूर्ति के आधार पर विभाग को भुगतान किया जा सके और निगम को परोक्ष वित्तीय हानि से बचाया जा सके |

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 16 दिनांक 02/08/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं अपेक्षित कार्रवाई एवं स्पष्टीकरण हेतु निगम के ध्यान में लाई गई थी जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

(vi) नगर निगम कोष को लगभग ₹1376.37 लाख की हानि होना :-

नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में पानी की आूपर्ति की जाती है एवं नगर निगम को पानी की आपूर्ति सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सोलन द्वारा की जाती है व समय समय पर निर्धारित दरों पर जल प्रभार के बिल नगर निगम को भुगतान हेतु जारी किए जाते है। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अवलोकन पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम को ₹216113410/- (98618956 + 9861896 + 97847779 + 9784779) जल आपूर्ति से संबन्धित बिल अधिभार सहित जारी किए गए | नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "फ-2"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान

उपभोक्ताओ को जल आपूर्ति की एवज में ₹78476323/- (37737713+40738610) के बिल जारी किए गए | सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम को जारी बिलों की राशि तथा निगम द्वारा आवासियों को जारी किए गए बिलों में अंतर की राशि ₹137637087/- (216113410-78476323) निगम कोष को हो रही निरंतर हानि स्पष्ट दर्शाती है | अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 24 दिनांक 08/09/2021 द्वारा निगम कोष को हो रही हानि बारे निगम को अवगत करवाया गया था इसे कम करने हेतु निगम द्वारा किए जा रहे आवश्यक नियोजन बारे जानकारी मांगी गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा निगम कोष को हो रही निरंतर वित्तीय हानि को रोकने हेतु ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये | यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई हेतु लाया जाता है |

33 ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान निगम द्वारा ₹1674 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1674 की वसूली उपयुक्त स्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	विवरण	जितनी राशि का भुगतान किया गया	जितनी राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था	अधिक भुगतान	टिप्पणी
09/2019	228	Honour board लिखने हेतु	14260	14160	100/-	बिल की देय राशि की गलत गणना के

		भुगतान				कारण किया गया अधिक भुगतान |
	287	Inter school quiz / painting competition के आयोजन हेतु	34720/- (18100+16 120+500)	-----	100/-	वाउचर में संलग्न ₹18100/- के भुगतान से सम्बन्धित बिल पर ₹18100/- के स्थान पर ₹18000/- का पारित आदेश था |
09/2019	306		509944	509914	30/-	बिल की देय राशि की गलत गणना के कारण किया गया अधिक भुगतान |
03/2021	729 / 315		371572	------	904/-	वाहन संख्या HP-14A-5345 को दिनांक 01/01/2021 को 40 किलोमीटर चलाया गया दर्शाया था परन्तु लोग बुक

						की रीडिंग के अनुसार वाहन 6 किलोमीटर (4320-4314) चलाया गया था । परिणामत: वाहन धारक को ₹904 [34किलोमीटर (40-6)x26.60/- प्रति किलोमीटर] का अधिक भुगतान किया गया था।
09/2019	284	वाहन धारक को कूड़े के निस्तारण हेतु किया गया भुगतान	39540	---------	540/-	वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि माह 07/2019 हेतु संविदाकार को ₹39540/- का भुगतान किया गया था जबकि आबंटन पत्र के अनुसार संविदाकार को मासिक देय राशि

						₹39000/- बनती थी एवं अतिरिक्त राशि दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था।
				कुल योग	₹1674	

34 ₹0.77 लाख के फर्नीचर के क्रय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति प्रस्तुत न करना :-

पत्र संख्या Fin-I(C)14-1/92-Vol. I,II, Govt. of Himachal Pradesh, Finance "F" section dated 22/04/1999 (economy instructions) में विहित निर्देशों के अनुसार फर्नीचर के क्रय से पूर्व वित्त विभाग की पूर्व सहमति (concurrence) ली जानी अपेक्षित है परंतु अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021) के बावजूद ₹76952/- की फर्नीचर की वस्तुओं के क्रय हेतु वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्रस्तुत नहीं की गई। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा किए गए क्रय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)
03/21	720/308(1)	28910
	720/308(2)	22420
	720/308 (3)	15812
09/2019	226	9810
	कुल योग	**₹76952/-**

35 **भुगतानों की वास्तविक पावतियाँ (receipts) अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निगम द्वारा किए गए भुगतानों के एवज में संबन्धित विभागों / फर्मों / विक्रयकर्ताओं से पावती प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि न तो ये वाउचरों के साथ संलग्न थी तथा न ही ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 27/09/21 तथा 30 दिनांक 06/10/21 द्वारा आग्रह के बावजूद प्रस्तुत की गई जोकि अनियमित है |

इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)	विवरण
03/21	737	5000000	IPH विभाग को जल आपूर्ति हेतु किया गया भुगतान
09/19	305	19300	Aqua Guard के क्रय हेतु किया गया भुगतान
	227	24000/- (15200+8800)	Wall painting हेतु किया गया भुगतान
	228	14260/-	Honour board लिखवाने हेतु किया गई भुगतान |
	228-A	3540/-	Paid for flex banners
	249-D	13494/-	माँ शुलिनी मेले के दौरान कीलें, चुने, रस्सी आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान |
	280	5020/-	बेनर्स (banners), नाम पट्टिका (name plate) आदि के बनवाने हेतु किया गया भुगतान
	270	68429/-	संबन्धित विभागों में स्त्रोत पर काटे गए आयकर (TDS) , वस्तु एवं सेवा कर (GST), श्रम उपकर (Labour cess), रॉयल्टी आदि जमा करवाने हेतु किया गया भुगतान |
	291	5000000/-	IPH विभाग को जल आपूर्ति हेतु किया गया भुगतान
	295	31004/-	सेवानिवृत कर्मचारी श्री पूर्ण को GSLI का भुगतान

36 अग्रिम राशि :-

अंकेक्षण के दौरान अग्रिम राशि संबंधी निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

(i) दिनांक 31/03/2021 तक ₹396.68 लाख के अग्रिम समायोजन हेतु शेष होना :-

नगर निगम द्वारा **परिशिष्ट "ब"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2021 तक ₹39667602/- के अग्रिम समायोजन हेतु शेष थे जोकि एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है | जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अतिशीघ्र उक्त अग्रिमों का समायोजन नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(ii) ₹0.47 लाख अग्रिम राशि का समायोजन न दर्शाना :-

अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा ₹46800/- अग्रिम राशि का भुगतान का भुगतान किया गया था परंतु आवर्ती मौखिक एवं लिखित आग्रह (ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021) के बावजूद इन राशियों के समायोजन से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया इस कारण इन राशियों के समायोजन संबंधी आवशयक अंकेक्षण संभव नहीं हो पाया | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि	विवरण
03/21	679	1800/-	राजस्व दस्तावेजों के क्रय हेतु श्री मोहिंदर (पटवारी) जारी की गई अग्रिम राशि |
09/19	304	45000/-	दशहरे के दौरान पुतले बनाने हेतु श्री शाह नवाज को जारी की गई अग्रिम राशि |
	कुल योग	**₹46800/-**	

37 विविध :-

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाए गए भुगतान से सम्बन्धित अवतरणें (quotations) क्रय समिति के तीन सदस्यों के स्थान पर केवल दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित थी तथा अवतरणों पर क्रय समिति के सदस्यों के पद भी उल्लेखित नहीं थे | निगम द्वारा ₹34220/- (18100+16120) का भुगतान दो सदस्यों की समिति के आधार पर किया गया था जोकि हि० प्र० वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 98 में विहित निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

वाउचर संख्या / माह	राशि (₹)	विवरण
287 / 09/2019	34720/- (18100+16120+500)	जल शक्ति अभियान के अंतर्गत Inter school quiz / painting competition के आयोजन हेतु किया गया भुगतान	

(ii) वाउचर संख्या 288 माह 09/2019 ₹6263/- में वित्त विशेषज्ञ श्री आशीष आनंद को माह 01/2019 से 07/2019 तक किया गया मोबाइल भत्ते का ₹3500/- (500/- x7 माह) का भुगतान सम्मिलित था परन्तु वित्त विशेषज्ञ को मोबाइल भत्ते का भुगतान करने के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में मोबाइल भत्ते के किये गए भुगतान की सही होने सम्बन्धी पुष्टि संभव नहीं हो सकी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाये |

(iii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा अधिकतम प्रकरणों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति से संबन्धित कार्यों के आबंटन से पूर्व जो अवतरणें / निविदाएँ प्राप्त की थी वे न तो सीलबंद थी तथा न ही इन्हें डायरी किया गया था | जिसके अभाव में कार्यों का

आबंटन पारदर्शिता अपनाते हुए न्यूनतम प्रतिस्पर्धी दरों पर किया गया था तथा अवतरणें / निविदाएँ निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त हुई थी इन तथ्यों का सत्यापन किया जाना संभव नहीं होता है | इस अनियमितता से संबन्धित कुछ प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)	विवरण
09/2019	249-C	20886	Water tank आदि हेतु किया गया भुगतान	
	228	14260	Honour board लिखने हेतु किया गया भुगतान	
	283	133525/- (46900+ 86625)	Gloves, masks, rain coats आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान	
03/2021	721/309	84350	26 जनवरी मनाने हेतु विभिन्न सजावटी एवं अन्य वस्तुओं के क्रय हेतु भुगतान
	720/308 (3)	15812	फर्नीचर के क्रय हेतु किया गया भुगतान

38 **अभिलेख प्रस्तुत न करना :-**

अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 24/09/2021 तथा 30 दिनांक 06/10/2021 द्वारा आग्रह के बावजूद निम्न प्राप्तियों / भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख एवं आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जिस कारण इनके सदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए |

माह	वा सं	राशि (₹)	विवरण	टिप्पणी
09/2019	293	38165 (2833x5=14165/- 6000x4= 24000/-)	SBM के अंतर्गत शौचालय पूर्ण करने पर लाभार्थियों को	चयनित लाभार्थियों के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत नही किया गया	

			किया गया भुगतान |	
03/2021	674	150000	IHSDP के अंतर्गत राशि वापिसी	श्रीमती दयावंती पत्नी श्री सोहन लाल ने अपने आवेदन दिनांक 12/01/2021 में IHSDP योजना के अंतर्गत आवास का आबंटन न मिलने के कारण अपनी जमा राशि ₹150000 वापिस वापिस किये जाने का आग्रह किया था जिसे निगम द्वारा लौटा दिया गया था परन्तु आवेदक को मकान को आबंटन क्यों नहीं किया गया इस बारे में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए
	690	118900	GST की जमा	GST की प्राप्ति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया |
	09/2019	690	118900	GST की प्राप्ति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया |

39 लॉग बुक :-

नगर निगम की लॉग बुकों के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निगम के वाहनों की औसत के निर्धारण से संबन्धित दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिस कारण निम्न तालिका में दर्शाये गए वाहनों की मासिक औसत के सही होने तथा डीजल के दुरुपयोग न होने बारे पुष्टि संभव नहीं हो सकी | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए |

वाहन संख्या	औसत प्रति लीटर (माह 09/19)	औसत प्रति लीटर (माह 03/21)
HP-14A-7168	3.65 कि०मी०	4.33 कि०मी०
HP-14A-6301	5.55 कि०मी०	लोग बुक प्रस्तुत नहीं की गई

HP-14A-5030	10.57 कि०मी०	यथोपरि

(ii) लॉग बुकों में वाहनों के चलन (movement) से संबन्धित प्रविष्टियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके अभाव में वाहनों का प्रयोग निगम के कार्यों हेतु उचित रूप से किया गया था इस संदर्भ में पुष्टि संभव नहीं हो सकी | इस अनियमितता से संबन्धित सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अब अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

वाहन संख्या	**जिस अवधि से संबन्धित यात्राओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था**
HP-14A-7168	1/3/21 से 28/3/21 तथा 2/9/19 से 30/9/19
HP-14A-6301	3/3/21 से 31/3/21
HP-14A-5030	1/3/21 से 31/3/21

(iii) लॉग बुक के नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तिथियों को वाहन का प्रयोग कार्यालय के उद्देश्य हेतु नहीं किया गया था तथा दिनांक 14/03/21 को वाहन 110 किलोमीटर चलाया गया था परंतु वाहन के प्रयोग का उद्देश्य लॉग बुक में उल्लेखित नहीं था | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹1760/- [(220km(110+110)x8/-] की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

वाहन संख्या	**जिन तिथियों को वाहन का प्रयोग कार्यालय कार्यों संबंधी नहीं किया गया था।**	**जिस तिथि को यात्रा का उद्देश्य नहीं दर्शाया गया था**
HP-14A-5030	110 किलोमीटर [08/03/21(16km), 10/03/21(21km), 12/03/21(17km), 15/03/21(13km), 15/03/21(5km), 22/03/21(20km), 27/03/21(18km)]	14/3/21(110km)

(iv) निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए मासों से संबन्धित वाहनों की लॉग बुकें अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण इन मासों में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: लॉग बुकें प्रस्तुत न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा आगामी अंकेक्षण के दौरान इन्हें प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

वाहन संख्या	**जिस माह से संबन्धित लोग बुक प्रस्तुत नहीं की गई**
HP-14A-6301	03/21
HP-14A-5030	03/21

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 35 दिनांक 12/10/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं नगर निगम के ध्यान में लाई गई थी जिनके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

निर्माण कार्यों संबंधी अनियमितताएं :-

40 संविदाकारों को ₹0.27 लाख का अधिक भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में मदों की निष्पादित मात्राओं तथा देय राशि की गलत गणना के कारण निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार नगर निगम द्वारा संबन्धित संविदाकारों को ₹26529/- का अधिक भुगतान किया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: ₹26529/- के अधिक भुगतान किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा निगम निधि में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

निर्माण कार्य का शीर्ष	**वाउचर संख्या**	**माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या**	**मद का शीर्ष**	**माप पुस्तिका में ली गई मात्रा (क)**	**जितनी वास्तविक मात्रा बनती थी (ख)**	**अधिक ली गई मात्रा (क-ख)**	**अधिक भुगतान (₹)**
C/o Path to Sh. Krishan Mandir	229 / 09/2019	346/ 95 to 97	Steel work welded up sections	390.05 kg (156.02 rm x2.5	367.63 kg (147.05rm x 2.50	22.42 kg	1906/- (22.42x85 per kg)

Phase-I, Ward no. 2.			(50x50 x6mm)	kg/rm)	kg/rm)		
CO path and steps and PL checkered tiles from Bali house to BD Sharma house ward no. 13.	237/97 / 09/2019	347/ 41 to 49	PF precast checkered tiles	179.43 sqm	175.90 sqm	3.53 sqm	2824/- (3.53 x800/- per sqm)
Restoration of rain damage subhead: R/M of R/W and covering nalah near shastri house to jagat ram ward no. 13	239/99	347 / 37 तो 39	RR masonry / polygonal rubble masonary	60.63 cubm	56.52 cubm	**4.11 cubm**	16440/- (4.11cubm x 4000/- per cubm)
C/o U shape drain & graiting over drain ward no. 12.	259/118 / 09/2019	344 / 39 से 43	---------	--------	--------	**--------**	5359/- [325531 (बिल हेतु किया गया कुल भुगतान)-320172(जितना भुगतान किया जाना अपेक्षित था)]
						योग	**₹26529/-**

41 वीप होल्स हेतु कटौती किए बिना ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना :-

आर .आर .मैसनरी के भुगतान के समय आर .आर .मैसनरी की देय मात्रा मे से वीप होल्स हेतु प्रयोग100 mm पी.वी.सी .पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी क्योंकि वीप होल्स लगाने के स्थान पर आर .आर .मैसनरी मद की मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया था तथा वीप होल्स मद हेतु संविदाकारों को अलग से भुगतान भी किया गया था | परंतु संविदाकार को आर .आर .मैसनरी मद हेतु भुगतान करते समय मद की देय कार्य मात्रा में से 100 mm पी.वी.सी .पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती नहीं की गई थी परिणामत: निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के

अनुसार संविदाकारों को ₹1628/- का अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: या तो किए गए भुगतान को न्यायसंगत ठहराया जाये या फिर ₹1628/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

निर्माण कार्य का नाम	वाउचर संख्या / माह	माप पुस्तिका संख्या / पृष्ठ संख्या	**Weep holes की संख्या / मात्रा जिसके लिए अलग से भुगतान किया गया था |**	**Weep holes की जितनी मात्रा polygonal masonry मद से कम की जानी अपेक्षित थी |**	**RR masonry / polygonal masonry (रेट प्रति घन मीटर)**	अधिक भुगतान
C/o pedestrian path from chamba ghat to old bus stand (RD 00/195 to 00/206)	707/296 / 03/2021	361 (1 से 3)	20.02 मीटर [Weep hole की औसत चौड़ाई = [1.9/2+1.75/2)]/ 2 = 0.91 मीटर] Weep holes की कुल लंबाई = 22 weep hole x 0.91 मीटर = 20.02 मीटर	0.157 घन मी. (22/7 X 0.05 X 0.05X 20.02) मीटर]	3900 प्रति घन मी) .	613/- (0.157 घन मीटर x3900 प्रति घन मीटर)
C/o pedestrian path from chamba ghat to old bus stand (c/o)B/wall RD00/206 to 00/219	708/297 / 03/2021	361 (4 से 6)	12.60 मीटर [Weep hole की औसत चौड़ाई = [2/2+1.7/2+1.7/ 2] / 3 = 0.90 मीटर] Weep holes की कुल लंबाई = 14 weep hole x 0.90 मीटर = 12.60 मीटर	0.098 घन मी. (22/7 X 0.05 X 0.05X 12.60) मीटर]	3900 प्रति घन मी) .	382/- (0.098 घन मीटर x3900 प्रति घन मीटर)

Restoration of rain damages, R/M of path and drain, ward no. 3. .	242/ 101 / 09/2019	343/ 87 से 89	14.67 मीटर [Weep hole की औसत चौड़ाई = =[0.825+0.60+0.425+ 0.70+0.85+0.625+0.65]/7 = 0.66 मीटर = 0.667 मीटर Weep holes की कुल लंबाई = 22 weep holes x 0.667 मीटर = 14.67 मीटर	0.115 घन मी. (22/7 X 0.05 X 0.05X 14.67) मीटर]	3850 प्रति घन मी) .	443/- (0.115 घन मीटर x3850 प्रति घन मीटर)
Restoration of rain damages, SH : RM of R/wall & path/nallah near Shastri house to Jagat Ram house ward no. 13 Kaleen solan	239 / 99 / 09/2019	347, 37 to 39	6.30 मीटर [Weep hole की औसत चौड़ाई = =[0.90+1.5+1.45+1.40+1.15+1.18]/6 = 0.66 मीटर = 1.26 मीटर Weep holes की कुल लंबाई = 5 weep holes x 1.26 मीटर = 6.30 मीटर	0.05 घन मी. (22/7 X 0.05 X 0.05X 6.30) मीटर]	4000 प्रति घन मी) .	200/- (0.05 घन मीटर x4000 प्रति घन मीटर)
					कुल योग	**₹1638/-**

42 संविदाकार को ₹250/- का अनियमियत भुगतान करना [वाउचर संख्या 681/ 285(3) माह 03/2021, ₹143150/-) :-

वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य " Connecting & laying down water line to newly constructed Australian tank in ward no.

11, Phase-I (HP), [(वाउचर संख्या 681/285(2) ,माह् 03/2021, ₹142850/-] " के अंतर्गत मद "Providing, welding & fixing MS Plates (100mm) " के निष्पादन हेतु संविदाकार को ₹2450/- प्रति जोड़े का रेट आबंटन पत्र संख्या 2269 दिनांक 20/05/2020 द्वारा आबंटित किया गया था | निर्माण कार्य "Connecting & laying down water line to newly constructed Australian tank in ward no. II, Phase -II (HP) [(वाउचर संख्या 681/285(3) ,माह् 03/2021, ₹143150/-] " में इसी मद "Providing, welding & fixing MS Plates (100mm) " हेतु ₹500/- प्रति जोड़े का रेट आबंटित आबंटन पत्र संख्या 2273 दिनांक 20/05/2020 द्वारा आबंटित किया गया था | जब निगम द्वारा दोनों कार्य एक ही तिथि को आबंटित किए गए थे तो समान मद के निष्पादन हेतु दो अलग रेट आबंटित करना तथा फलसवरूप वाउचर संख्या 681 / 285 (3) में इस मद हेतु संविदाकार को ₹250/- [5 जोड़े x 50/- (2500-2450)] का अधिक भुगतान किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में लाई गई थी जिसके बारे में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 250/- र० की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये |

43 ₹320/- का अनियमियत भुगतान करना [वाउचर संख्या 681/ 285(2) माह् 03/2021, ₹142850/-] :-

वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य " Connecting & laying down water line to newly constructed Australian tank in ward no. I (HP) के अंतर्गत मद "Providing, welding & fixing MS Plates (100mm) " के निष्पादन हेतु संविदाकार को ₹2450/- प्रति जोड़े का रेट आबंटित किया गया था | परंतु

निर्माण कार्य में Providing, welding & fixing MS Plates (100mm) स्थान पर 80 mm का प्रयोग किया गया था तथा इसके लिए 100 mm मद के रेट के आधार पर 80 mm का आनुपातिक रेट निकाला गया था | 100 एमएम का रेट ₹2450/- प्रति जोड़ा था परंतु 80 एमएम का रेट निकालने हेतु ₹2450/- [1980/- =(2450 x 80mm/100mm)] को आधार न लेकर ₹2500/- [2000/- =(2500x 80mm/100mm)] के आधार पर रेट निकाला गया था | इसके फलसवरूप मद हेतु ₹320/- [20/- (2000-1980) x 16 जोड़े] का अधिक भुगताम किया गया था | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹320/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

44 CGST तथ SGST से संबन्धित राशि ₹20/- की कम कटौती करना :-

वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए विवरण के अनुसार CGST तथ SGST से संबन्धित राशि ₹20/- की कम कटौती की गई थी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹20/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा संबन्धित विभाग में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का नाम / संविदाकार का नाम / आबंटित राशि	CGST तथ SGST से संबन्धित जितनी राशि (1%) की कटौती की जानी अपेक्षित थी (₹) (क)	CGST तथ SGST से संबन्धित जितनी राशि (1%) की कटौती की गई थी (₹) (ख)	कम की कटौती (₹) (क-ख)
243/102 /	Proposed shelter for urban homeless near	1434/- [717(71685x1%)x2)]	1414/- (707x2)	20/-

09/2019	thodo ground ward no. 7/ Sh. Ritesh Verma / 657087/-			

45 Water storage new technology Tata blue scope tank की आपूर्ति संबंधी अनियमिततायें (वाउचर संख्या 698/288 माह 03/2021, ₹1762133/-) :-

वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्य " Sustainable water sources for water security in ward no. 11 of, 2nd phase MC Solan" के अंतर्गत Water storage new technology Tata blue scope tank की आपूर्ति संबंधी कार्य "M/S Shubham Acqualink (India) Pvt. Ltd. Thane Maharashtra" को आबंटित किया गया था | संविदाकार द्वारा टेंडर में रेट ₹5.50/- प्रति लीटर रेट भरा था परंतु मोल भाव (negotiation) उपरांत यह कार्य आबंटन पत्र संख्या 213 दिनांक 11/04/2018 द्वारा संविदाकार को ₹1493333/- (299866 लीटर टैंक x 4.98/- प्रति लीटर) में आबंटित किया गया था | आबंटन पत्र की शर्त संख्या 5(g) के अनुसार आबंटित रेट 4.98/- प्रति लीटर GST (Goods & service tax) सहित था | संविदाकार ने online टेंडर दिनांक 05/02/2018 तथा मोल भाव पत्र (negotiation letter) दिनांक शून्य में भी GST अलग से लिए जाने का उल्लेख नहीं किया था | टेंडर का आबटन हो जाने के पश्चात संविदाकर ने पत्र दिनांक शून्य (डायरी संख्या 844 दिनांक 14/05/2018) द्वारा GST से संबन्धित राशि को exclude करने की मांग की थी जिसके संदर्भ में नगर निगम ने सभा में प्रस्ताव (संख्या 469/2018 दिनाक 12/07/2018) पारित कर पत्र संख्या 2715-17 दिनांक 26/09/2018 द्वारा संविदाकार को अलग से GST का भुगतान किए जाने बारे में सूचित कर दिया था तथा संविदाकार को ₹1493333/- तथा GST से संबन्धित राशि ₹268800/- (18%) सहित

कुल ₹1762133/- का भुगतान किया था | जबकि संविदाकार के टेंडर तथा मोल भाव पत्र में GST से संबन्धित राशि के अलग से भुगतान किए जाने का कोई उल्लेख नहीं था, इसके अतिरिक्त, टेंडर के आबंटन से पूर्व संविदाकार द्वारा दी गई (quoted) दर GST सहित है या नहीं इस बारे में निगम द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं की गई थी तथा बाद में संविदाकार के आग्रह करने पर GST से संबन्धित राशि का भुगतान अलग से कर दिया था जोकि औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा ₹268800/- की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा नगर निगम निधि में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(ii) इसके अतिरिक्त निगम द्वारा जारी पत्र संख्या 2715-17 दिनांक 26/09/2018 के अनुसार संविदाकार को दो टैंकों की आपूर्ति का टेंडर आबंटित किया गया था तथा दोनों टैंकों के लिए अलग से GST के भुगतान करने बारे संविदाकार को सूचित किया था | अत: यदि दूसरे टैंक हेतु भी उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार GST का अलग से भुगतान किया गया था तो संविदाकार को GST से संबन्धित राशि के अलग से भुगतान किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस राशि की वसूली भी उपयुक्त स्त्रोत से करके तथा नगर निगम निधि में जमा करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(i) निगम द्वारा इस कार्य हेतु दो बार टेंडर आमंत्रित किए थे परंतु दोनों बार एक ही फर्म का प्रतिसाद (response) प्राप्त हुआ था | हि०प्र० वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 102 में विहित निर्देशों के अनुसार स्टोर / स्टॉक के क्रय, विभिन सेवाएँ / मुरम्मत कार्यों हेतु ₹1000000/- से अधिक का भुगतान करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के official gazette तथा दो अग्रणी समाचार पत्रों जिनकी wide circulation हो में विज्ञापन दिया जाना अपेक्षित है ताकि टेंडर के व्यापक प्रचार प्रसार उपरांत अधिक से अधिक प्रतिसाद (response) प्राप्त हो सके | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर निगम ने पत्र संख्या MCS Tender -2017 -

3428 दिनांक 03/10/17 द्वारा Director, Information & publication department, HP, Shimla-2. से दैनिक / साप्ताहिक समाचार पत्र गिरिराज एवं अन्य समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाने बारे आग्रह किया था परंतु उपरोक्त नियमानुसार official gazette में विज्ञापन न दिये जाने बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | परिणांत: टेंडर के व्यापक प्रचार प्रसार के अभाव में टेंडर हेतु अपेक्षित प्रतिसाद प्राप्त ही न हुआ हो इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

(ii) अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य से संबन्धित आकलन एवं निदेशक, शहरी विकास, हि० प्र० द्वारा जारी पत्र संख्या UD-H-9F)(10)-9/2007-Misc. Engg cell. -2020-9068 दिनांक 02/08/2010 में विहित निर्देशानुसार अधिशासी अभियंता द्वारा अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाये |

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 06/10/21 तथा 48 दिनांक 16/10/2021 द्वारा उपरोक्त अनियमितताओं के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया था परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक निगम द्वारा कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

46 निर्माण कार्य “C/o of houses and community hall centre using prefeb technology under IHSDP (12TH running bill)” (वाउचर संख्या 730 माह 03/2021, ₹2407456/- (net), माप पुस्तिका संख्या 361(पृष्ठ संख्या 65 से 66) :-

वाउचर की पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) माप पुस्तिका संख्या में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार निर्माण कार्य के बारहवें (12th) चलित बिल तक संबन्धित फर्म को कुल ₹85801727/- (कुल देय राशि ₹96288235/- का

89.1%) का भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि यह कार्य "Synergy Thrislington को आबंटित किया गया था जिसे फर्म द्वारा विभिन्न चरणों में पूर्ण किया जाना था तथा प्रत्येक चरण की समाप्ति के उपरांत फर्म को कुल आबंटित राशि का निश्चित % भुगतान नगर निगम के तकनीकी विभाग द्वारा उस चरण के पूर्ण होने संबंधी तथ्य के सत्यापना उपरांत किया जाना था परंतु अंकेक्षण के दौरान फर्म के साथ किए गए अनुबंध, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस योजना के निष्पादन हेतु जारी दिशा निर्देश, स्वीकृत राशि, समापन हेतु निर्धारित समय अवधि आदि से संबन्धित दस्तावेज़ अवलोकन हेतु कई बार आग्रह के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस संदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सका | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आवश्यक अंकेक्षण हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए |

(ii) इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31/03/2021 तक कितने घर बना कर प्रत्यापित (hand over) कर दिये गए थे तथा कितने बनाए जाने शेष थे इस बारे में भी कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई | अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित सूचना आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए |

उपरोक्त अनियमितताएं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 42 दिनांक 14/10/2021 द्वारा नगर निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण संबन्धित अभिलेख सहित प्रस्तुत नही किया गया |

47 नगर निगम निधि से ₹2.20 लाख का भुगतान निजी संपत्ति की मुरम्मत हेतु करना :-

[वाउचर संख्या 232/92, निर्माण कार्य :- R/M of house of Smt. Beena Thakur in ward no. 7 (संविदाकार :- Sh. Tarun Kumar Sharma, माप पुस्तिका संख्या :- 348, कार्य आबंटन पत्र संख्या 2743 दिनांक 29/9/18, आबंटित राशि :- ₹242575/-)]

वाउचर की पड़ताल के दौरान पाया गया कि नगर निगम द्वारा निगम निधि से श्रीमती बीना ठाकुर, निवासी वार्ड संख्या 7, के मकान की मरम्मत हेतु ₹220148/- का

भुगतान संबन्धित संविदाकार को किया गया था | चूंकि यह भुगतान एक निजी संपत्ति की मरम्मत हेतु किया गया था इस कारण मरम्मत कार्य करवाए जाने के बारे में औचित्य स्पष्ट करने तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति दिखाने हेतु मौखिक एवं लिखित रूप से ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा आग्रह किया गया था ताकि किए गए व्यय की निगम निधि पर उचित प्रभार होने की पुष्टि की जा सके परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक निगम द्वारा कोई प्रत्युत्तर एवं अपेक्षित दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 आवश्यक औचित्य एवं संबन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाये |

48 निर्माण कार्य " Street market at Saproon Phase-I" [(वाउचर संख्या 255/114C माह 09/2019, ₹867015/-, माप पुस्तिका संख्या 346, संविदाकार :- Social health and educational developmental authority society, Govt Contractor, MC Solan] संबंधी अनियमितताएं :-

(i) निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के संबंध में लकड़ी के क्रय करने संबंधी बिल पड़ताल हेतु प्रस्तुत न करना :-

निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान "Providing wood work in frames of Doors,windows etc ".मद हेतु .संविदाकारों को ₹111938/- (1.5547 घन मीटर x ₹72000/- प्रति घन मीटर) का भुगतान किया गया तथा इस मद के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा लकड़ी का प्रयोग किया गया था। निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्या 1536 दिनांक 10/07/2018 की शर्त संख्या 14 में विहित निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का क्रय authorised dealer / agency से किया जाना अपेक्षित था | परंतु न तो वाउचर के साथ लकड़ी के क्रय से संबन्धित बिल संलग्न पाया गया तथा न ही इस बारे में मौखिक एवं अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा लिखित आग्रह के पश्चात प्रस्तुत किया गया जोकि अनियमित है | अत: आबंटन पत्र की उपरोक्त

वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी के क्रय से संबन्धित बिल प्रस्तुत किए बिना ही संविदाकार को भुगतान किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

(ii) नगर निगम द्वारा यह कार्य “Social health and educational developmental authority society, Govt Contractor, MC Solan” को आबंटित किया गया था परंतु निर्माण कार्य हेतु भुगतान संविदाकार श्री भूपेन्द्र सिंग ठाकुर को किया गया था | इस बारे में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था जिसका कोई प्रत्युत्तर अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया | अत: वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

49 संविदाकार के अवहृत (quoted) न्यूनतम रेट्स की अपेक्षा अन्य संविदाकार के अधिक अवहृत रेट्स पर मोल भाव (negotiation) करके निर्माण कार्य का आबंटन करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए निर्माण कार्यों का आबंटन अन्य संविदाकार के अधिक अवहृत रेट पर मोल भाव करने के उपरांत किया गया था जबकि मोल भाव न्यूनतम अवहृत (quoted) दरों पर किया जाना अपेक्षित था | यह न केवल अनियमित है अपितु इस कारण निगम कोष को वित्तीय हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है | निगम से अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/21 द्वारा इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था जिसके संदर्भ में अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस कारण निगम कोष को हुई हानि की भरपाई उपयुक्त स्त्रोत से करके आनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि (₹)	निर्माण कार्य हेतु किया गया कुल भुगतान (₹)	टिप्पणी
250/109/ 09/2019	Restoration of rain damage subhead R/M of nallah near harish joshi R/W for protection near sudesh rani & indira Ward no.12	श्री गुरदेव सिंह	344063	211417	सभी मदों हेतु मोल भाव संविदाकार श्री गुरदेव सिंह के रेट्स पर न करके श्री भूपेन्दर के अधिक अवहृत रेट्स के आधार पर किया गया था |
253 / 09/2019	Repair of nallah and adjoining ITI railway track Ward no 2	श्री विवेक दोबाल	363372	363372	निर्माण कार्य की मद संख्या 7.8 तथा 9 हेतु मोल भाव संविदाकार श्री विवेक दोबाल के रेट्स पर न करके श्री सुभाष चंद राणा के अधिक अवहृत रेट्स के आधार पर किया गया था |

50 अतिरिक्त मद हेतु देय रेट के निर्धारण से संबन्धित दस्तावेज़ प्रस्तुत न करना (वाउचर संख्या 254A/106 माह 09/2019 “₹438396/-) :-

निर्माण कार्य “C/O path nallah and R/wall near sharma house to neel kanth house ward no.2” के निष्पादन के दौरान “Providing mild / tor steel” अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया था परंतु कई बार आग्रह के पश्चात भी इस मद हेतु देय दर की गणना (rate analysis) से संबन्धित दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इस कारण इस मद हेतु किए गए ₹43752/- (634.09 kg x 69/-) के भुगतान

के सही होने संबंधी पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

51 निर्माण कार्यों के आबंटन हेतु online टेंडर आमंत्रित न करना :-

शहरी निदेशालय, हि. प्र., शिमला के पत्र संख्या UD-HF-Tender-Vol-III–Engg. Cell -14224-14286 दिनांक 26/06/2021 तथा UD-HF-Tender-Vol-III–Engg. Cell -69773-69828 दिनांक 27/11/2019 में विहित निर्देशों के अनुसार एक लाख से अधिक के निर्माण कार्यों e-tendering द्वारा करवाए जाने अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाया गया निर्माण कार्य e tendering द्वारा आबंटित नहीं किया गया था जोकि उपरोक्त पत्रों में विहित निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित रूप में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

माह	वाउचर संख्या	आंकलन राशि (₹)	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम
03/2021	719/307	200000	Providing and laying sewerage line from upper Surya vihar to Rajghar road ward no.11	श्री दिग विजय

52 अनुबंध में विहित शर्तों के अनुसार प्रतिभूति राशि की कटौती न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया अनुबंध के clause 1 में विहित निर्देशों के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाये गए निर्माण कार्यों हेतु संविदाकरों को भुगतान करते समय बिल की

देय राशि में से प्रतिभूति से संबन्धित राशि की कटौती नहीं की गई थी जोकि अनियमित है | अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: प्रतिभूति राशि की कटौती न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या .	निर्माण कार्य का शीर्ष	निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि (₹)	निर्माण कार्य पर आया कुल व्यय (₹)
09/2019	244A/103	Removel of slip ear dogra house toward dhobal dailly need shop ward no.10	20000	20000
	255/114	Disposal of excavated earth kalu ram house to shiv charn house ward no.13	20000	20000
	257/116	Repair & maintenance of water supply of solan town phase I	548000	279700
	263/122	Removal of slip due to landslide near shoolni mata mandir ward no. 8	1172039	875159

53 जल प्रभार की वसूली न करना :-

निर्माण कार्य से संबन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए बिलों की राशि के भुगतान से पूर्व न तो आबंटन पत्र में विहित शर्त संख्या 5 के अनुसार water charges (1.5%) की कटौती की गई थी तथा न ही माप पुस्तिका में इस संदर्भ में कोई सत्यापन / उल्लेख पाया गया कि संविदाकारों द्वारा पानी की व्यवस्था किस

प्रकार की गई थी | अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा जल प्रभार की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम	मदों का विवरण जिनके निष्पादन के दौरान पानी का प्रयोग हुआ था |
09/2019	236/96	Repair and maintenance of road and drain from mall road to judicial complex SH: laying of inter locking paver block pahse II	M/S Bhiwani rural youth & farmer welfare society	1. P/L havy duty precast cement concrete (1:4) 65.35sqm x 1550 =101292 2. P/L(1:2:4) 3.17 x 6000 =19020
	255/114	Providing and fixing stell greeting from subzi shop to sharma house in ward no. 9	Bhupender singh	P/L c.c work(1:2:4) and curring complete etc.. 0.26 x 5500 = 1430
	256/115	P/l of tiles, retaining wall stairs and drain pipe at gautam budh vihar ward no 1	Viney thakur	1. P/L c.c (1:6:12) 8.71 + 4.77 x 2750 = 37070 2. R/R masnory? Polygenol rubble masnory (1:6) 33.61 x 2850 = 95788
03/2021	700/290(2)	Propsed gate Santri post to be constructed in army area	Brother Traders	1. PL cc 1:6:12 (40mm)= 0.94 cubm x 3200= 3008/-2. Brick work common work clay in 1:6= 5.11 sqmx6500= 33215/-

	705/294	C/O path R/wall railling from jaunaji road to bansi lal house ward no. 8	Shubash chand rana	1.P/L CC 1:2:4 (20mm)= 0.32 cubmX 6500/-=2080/-
	716/304 (3)	P/railing for the stair from tank road to transfer to madhuban colony	Anil chauhan	PL CC 1:2:4 (20mm)= 1.382 cubm x 1600/-= 2211/-
	718/306	Construction of R/wall near jain house in ward no. 9	Bhupender jaswal	1. Brick work using common burnt clay in 1:6= 0.11109 sqm x 5700/-= 633/-

54 निर्माण कार्यों के आबंटित मदों की अपेक्षा कम मदों के निष्पादन करने एवं मदों पर हुए अधिक / कम व्यय बारे स्थिति स्पष्ट न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कई निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान आबंटन पत्र / आकलन में उल्लेखित मदों की अपेक्षा कम मदों का निष्पादन किया गया था जिसके संदर्भ में निगम द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया था न ही इन निर्माण कार्यों के संशोधित आकलन प्रस्तुत किए गए | इन मदों पर हुए कम / अधिक व्यय (विचलन) के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | इस अनियमितता का सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितताएं आवश्यक स्पष्टीकरण एवं कार्रवाई हेतु नगर निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक निगम द्वारा न तो कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया न ही अपेक्षित कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा निर्माण कार्यों की मदों पर हुए अधिक / कम व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह 09 / 2019	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष	निर्माण कार्य हेतु आबंटित राशि	निर्माण कार्य आबंटन पत्र के अनुसार जितने मदों का निष्पादन किया जाना अपेक्षित था		जितने आबंटित मदों का निष्पादन किया गया	आबंटन पत्र के अनुसार आबंटित / निष्पादित मदों की आबंटित राशि (₹)	आबंटित मदों के निष्पादन पर आया वास्तविक व्यय	अधिक / कम व्यय (विचलन)
	236/96	Repair & maintenance of road and drain from mall road to judicial complex Subhead: laying of interlocking	219239	4	2	183570	120312	-63258
	247A/106	C/O path near baba balak nath mandir to ramesh house ward no. 7	151960	3	1	12700	15812	+3112
	248/107	P/L paver blocks nirmla sharma house to near kabari shop ward no. 1	194688	6	4	155475	197287	+41812
	248A/107	P/L paver block from subathu road to nirmla sharma house ward no. 1	194688	6	4	155475	193258	+37783
	251B/110	C/O R/Wall near public toilet in jawahar park in ward no. 6	167782	6	4	129449	104384	-25066
	253	Repair of nallah and path adjoining ITI below railway track ward no.2	363372	9	7	165380	363372	+197992
	253A/106	C/O path near BDO office ward no. 2	236608	8	4	102175	230211	+128036
	259C/118	C/O nallah and covers for nallah from kartar house tom sandhu house ward no. 12	339322	6	4	294442	311380	+16938
	260B/119	P/L interlock paver block housing board	326876	7	4	252762	319703	+66941

		ward no. 14 from main gate to khosla flate							
	260/119	P/L checkerd tiles and granite in mohan park ward no. 5	86000	2	1	36000	86000	+50000	
	261/120	Restoration of rain damage subhead: R/M R/W and path uday vihar and apth entrance addrash vihar rajghar appartment congress bhawan	348022	5	3	332062	344026	+11964	
	261D/120	Repair of path covering of nallah retaining wall near D.C office solan WARD NO.12	327890	4	2 मदों का निष्पादन आबटन पत्र के अनुसार तथा 2 अतिरिक्त मदों का निष्पादन = कुल 4 मद	275540	292912	+17372	
	262A/120	Providing and fixing barrier tiles steel gate at MC parking and MC office	121917	6	3	91776	121917	+30141	
	263/122	P/L c.c on road at lakkar bazar solan ward no.7&9	1444508	4	3	95548	122798	+27250	
	264/123	P/L paver block from subathu road to nirmla sharma house ward no. 1	462888	6	2 मदों का निष्पादन आबटन पत्र के अनुसार तथा 2 अतिरिक्त मदों का निष्पादन = कुल 4 मद	306145	395789	+89644	
	265/124	C/O septic tank slab culvert at street vender market in ward no.2 subhead: Excavation disposal and c.c work pagse II	581673	7	7	581673	460125	-121548	
03/2021	673/283	C/O R/W from dharmender gupta to denish house ward no. 13	264060	6	4	246738	189212	-57526	
	699/289	Special repair of	133936	7	5	108436	133936	+25500	

		E.O residence resthose near thodo ground at solan						
	701/291	Repair of path in bhakhtora colony ward no. 10	20000	3	1	13500	17833	+4333
	701/291 (2)	replacement of C.G.I sheet in MC quarter near thodo ground	156614	8	6	81114	156614	+75500
	702/292	C/O brick wall and railing near thodo ground	17458	4	1	12880	16560	+3680
	702/292 (2)	C/O brick wall and railing near thodo ground	17248	4	2	3768	13979	+10211
	705/294	C/O path R/wall railling from jaunaji road to bansi lal house ward no. 8	177750	7	3	89000	172557	+83557
	706/295	Repair of paver drain and boundry wall from judical court gate to bhakshi house	150306	5	2	106875	150265	+43390
	709/298	C/O padistrial path from chambaghat to old bus stand	162271	5	4	157771	99173	-58598
	710/299	C/O padistrial path from chambaghat st. lukesh school	180771	4	3	147500	180771	+33271
	711/300	Restoration of rain damage in MC in ward no.14	113564	5	3	95080	105317	+10237
	713/302	restoration of rain damage in MC in ward no.5 SH: repair and maintenance of drain	107200	5	2	19800	94261	+74461
	715/303	C/O r/wall below and path ghyani house in ward no.1	248125	3	3	248125	220647	-27478
	716/304	C/Om patrh stair and p/l pvc pipe various place in uday vihar in ward no 1	145164	9	4	120384	83093	-37291
	716/304 (2)	C/O path pine	49912	5	2	28950	49912	+20962

		estate colony near naveen rathor house ward no.1						
	716/304 (3)	P/railing for the stair from tank road to transfer to madhuban colony	99198	4	2	97364	58024	-39340

55 निर्माण कार्यों का समापन निर्धारित समय अवधि में न करने के बावजूद अनुबंध में विहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के निर्धारित अवधि में समाप्त न होने के बावजूद भी न तो संविदाकार के विरुद्ध अनुबंध के clause 2 के अंतर्गत विहित शर्त के अनुसार कार्रवाई की गई थी तथा न ही नियमानुसार निर्माण कार्य के समापन के लिए समय अवधि बढ़ाने संबंधी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत की गई | इस अनियमितता से संबन्धित प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाये गए हैं | अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया |अत: इस अनियमितता के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अनुबंध में विहित निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही एवं वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह 09/2019							
वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम	कार्य आरंभ होने की तिथि	कार्य समाप्त होने की तिथि	कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित समय अवधि	आबंटित राशि (₹)	निर्माण कार्य पर किया गया कुल व्यय (₹)
235/95	Providing and fixing of retro reflected and LG vinyle with eco solvent printing sign board at different places of town under swachta	M/S shani graphic	02-03-2019	09-07-2019	Two months	100400	118472
238/98	Restoration of rain damage subhead:	Pooja thakur	02-11-2018	04-06-2019	Two months	267910	267684

	R/M of R/W and covering nalah near DAV school ward no.3						
239/99	Restoration of rain damage subhead: R/M of R/W and covering nalah near shastri house to jagat ram ward no. 13	Vipin gupta	23-10-2018	24-06-2019	Two months	335683	288514
244A/102	Removel of slip near dogra house toward dobal daily need shop ward no. 10	Vinay Bhagnal	31-01-2019	09-01-2019 (Date of completion may be confirmed)	Two weeks	20000	20000
246A/105	Removel of slip and maintenance of drain back side of badminton hall mv	Jeeven singh	02-03-2019	26-06-2019	Two months	210750	129290
247/106	C/O path near durga marble shop near mc	Vivek dobal	02-03-2019	16-08-2019	Two months	165330	71206
247A/106	C/O path near baba balak nath mandir to ramesh house ward no.7	Vivek dobal	02-03-2019	16-08-2019	Two months	151960	151960
250/109	09/ 2019	Gurdev singh	27-11-2018	20-07-2019	Two months	344063	211417
250B/109	P/L CGI sheet roofing our subhead: siubmersible pump in ward no.14	Gurdev singh	31-01-2019	18-07-2019	Two weeks	20000	20000
250C/109	P/L CGI sheet roofing our subhead: submersible pump in ward no.14	Gurdev singh	31-01-2019	16-07-2019	Two weeks	20000	18125
252B/111	P/L finlex pipe near primery school kallen solan ward no.13	Vishal kaushal	31-01-2019	07-07-2019	Two weeks	20000	20000
252C/111	P/L finlex pipe near primery school kallen solan ward no.13	Vishal kaushal	31-01-2019	01-07-2019	Two weeks	20000	10709
252C/111	PL R/wall from Rajgarh to SDM residence	Vishal kaushal	31-01-2019	29-06-2019	Two weeks	20000	10709
252D	P/L R/wall near ramesh sharma house ward no.10	Vishal kaushal	31-01-2019	28-06-2019	Two weeks	20000	20000
252E	P/L R/wall near dobal daily need	Vishal kaushal	31-01-2019	28-06-2019	Two weeks	20000	20000

	shop						
255/114	Providing and fixing steal greeting from subzi shop to sharma house ward no.9	Bhupender thakur	02-11-2018	05-07-2019	Two weeks	20000	20000
255/114	Providing and fixing steal greating from subzi shop to sharma house ward no.9	Bhupender thakur	02-11-2018	05-07-2019	Two weeks	20000	18629
258/117	Special repair of path from prem gali, murari lal house at pajo path to degree collage ward no.11	Anil chauhan	07-03-2019	05-08-2019	Two months	319719	319719
259B/118	Restoration of rain damage subhead: R/w of R/M near sherawali kothi shilly road ward no. 8	Subash chand rana	23-10-2018	04-08-2019	Two months	351094	328573
260/119	P/L checkerd tiles and granite in mohan park ward no.5	Brother trader	14-02-2019	25-06-2019	Two months	86000	86000
264/123	Supply of labour to mc repair and maintenance work in different ward sub head: cleaning of drain, removel of slip	Vivek obroi	29-01-2019	20-04-2019	Two months	101250	100125
माह् 03/2021							
673/283	C/O R/W from dharmender gupta to denish house ward no. 13	Parminder dhiman	10-08-2020	15-12-2020	Three months	264062	189212
681/285	C/O laying and fixing G.I pipe 50 mm from sugandha apartment	sahjhan	28-07-2020	04-11-2020	Two months	165263	165263
681/285 (2)	Connecting and laying down water line to newly construction australin tank in ward no.11	shajhan	20-05-2020	31-12-2020	Two months	142850	142850
681/285 (3)	Connecting and laying down water line to newly	shajhan	20-05-2020	05-12-2020	Two months	143150	143150

	construction australin tank in ward no.11						
698/288	Sustiable management of water source for water security in solan MC ward no 11	M/S shubam acqualine	11-04-2018	05/01/21	Three months	1762133	1493333
699/289	Special repair of E.O residence resthose near thodo ground at solan	Virender takur	20-08-2020	11-01-2021	Two months	133936	133936
701/291	Repair of path in bhakhtora colony ward no. 10	Vivek dobal	27-10-2020	08-01-2021	निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित अवधि बारे अवगत नहीं करवाया गया	17883	20000
701/291 (2)	replacement of C.G.I sheet in MC quarter near thodo ground	Vivek dobal	03-01-2020	05-01-2020	Two months	156614	156614
702/292	C/O brick wall and railing near thodo ground	Subash chand rana	24-02-2020	20-06-2020	Two weeks	165060	17458
702/292 (2)	C/O brick wall and railing near thodo ground	Shubash chand rana	24-02-2020	13-11-2020	Two weeks	13979	17248
702/292 (3)	C/O R/wall near exercise office ward no. 14	Shubash chand rana	24-02-2020	29-11-2020	Two weeks	20000	20000
705/294	C/O path R/wall railling from jaunaji road to bansi lal house ward no. 8	Shubash chand rana	06-08-2020	15-01-2021	Three months	172557	177750
706/295	Repair of paver drain and boundry wall from judical court gate to bhakshi house	Subash chand rana	18-07-2019	09-01-2019	Two months	150265	150306
707/296	C/O padistrial path from chambaghat to old bus stand c/o breast wall RD	Bhupender singh thaku	22-10-2020	16-12-2020	Two months	162072	162072

	00/195 to 00/206						
708/297	C/O padistrial path from chambaghat to old bus stand	Bhupender singh thaku	22-10-2020	21-12-2020	Two months	180849	180849
710/299	C/O padistrial path from chambaghat st. lukesh school	Bhupender singh thaku	22-10-2020	08-01-2021	Two months	180771	180771
711/300	Restoration of rain damage in MC in ward no.14	Surinder kumar	10-02-2020	04-01-2021	Two months	11287	113564
712/301	Repair of various path drain, sewerage line R/wall ete. In different part kasai gali ward no. 5	Geeta ram	18-10-2019	22-01-2020	One months	176237	472371
713/302	restoration of rain damage in MC in ward no.5 SH: repair and maintenance of drain	Gita ram jaswal	03-10-2020	16-02-2021	Two months	95562	107200
715/303	C/O r/wall below and path ghyani house in ward no.1	Gurdev singh	20-11-2020	20-02-2021	Two months	204490	209470
716/304 (3)	P/railing for the stair from tank road to transfer to madhuban colony	Anil chauhan	20-08-2020	16-12-2020	Three months	58024	99198
717/305	Painting on MC building	A.P associate	03-11-2020	10-03-2021	Two months	173162	173791
717/305 (2)	Painting on MC building phase II	A.P associate	03-11-2020	निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि अंकित नहीं थी	Two months	160800	167391
717/305 (3)	Painting on MC building phase II	A.P associate	03-11-2020	यथोपरि	Two months	249962	258696

56 संविदाकारों को भुगतान से पूर्व निर्देशानुसार बिलों में देय राशि में से रायल्टी (Royalty) की कटौती करके संबन्धित विभाग में जमा न करवाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए मदों के निष्पादन के दौरान प्रयोग हुई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर आदि पर न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी की तथा न ही संविदाकारों / आपूर्तिकर्ताओं से निर्धारित “एम” फ़ॉर्म ही प्राप्त किये गये थे | अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा

29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता नगर निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नही किया गया | अत: इस बारे में या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

माह 09/2019			
वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का नाम	संविदाकार का नाम	जिन मदों पर रोयल्टी की वसूली की जानी अपेक्षित थी
231/91	R/M of of Nallah in front of Sehgal house to Bawara Road , ward no. 4.	Sh. Deepak sharma	1.PL CC 1:6:12 (40mm)= 16.34 cubm x 3000= 49020/- 2. PL CC 1:2:4(20mm)= 18.99 (12.86+6.13) cubm x5320= 101027/- 3. RR masnory= 63.48x3350= 212658/-
232/92	R/M of house of Smt. Beena Thakur in ward no. 7 as per SDM order	Sh. Tarun Kumar Sharma	1.PL CC 1:4:8 (40mm)= 0.49 cubm x 3900= 1911/- 2. PL CC 1:2:4(40mm)= 5.80 cubm x5800= 33640/- 3. 2nd class half brick masnory in 1:4= 25.02 sqmx 575=14387/- 4. 15mm thick cement plaster in single coat in cm 1:6= 88.23 sqmx210= 18528/- 5. P/l duro stone vitrified tiles in cm (1:3)= 35.19 sqm x 1250/- = 43987/-
233 / 93	C/o Ambullance road and repair of Nallah and path in front of Karam chand house and Guleria house in ward no. 12	Sh. Tarvinder singh	1.PL CC 1:6:12 (40mm)= 3.43 cubm x 3000= 10290/- 2. PL CC 1:2:4(20mm)= 20.14 cubm x5000= 100700/- 3. PL 1:2:4 20mm) = 6.43 cubm x5000= 32150/-
236/96	R/M of road and drain from mall road to judicial complex sub head : laying of interlocking	M/S bhivani Rural youth & Farmers welfare society society	PL CC 1:2:4(20mm)= 3.17 cubm x 6000= 19020

	pavers block phase II		
238/98	Restoration of rain damages, SH RM of R/ wall and covering nallah	Puja Thakur	1.PL CC 1:6:12 (40mm)= 1.87cubm x 2450= 4582/- 2. PL CC 1:2:4(20mm)= 4.53 cubm x4850=21970/- 3. = PL CC 1:2:4 (20mm) =11.31 sqmx 5250=59378/-
239/ 99	Restoration of rain damages, SH : RM of R/wall & path/nallah near Shastri house to Jagat Ram house ward no. 13 Kaleen solan	Sh. Vipin Kumar	1. PL CC 1:6:12(20mm)= 6.48 cubm x 3300= 21384/- 2. PL CC 1:4:8 in 20 mm = 2.39 x 6200= 14818/-
240/88	Repair of path R/wall from NH-22 to Chamunda clony ward no. 3	Sh. Kunal Sahni / First & second final bill/ 346/ 84 to 86	1. PL CC 1:6:12(40mm)= 2.66 cubm x 3200= 8512/- and 25.25x3200= 80800/- 2.PL CC 1:2:4in 20 mm = 26.51 x 4700=124597/-
242/ 101	Restoration of rain damages, R/M of path and drain, ward no. 3. .	Sh. Bhupender	1. PL CC 1:6:12(40mm)= 6.15 cubm x 3000= 18450, 2. PL cc 1:2:4 = 7.67 cubm x 5222= 40053/-,
243/ 102	Porposed shelter for urban homeless near thodo ground ward no. 7	Ritesh verma	1. Half brick masnory in 1:4 = 73.295 cubm x 450/- = 32982/- 2. 15 mm cement plaster in 1:3 = 460.88 sqm x 150= 69132/- 3. kota stone flooring 20 mm in 1:4 = 131.73 sqm (4.75 +126.98)x1100/- = 144903/- 4. PF 10 mm anti skid water proof tiles in 1:3 = 19.50 sqm x 1500/- = 29250/-5. PL granite stone in 1:3 = 1.93 sqm x 5000= 9650/-

246 /105	C/o retaiing wall to protect water tank at children park ward no. 2 check bill mb 316 &348 37 to 43	Sh. Jeevan singh	1. PL CC 1:3:6(20mm)= 27.39 cubm x 4150= 113669/-, 64.79 x 4150= 268879/-, 2. PL CC 1:6:12 in --= 4.71 cubm x 3200= 15072/-, 3. PL CC 1:2:4 in 20 mm= 0.59 cubm x 5800= 3422/-, 5.75x 5800= 33350/-
246 A/105	Removal of slips and R/M of drain back side badminton hall	Sh. Jeevan singh	PL CC 1:6:12(40mm)= 3.78 cubm x 3150= 11907/-
247 / 106	C/o path near Durga marble shop	Vivek Obroi	1. PL CC 1:6:12(40mm)= 4.9 (2.28+2.62) cubm x 3175= 15558/- 2. PL checckered tile in 1:6= 94.44 sqm x 920/-= 86885/-
247 A/ 106	C/o path near baba balak nath to ramesh house	Vivek Obroi	1. PL CC 1:6:12(40mm)= 4.98 cubm x 3175= 15812/-
248/107	PL paver blocks Nirmala sharma house to kabari shop ward no. 1	Sh. Rahul sharma	1. PL CC 1:2:4(20mm)= 2.89 cubm x 5900= 17051/-
248A/107	P/L paver block subathu road to nirmla house ward o.1	Rahul sharma	1. P/L(1:2:4) in 20 mm= 2.87 x 5900 = 16933, 2. P/L havy duty precast (1:4) 114.90 x 1350 =155115
250/109	Restoration of rain damage SH: R/M of nallah near harish joshi for proctacion near sudesh rani & indira rani ouse ward no.12	Gurdev singh	1. P/L c.c work(1:6:12)4.49 x 3250 =14592.50 2.P/L c.c work 1:2:4 (9.96 x 6000 =59760),3. R/R masnory(59.11 x 3900 =211029)
251A/109	C/O Retaining wall near the shop of sh Ram singh and path behind	Gurdev singh	P/L c.c work 1:6:12 (5.36 x 3250 =17240) 2. P/L c.c work 1:2:4 (5.58 x6000 =33480) 3. R/R masnory old ston (15.60 x 2175 =33930), new ston(28.85 x 3350) =

	old D.C office ward no. 12		96647
251/110	P/L cement concreat path road and crash barrier from ashwani house ward no. 14	Rohit chauhan	P/L 1:6:12 (22.17 x 2700 =59859) 2. P/L 1:2:4 (15.84 x 4700 =74448)
251B	Construction of retaining wall near public toilet in jawahar park ward no. 6	Rohit chauhan	P/L 1:6:12 (1.22 x 3200 =3904 2. R/R masnory (24.52 x 3950 = 96854)
252/111	Construction of drain path and retaining wall near dogra house JBT road ward no.13 phase II	Vishal kaushal	P/L 1:6:12 (4.76 x 2300 = 10948) 2. R/R masnory (97.56 x 3300 = 321948)
252B/111	P/L finolex pipe near primery school kallen solan ward no. 13 phase II	Vishal kaushal	P/L 1:6:12 (0.54 x 3300 =1782)
252C/111	P/L finolex pipe near primery school kallen solan ward no. 13	Vishal kaushal	P/L 1:6:12 (0.54 x 3300 =1782)
252C/111	P/L R/wall from rajghar road toward SDM residence	Vishal kaushal	P/L 1:6:12 (.18 x 3150 =567) 2. R/R masnory (5.34 x 3600 = 19224)
252D/111	P/L R/wall near ramesh sharma house ward no. 10	Vishal kaushal	P/L 1:6:12 (.18 x 3150 = 567) 2. R/R masnory 5.34 x 3600 = 19224)
252E/111	P/L R/wall near dhobal dailly need	Vishal kaushal	P/L c.c work 1:6:12 (.18 x 3150 = 567) 2. R/R masnory 5.30 x 3600 = 19080)

	shop ward no.10		
253	Repair of Nallah & path Adjoing Iti, ward no. 2	Sh. Vivek Dobhal	1. PL CC 1:6:12(40mm)= 11.88 cubm x 2500= 29700/- 2. PL CC 1:2:4 in 20 mm = 12.39x 5800= 71862/- 3.PL CC 1:2:4 in 20 mm = 35.57x 5800= 206306/
253 A /106	C/o path near BDO office ward no .2	Sh. Vivek Dobhal	1. PL CC 1:3:6(40mm)= 37.05 cubm x 4700= 174135, 2. PF precast 20 mm in 1:6= 19.41 sqmx545= 10578/-
254/113	Repair of path in Vasant Vihar ward no. 2	M/S A.P. Associates	1. PL CC 1:6:12= 0.30x2854=856/-, 2.PLCC 1:2:4= 1.41x4652=6559/ -
254A/106	C/o path & nallah near h/o sharma house to neel kant, ward no. 2	M/S A.P. Associates	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 6.45 cubm x 2200= 14190 /- 2. PL CC 1:4:8 in 40 mm = 47.45 cubm x 4400= 208780/- 3.PL CC 1:2:4 in 20 mm = 18.747cubm x 4500 = 84362 /-
255/114	PF steel reeting Ward no-9, sabzi shop to sharma house	Bhupender Singh thakur	1. PL CC 1:2:4(20mm) = 0.26 cubm x 5500= 1430
255/114	C/o street vendor at Saproon Phase 1	MS Social health and educational development socity	1. 2n class brick masonary in 1:6= 59.67x 5500= 328155/- 2. 2nd class half brick masnary 401.31 x 700= 280917/-
256/115	R/o R/wall Ward no -15	Vinay thakur	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 11.44 cubm x 2800 = 32032 /- 2. PL RR masnory 1:6 in 20 mm = 63.34 cubm x 3400 = 215356 /- 3.PL CC 1:2:4 in 20 mm = 6.19 cubm x 5500 = 34045
256/115	P/L of walls gautam budh vihar Ward no-1	Vnay thakur	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 13.48 cubm x 2750 = 37069 /- 2. 2nd class brick masnory in 1:6 = 4.33 x 5500 = 23815 /-
258 /117	Special repair of path ward no -11, Prem Gali.	Anil chauhan	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 22.19 cubm x 2500= 55475 /- 2. PL CC 1:4:8 in 25 mm = 10.42 cubm x 2600= 27092/- 3.PL tiles 1:3 in 20 mm = 254.45cubm x 820 = 208649 /-

258/117	C/o retaing wall ward no.11 (Amar house to Bhandari house)	Anil chauhan	1. PL CC 1:2:4(20mm) = 16.73 cubm x 5500= 92015 /- 2.PL cc 1:6:12 in = 3.59cubm x 2758.35 = 9902/-
259/118	C/o u-shape drain and grating near ram singh shop ward no.12	Subhash chand Rana	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 4.23 cubm x 3000= 12690 /- 2. PL CC 1:2:4(20mm) in = 34.46cubm x 6000= 206760/-
259/118-B	Restoration of rain damages sub head Sherawali kothi ward no- 8	subhash chand Rana	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 11.08 cubm x 3150 = 34902 /- 2. PL CC 1:2:4 in 20 mm = 11.96 cubm x 6200 = 74152 /- 3.PL CC 1:6:12 = 4.47 cubm x 3150 = 14080/. 4. PlCC 1:2:4(20 mm)=3.46 cubemm x6200=21452
259/118-C	Care of nala and covering of nala kartar house to Sandhu house ward no - 12	Subhash chand Rana	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 8.58 cubm x 3300 = 28314 /- 2. PL CC 1:2:4 in 20 mm = 1.56 cubm x 6000 = 9360 /-
260/119	P/L inter lock power block in ward no.14	M/S brother traders	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 9.95 cubm x 1400 = 13930 /- 2. PL heavy duty precast paver block 25mm in 1:4 = 322.21cubm x 960= 309321
260B/119	P/L inter lock power block in ward no.14	M/S brother traders	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 5.57 cubm x 1900 = 10583 /-
260/119	P/l checker tiles and granite mohan park Ward no- 5	M/S brother traders	1. PL CC 1:3(25mm) = 98.74cubm x 900/- = 88868/-
261/120	Restoration of rain damages :- sub head R/W of R/M path Uday vihar Adarsh vihar rajgargh apartment	Virander thakur	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 5.63 cubm x 3200 = 18016 /-

	congress bhawan Ward no- I		
261B/120	P/L interlocking power on tank road to sari road ward no.10 phase 2	Virander thakur	1.P/LCC 1:6:12in 40 mm = 11.16cubm x3250/- = 36270, 2. PL heavy duty precast 25 mm (1:40 = 120.33 sqmx1500= 180495/-
261A/120	P/L interlocking power on tank road to sari road ward no.10 phase II	Virander thakur	1. PL CC 1:6:12in (40mm)= 11.16cubm x3250=36270/-
261C/120	P/L Repair of road ward no.1 (sub head 1:2:4 and 1:6:12)	Virender thakur	1. PL CC 1:6:12 = 4.58 cubm x 3250 = 14885 /- 2. PL CC 1:2:4in (20 mm) = 18.12 cubm x 5900 =106908
261D/120	Repair of path covering nallah wall near DC office ward no.12	virander thakur	1. PL CC 1:6:12 in 40 mm = 4.37 cubm x 3150 = 13766 /- 2. PL CC 1:2:4in (20 mm) = 1.68 cubm x 5800 =9744/-
262/121	C/O road below distt court complex phase - 1 C.J.M toward railway tunnel ward no.12	Ramesh sharma	P/Lcc 1:6:12 (40mm)=20.88cubm x3150=65772/ 2.R/RM/P 1:6 =78.79cub x3750=29546 3.P/L CC 1:2:4 (20mm) =19.55cubm x5800=113390
262A/121	P/F lane barrier type steel gate at MC office	Ramesh sharma	1. PL CC 1:2:4(20mm) = 1.40 cubm x 5800 = 81210 /-
263/122	PLCC on road at upper bazar ward no- 7 and 9	Parminder singh dhimaan	1. PL CC 1:1/2:3(20mm) = 17.80 cubm x 5000 = 89000/-
264/123	PL block block from subathu road to nirmala house	vivek oberai	PL CC 1:2:4(20mm) = 9.23 cubm x 4900 =45227, 2. PL heavy duty precast paver block 25 mm in 1:4= 369.47 sqm x 1000=

	ward no n-1		369470/-
265/124	C/of septic tank and slab culvert at street vender ward no -2	m/s shahid	1. PL CC 1:2:4(20mm) = 4.48 cubm x 5450 = 24416 /- 2. PL CC 1:4:8 in 40 mm = 73.52 cubm x 3650 = 268348 /- 3. second class brick work1:6 = 8.46CUBM x 5450 = 46107
273/128	P/L interlock power block from sharma house to shoolini phase1 ward no.8	vikrant sharma	P/LCC 1:6:12 =(40mm)=37.05cubm x3350=1241182/- , . PL heavy duty precast paver block 25 mm in 1:4= 304.89 sqm x 1390= 423797/-
273-A	P/inter lock pawer block from shoolini enclave to sherawali kothi phase I, ward no. 8	vikrant sharma	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 31.55 cubm x 3350 = 105692 /- 2. PL paver blocks in 1:4 = 255.84 cubm x 1390 = 355618/-
273-B	P/L inter locking pavrblock sharma house to shoolini enclave phase -2 ward no-8	vikrtant sharma	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 29.92 cubm x 3350 = 100232 /- 2. PL CC paver block in 1:4 in 25 mm = 242.65 cubm x 1390 = 337284/-
273/c	P/L inter lock from amrik singh house to thodo ground ward no-7 phase -1	vikrant sharma	P/L paver block in 1:4 (25mm) = 309.35 cubm x 891= 275630/-
273/d	P/L inter lock from amrik singh house to thodo ground ward no-7 phase -2	vikrant sharma	P/L paver block in 1:4 (25mm) = 319.40 cubm x 891= 284585/-
273/e	P/L inter locking shoolini enclave to sherawali	vikrant sharma	1. PL CC 1:6:12(40mm) = 15.67cubm x 3350 = 52494/- 2. PL paver block in 1:4 (25 mm)= 127.42 cubm x 1390 =

	kothi phase no -2 ward -8		177114/-
		माह् 03/2021	
702/292 (2)	C/O brick wall and railing near thodo ground	Shubash chand rana	P/L c.c (1:6:12) 40mm 1.72 cunm x 3150/- = 5418/- 2. Brick work using common brunt clay (1:6) =1.317 cubm6500/- = 8560/-
702/292 (3)	C/O R/wall near exercise office ward no. 14	Shubash chand rana	Random rubble masnory (1:6) =5.44 cubm x 3850/- = 20944/-
705/294	C/O path R/wall railling from jaunaji road to bansi lal house ward no. 8	Shubash chand rana	P/L c.c 1:2:4 (20mm) 0.32 cubm x6500/-= 2080/-
710/299	C/O padistrial path from chambaghat st. lukesh school	Bhupender singh thaku	P/L c.c (1;6:12) 14.805cubm x 3300 = 48856 2. P/L(1:2:4)= 70.53cubm x 700/- = 49371/-
715/303	C/O r/wall below and path ghyani house in ward no.1	Gurdev singh	P/L c.c (1:3:6) 20mm= 33.88cubm x 5350 = 181258/- 2. P/L c.c (1:2:4) 20mm= 3.30cubm x 6000 =19800/-
716/304	C/Om patrh stair and p/l pvc pipe 250mm dia various place in uday vihar in ward no 1	Anil chauhan	1. P/L (1:3:6) 5.62 cubm x 3100 = 17438 2/- . 2. Brick work using common brunt cley (1:6)= 2.8776 sqm x 5200/-=14964/- 3.P/F precast checkerd tiles 20mm =25.12 sqm x 760/-= 19091/-
716/304 (2)	C/O path pine estate colony near naveen rathor house ward no.1	Anil chauhan	Brick work (1:6) =5.275 sqm x 5200= 24730 2. P/F precast checkerd tiles (1:6)= 35.22 sqm x 690/- = 24302/-
716/304 (3)	P/railing for the stair from tank road to transfer to madhuban colony	Anil chauhan	P/L c.c (1:2:4) =1.38cubm x 1600 = 2211
718/306	Construction of R/wall near jain house in ward no. 9	Bhupender jaswal	Stone masnory in cement motar =5.2325 cubm x 3800/- = 19884 /- . Brick work using common brunt clay (1:6) =0.11109 cubm x 5700/- = 633/-
719/306	P/L sewerage line from upper surya vihar to rajghar road ward no. 11	Dig vijay	P/L c.c (1:2:4) =20.4115 cubm x 5900/-= 120428 /- 2. 15mm cement palster in cement coat on rough side (1:6) 109.56

			sqmx 238.6/- = 26140/-
715/303(2)	CO retaining wall and path near Gyani house in ward no. 1	Gurdev singh	P/L c.c (1:3:6) 20 mm = 33.88 cubm x 5500/- = 186340/-

57 निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति संबंधी अनियमितताएं :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृतियों से संबन्धित कई विवरणियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं थी, कुछ पर स्वीकृति से संबन्धित राशियाँ एवं स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी का पद उल्लेखित नहीं थी तथा कुछ वाउचरों के साथ यह विवरणियाँ संलग्न ही नहीं पाई गई जिसका सम्पूर्ण विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है | इस अनियमितता के चलते निर्माण कार्यों का आबंटन उचित राशि पर किया गया था इस तथ्य का सत्यापन नहीं किया जा सका | अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित रूप में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम	आबंटित राशि (₹)
09/2019	232/92	R/M of house of smt beena thakur as per SDM order ward no 7	Tarun kumar sharma	242575
	234/94	R/S of rain damage subhead: removel of slip from different ward Mc	Mohmad akram	166759
	235/995	Providing and fixing of retro reflected and lg vinyle with eco solvent printing sign board at different places of town under swachta	M/S shani graphic	100400

	236/96	R/M of road and drain from mall road to judical complex subhead : laying of interlocking phase II	Bhiwani rural youth farmer welfare	219245
	239/99	Restoration of rain damage subhead: R/M of R/W & path nallah near shastri house to jagat ram ward no. 13	Vipin gupta	335683
	244A/103	removel of slip near dogra house toward dobhal dailly need shop ward no. 10	Viney bhagnal	20000
	245/104	C/o stall for shoolni fair 2019 subhead: c/o temporary stall, temp. gate at thodo ground	BRV construction	135000
	245A/104	C/o stall for shoolni fair 2019 subhead: c/o temporary stall, temp. gate at thodo ground	BRV construction	134000
	247A/104	C/O path near baba balak nath mandir to ramesh house ward no. 7	Vivek dobal	151960
	248/107	P/L paver bloack nirmla house to near kabari shop ward no. 1	Rahul sharma	194688
	249/108	Supply & fixing of submersible pump set with allied accessories at main tank	M/S Aarkey traders	77650
	249A/108	Supply & fixing water "12 main tank MC Solan	M/S Aarkey traders	94000
	250/109	Restoration of rain damage subhead: R/M of R/W & path nallah near harish joshi house ward no. 12	Gurdev singh	344063
	250B/109	P/L CGI sheet roofing our submersible pump in ward no.14	Gurdev singh	20000
	250C/109	P/L CGI sheet roofing our submersible pump in ward no.14	Gurdev singh	20000
	251A/110	C/O R/wall near block NO. 8 housing board	Rohit chauhan	169350
	252B/111	P/L finolex pipe near primery	Vishal kaushal	20000

		school kallen solan ward no. 13		
	252C/111	P/L finolex pipe near primery school kallen solan ward no. 13	Vishal kaushal	20000
	252C/111	P/L R/wall from rajghar road toward SDm residence	Vishal kaushal	20000
	252D/111	P/L R/wall near rames sharma house ward no.10	Vishal kaushal	20000
	252E/111	P/L R/wall near dobhal dailly need shop	Vishal kaushal	20000
	253	Repair of nallah and path adjoining ITI below railway track ward no.2	Vivek dobal	363372
	253A/106	C/O path near BDO office ward no.2	Vivek dobal	236608
	254A/106	C/O path nallah and R/wall near sharma house to neel kanth house ward no.2	M/S A.P Associate	438396
	255/114	Providing and fixing steel greeting from subzi shop to sharma house ward no.9	Bhupender singh	20000
	255/114	C/O street vendor market at saproon subhead: brick wall and wood work pahse I	M/S Social Health and Education dovelopment authority	867015
	255/114	Disposal of excavated earth kalu ram house to shiv charn house ward no.13	Bhupender singh	20000
	259/118	C/O U shape drain and graiting over drain near ram singh shop ward no 12	Subash chand rana	334350
	259B/118	Restoration of rain damage subhead: R/w of R/m near sherawali kothi shilly road ward no.8	Subash chand rana	351094
	259C/118	C/O nallah and covering from nallah from kartar house ward no.12	Subash chand rana	339322

	260/119	P/L interlock paver block in ward no. 14 from kaleshwar temple toJP verma and Mp gupta house Phase II	Brother trader	324187
	260B/119	P/L inter lock paver block housing board ward no.14 from main gate to khosla house	Brother trader	326876
	260/119	P/L checkerd tiles and granite in mohan park ward no.5	Brother trader	86000
	261/120	Restoration of rain damage subhead: R/m R/w and path udey vihar and path entrance addresh vihar rajghar appartment congress bhawan ward no. 1	Virender thakur	348022
	261A/120	P/L inter locking paver block on tank road to seri road ward no 10	Virender thakur	218925
	261B/120	P/L inter locking paver block on tank road to seri road ward no 10	Virender thakur	218925
	261C/120	Repair of road ward no. 1 barog solan toward Rajghar appartment subhead: 1:2:4 and 1:6:12	Virender thakur	120885
	260/120	Providing and fixing water tank and fancing chain at subhash chandra boss park ward no.9	Virender thakur	20000
	262A/120	Provide and fixing barrer type steel gate at mc parking and mc office	Ramesh cand sharma	121917
	265/124	C/O septic tank slab culvert at street vendor market in ward no. 2 subhead: Excavation disposal and cc work phase II	Social health education dovelpment society	581673
	273/128	P/L inter lock paver block from sharma house to shoolni enclave phase I	Vikrant sharma	609293
	273A/128	P/L inter lock paver block from shoolni enclave to sherawali kothi phase I	Vikrant sharma	513831

	273B/128	P/L inter lock paver block from sharma house to shoolni enclave phase II	Vikrant sharma	487468
	273D/128	P/L inter lock paver block from amrik singh house to thodo ground phase I	Vikrant sharma	353345
03/2021	681/285	C/O laying and fixing G.I pipe 50 mm from sugandha apartment to BDO office.	Sahjhan	165263
	681/285 (2)	Connecting and laying down water line to newly constructed australian tank in ward no.11	Shajhan	142850
	681/285 (3)	Connecting and laying down water line to newly constructed australian tank in ward no.11	Shajhan	143150
	699/289	Special repair of E.O residence and rest hose near thodo ground at solan	Virender thakur	133936
	707/296	C/O padistrial path from chambaghat to old bus stand	Bhupender singh thakur	162072
	700/290	Proposed construction of gate Santri post in army area	Brother trader	--------
	700/290 (2)	Proposed construction of gate Santri post in army area	Brother trader	--------
	704/293	Repair and improvement of road laeding to solan city from old D.C office to railway staion	Mhomad Akram	--------
	706/295	Repair of paver drain and boundry wall from judical court gate to bhakshi house	Subash chand rana	150306
	708/297	C/O padistrial path from chambaghat to old bus stand	Bhupender singh thakur	180849
	709/298	C/O padistrial path from chambaghat to old bus stand	Bhupender singh thakur	162271
	710/299	C/O padistrial path from chambaghat st. lukesh school	Bhupender singh thakur	180771
	712/301	Repair of various path drain,	Geeta ram	472371

		sewerage line R/wall ete. In different part kasai gali ward no. 5		
	715/303 (2)	C/O r/wall below Gyani house in ward no.1 phase II	Gurdev singh	209470

58 विविध :-

(i) अंकेक्षण के दौरान निम्न तालिका में दर्शाये गए निर्माण कार्यों से संबन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि टेंडर आबंटन समिति में तीन सदस्य न होकर केवल दो सदस्य थे तथा संविदाकरों को दो सदस्यों की समिति के आधार पर निम्न कार्यों का आबंटन कर दिया गया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

माह	वाउचर संख्या	कुल भुगतान (₹)	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम
09/2019	229/89	217650	C/O path to sh. Krishna mandir phase 1 ward no 2	Yaju pant
	231/91	32612	Repair and maintenance of nallah infront of sehgal house tobawra house road waed no.4	Deepak sharma
	241/100	116359	Restoration of rain damage Ward no. 4	Surender kumar
	242/101	237256	Restoration of rain damage Ward no. 3	Bhupender Jaswal
	254/113	174924	Repair of path in vashantn vihar front of verma cottage	A.P Associate
	273E	253781	P/L inter lock paver block from sholnni enclave to sherawali kothi phass II	Vikrant sharma

03/2021	681/285	165263	C/O laying and fixing G.I pipe 50 mm from sugandha apartment	Shajahan
	698/283	1762133	Sustainable management of water source for water security in solan MC ward no. 11	M/S shubham acqualink

(ii) निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए निर्माण कार्यों का आबंटन न्यूनतम तीन टेंडर प्राप्त किए बिना ही कर दिया गया था जोकि अनियमित है | अंकेक्षण के दौरान मौखिक एवं लिखित रूप में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 28 दिनांक 24/09/2021 तथा 29 दिनांक 06/10/2021 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवशयक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी जिसका अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

वाउचर संख्या / माह	निर्माण कार्य का शीर्ष	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य पर आया कुल व्यय (₹)
233/93 / 09/2019	Construction of ambulence road and repair of nallah and path in front of karam chand house and guleria house ward no.1	Tarvinder singh	240366
239/99	Restoration of rain damage subhead: R/M of R/W & path? Nallah near shastri house to jagat ram ward no. 13	Vipin gupta	288514
245/104	C/O stall for shoolni fair 2019, solan subhaed: c/o temporary stall, temp. gate at M.C rest house lawen and thodo ground	M/S BRV construction	135000
245A/104	C/O stall for shoolni fair 2019, solan subhaed: c/o temporary	M/S BRV construction	134000

	stall, temp. gate atd thodo ground		
249/108	Supplya and fixing of submersible pump set with allied accessories at main tank	M/S Aarkey traders	77650
249A/108	Supply and fixing water meeter 12" water main tank M.C solan	M/S Aarkey traders	94000
253	Repair of nallah and path adjoining ITI below railway track ward no. 2	Vivek dobal	363372
253A/106	C/O path near BDO office ward no.2	Vivek dobal	230211
254A/106	C/O path, nallah and R/Wall near sharma house to neel kanth house and tiles near arrora house ward no. 2	M/S A.P Associate	421911
259C/118	C/O nallah and covering from kartar house to sandhu house ward no.12	Shubash chand	311380
265/124	C/O septic tank slab culvert at street vendor market in ward no.2 subhead: Excavation disposal and c.c work phase II	Social health education dovelopment society	460125
681/285 / 03/2021	C/O laying and fixing G.I pipe 50 mm from sugandha apartment	Shajahan	165263

(iii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए निर्माण कार्यों का आबंटन संविदाकारों द्वारा निविदा में भरे गए दरों के आधार पर तैयार की गई तुलनात्मक विवरणियों को निर्माण कार्यों के आबंटन हेतु गठित समिति सदस्यों के अनुमोदन / सत्यापन के बिना ही कर दिया गया था जोकि अनियमित है तथा इस कारण इन निर्माण कार्यों का आबंटन उचित नहीं माना जा सकता है | अंकेक्षण द्वारा ज्ञापन संख्या 28

दिनांक 24/09/21 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु लाई गई थी परंतु निगम द्वारा इस बारे कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस अनियमितता के बारे में स्थिति स्पष्ट किए जाने के साथ-2 इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

वाउचर संख्या / माह	**निर्माण कार्य का शीर्ष**	**संविदाकार का नाम**	**निर्माण कार्य पर आया कुल व्यय (₹)**	**टिप्पणी**
244 / 103 / 09/19	Removal of slips near Dogra house towards Dhobal daily needs ward no. 10 phase -II	Sh. Vinay bhagnal	20000	तुलनात्मक विवरणी कनिष्ठ अभियंता एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी
244A/ 103 / 09/19	Removal of slips near Dogra house towards Dhobal daily needs ward no. 10 phase -II	Sh. Vinay bhagnal	20000	यथोपरि
260/120	PF water tank and fencing chain ward no. 9	श्री वीरेंदर ठाकुर	20000	तुलनात्मक विवरणी अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नहीं थी

(iv) अंकेक्षण के दौरान नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों हेतु प्रेषित निविदाओं पर डायरी संख्याएँ (diary no.) अंकित नहीं थी जिससे स्पष्ट होता है कि निगम द्वारा निविदाएँ diary नहीं की जा रही थी | डायरी संख्या (diary no.) के अभाव में निविदाएँ निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त हुई थी या नहीं इस तथ्य का सत्यापन कर पाना संभव नहीं होता है | इसके अतिरिक्त निविदाओं के साथ लिफाफे भी संलग्न नहीं थे जिस कारण इनके सीलबंद होने पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है | इस कारण निर्माण कार्यों के आबंटन में होने वाली अनियमितताओं की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता है | नगर निगम द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस बारे में कोई

स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा भविष्य में इस संदर्भ में अपेक्षित सुधार किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

(v) निगम द्वारा निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व जिन मदों का निर्माण कार्य में निष्पादन किया जाना है उनके नियमानुसार विहित प्रक्रिया द्वारा अलग -2 दर विश्लेषण (justification of rates) तैयार नहीं किए जा रहे थे इस कारण इस तथ्य की पुष्टि करना संभव नहीं होता है कि जिस राशि/दर पर संविदाकार को निर्माण कार्य का आबंटन किया जा रहा है वह वर्तमान बाजार भाव के भीतर होने के साथ-2 औचित्यपूर्ण (justified) है | निगम द्वारा कई बार आग्रह के पश्चात भी इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई | अत: इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा भविष्य में इस संदर्भ में अपेक्षित कारवाई की जानी सुनिश्चित की जाए |

(vi) अधिकतम प्रकरणों में नगर निगम द्वारा संविदाकारों से निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान प्रयोग हुए सीमेंट के क्रय से सम्बन्धित बिल प्राप्त नहीं किये गए थे तथा निर्माण कार्यों में हुई सीमेंट की खपत भी नहीं निकाली गई थी जिसके अभाव में जहां एक ओर निर्माण कार्यों पर हुई सीमेंट की खपत क्रय किये गए सीमेंट की मात्रा के अनुसार है वही दूसरी ओर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया गया है इन तथ्यों की पुष्टि संभव नहीं हो सकी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए |

59 **C/o street vendor market with parking under MC Solan in bye pass solan (SH :- First floor), (Contractor :- Sh. Suman Sharma, award letter no. 7484 dated 18/03/2017, awarded amount ₹2891864/-, MB no. 332 and 337,,1st, 2nd & final bill)**

उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित बिलों की विस्तृत पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई -:

(i) निर्माण कार्यों का समापन निर्धारित समय अवधि में न होने के बावजूद जुर्माने (penalty) की वसूली न करना :-

आबंटन पत्र 7484 दिनांक 18/03/2017 की शर्त संख्या 4 के अनुसार निर्माण कार्य के समापन हेतु तीन माह की अवधि निर्धारित की गई थी परंतु यह निर्माण कार्य दिनांक 18/03/2017 को आरंभ हुआ तथा दिनांक 25/07/2019 को समाप्त हुआ | स्पष्ट है कि निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था जिसके फलसवरूप आबंटन पत्र में विहित शर्त संख्या 4 के अनुसार जुर्माने की वसूली की जानी अपेक्षित थी जोकि नहीं की गई | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा इस संदर्भ में अनुबंध के clause " 2 " के अनुसार कार्रवाई एवं अपेक्षित वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(ii) निर्माण कार्य पर हुए अधिक व्यय के फलस्वरूप ₹1523552/- विचलन (Deviation) से संबन्धित राशि को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित न करवाना :-

कार्य आबंटन पत्र 7484 दिनांक 18/03/2017 के अनुसार यह कार्य ₹2891864/- में आबंटित किया गया था परंतु निर्माण कार्य के आबंटन पत्र पर निष्पादित किए जाने वाले मदों एवं इन मदों हेतु देय दरों का उल्लेख नहीं था | इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य से संबन्धित DNIT (demand notice inviting tender) भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में निर्माण कार्य में कितने मदों का निष्पादन किया जाना था इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी | निर्माण कार्य से संबन्धित तुलनात्मक विवरणी में 14 मदों का उल्लेख था परंतु माप पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार 3 मुख्य मद तथा 2 अतिरिक्त मदों का निष्पादन किया गया था निर्माण कार्य पर कुल व्यय ₹3014573/- (वाउचर संख्या 230/90 माह 09/2019) हुआ था जिसे आबंटित राशि ₹2891864/- पर परिमित (restrict) किया गया था | तुलनात्मक विवरणी के अनुसार तीन मुख्य मदों पर ₹1149225/- (44871.94+57338.83+1047014) का व्यय किया जाना अपेक्षित था

परंतु इन मदों पर ₹2680205/- [2891864-211659(14660+196999)] व्यय आया था | फलसवरूप इन मदों पर ₹1530980/- (2680205-1149225) अधिक व्यय हुआ था परंतु विचलन (deviation) से संबन्धित इस राशि को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित नहीं करवाया गया था | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपरोक्त अधिक व्यय / विचलन को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

(iii) रॉयल्टी (royalty) की कटौती न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए मदों के निष्पादन के दौरान प्रयोग हुई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर आदि पर न तो रायल्टी की कटौती की गई थी की तथा न ही संविदाकार / आपूर्तिकर्ता से निर्धारित “एम” फ़ॉर्म ही प्राप्त किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा
5/7	PL cc in 1:1/1/2 :3 in 20 mm	330.41(94.88+235.53) cubmx5144) = 1699629/-
6/2 EI	PL cc in 1:4:8	71.61 cubmx2751/- = 196999/-

(iv) जल प्रभार की वसूली न करना :-

निर्माण कार्य से संबन्धित बिलों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि बिलों की राशि के भुगतान से पूर्व न तो आबंटन पत्र 7484 दिनांक 18.03.2017 में उल्लेखित शर्त संख्या 5 के अनुसार water charges (1.5%) की कटौती की गई थी तथा न ही माप पुस्तिका में इस संदर्भ में कोई उल्लेख/ सत्यापन पाया गया कि संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु पानी की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी | निर्माण कार्य से संबन्धित निम्न

तालिका में दर्शाये गए मदों के निष्पादन के दौरान जल का प्रयोग हुआ था | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा जल प्रभार की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा
5/7	PL cc in 1:1/1/2 :3 in 20 mm	330.41(94.88+235.53) cubmx5144) = 1699629/-
6/2 EI	PL cc in 1:4:8	71.61 cubmx2751/- = 196999/-

(v) निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सीमेंट की आपूर्ति के बारे में स्थिति स्पष्ट न करना :-

निर्माण कार्य हेतु 1080 सीमेंट बैग जारी किए गए थे | प्रथम बिल के अनुसार मद “ PL cc 1:1/1/2:3” की 141.25 cubm (13.76+127.49) मात्रा निष्पादित की गई थी जिसमें 1073 सीमेंट बैग [(141.25 x 8 प्रति बेग -5% (अपव्यय)] की खपत दर्शाई गई थी तथा जारी किए गए 1080 बैग की वसूली 280/- प्रति बैग की दर से कर ली गई थी | इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के दूसरे तथा अंतिम बिल के अनुसार मद “ PL cc 1:4:8 के (74.31 cubm) तथा PL cc 1:1/1/2:3 (94.28 cubm) “ का निष्पादन किया गया था जिनमें सीमेंट की खपत हुई थी | इन मदों के निष्पादन हेतु संविदाकार द्वारा सीमेंट की आपूर्ति कहाँ से की गई थी इस बारे में न तो अभिलेख में कोई विवरण दर्ज था तथा न ही निगम द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

(vi) स्टील तथा सीमेंट के जारी किए जाने संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

निर्माण कार्य के अंतिम बिल तक ₹1138918.92 (774333+364585.92) मूल्य के ₹23727.48 (16131.94+7595.54) किलोग्राम स्टील की वसूली की गई थी | इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु 1080 सीमेंट बेगस इंडेंट्स [(VKP26=331,

VKP10=500, VKP11=249 BEGS)] द्वारा जारी किए गए थे परंतु स्टील एवं सीमेंट जारी किए जाने से संबन्धित इंडेंट्स (indents) तथा स्टॉक पंजिका अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी प्रस्तुत न किए जाने के कारण निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु जारी की गई स्टील एवं सीमेंट की मात्राओं की जांच संभव नहीं हो सकी | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित इंडेंट्स एवं स्टॉक पंजिका आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाये |

(vii) सीमेंट तथा स्टील की वसूली संबंधी रेटों का आबंटन पत्र पर उल्लेख न होना :-

निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान हुई सीमेंट तथा स्टील खपत की वसूली क्रमश: ₹280/- प्रति बेग तथा ₹48/- प्रति किलो की दर से की गई थी परंतु निर्माण कार्य से संबन्धित आबंटन पत्र पर उक्त रेटों के आधार पर वसूली किए जाने बारे किसी शर्त का उल्लेख नहीं था जिसके अभाव में इन रेटों के आधार पर की गई स्टील एवं सीमेंट की खपत से संबन्धित राशियों की वसूली के सही होने संबंधी तथ्य की पुष्टि संभव नहीं हो सकी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त रेटो के आधार पर स्टील एवं सीमेंट की वसूली किए जाने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा निर्देश सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाए |

(viii) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एवं सभा द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य के संदर्भ में निदेशक, शहरी विकास, हि० प्र० द्वारा जारी पत्र संख्या UD-H-9F)(10)-9/2007-Misc. Engg cell. -2020-9068 दिनांक 02/08/2010 में विहित निर्देशों के अनुसार अधिशासी अभियंता द्वारा अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति तथा निर्माण कार्य के संदर्भ में परिषद सभा द्वारा पारित प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस बारे में अपेक्षित अंकेक्षण संभव नहीं हो पाया | अत: स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाये |

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 32 दिनांक 11/10/2021 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं नगर निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण / कार्रवाई हेतु लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

60 "Repair & maintenance of MC main water tank, SH P/L roof on 8 lakh gallons and 12 lakh gallons capacity water storage main tank (Contractor :- Sh. MS Vidya Infrastructure developers near Mohan Park solan, award letter no. 3715 dated 15/10/19, awarded amount ₹8801634/-, MB No.342)

उपरोक्त निर्माण कार्य से संबन्धित बिल 1st चलित बिल ₹1357904/- की विस्तृत पड़ताल के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई -:

(i) रॉयल्टी (royalty) की कटौती न करना -:

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निगम द्वारा निम्न तालिका में दर्शाये गए मदों के निष्पादन के दौरान प्रयोग हुई निर्माण सामग्री रेत, बजरी, पत्थर आदि पर न तो royalty की कटौती की गई थी की तथा न ही संविदाकार / आपूर्तिकर्ता से निर्धारित "एम" फ़ॉर्म ही प्राप्त किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस संदर्भ में अब अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा
5/7	PL cc in 1:1/1/2 :3 in 20 mm	157651(23.53x6700)+ +459195(66.55x6900)+10800(1.5x7200) = 627646/-
2	PL cc in 1:4:8	1.92 ubm x 4000/- = 43680/-

(ii) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य विभाग ने पत्र संख्या 2476 दिनांक 03/06/2020 द्वारा निर्माण कार्य हेतु ₹5749000/- (12 lac gallon capacity tank) तथा ₹4808000/- (8 lac gallon capacity tank) की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय यह शर्त लगाई थी कि "structural design and drawing of columns, beams, roofs and roof trusses etc. be got evolved from structural engineer and same may be got approved from competent authority of the state PWD before start of execution of work at site of work." परंतु निगम द्वारा कई बार आग्रह के बावजूद सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से संबन्धित उक्त दस्तावेज़ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में इस संदर्भ में आवश्यक अंकेक्षण संभव नहीं हो सक | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए |

(iii) हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वस्थ्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु पत्र संख्या 2476 दिनांक 03/06/2020 द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी, जबकि संविदाकार को निर्माण कार्य का आबंटन, पत्र संख्या 3715 दिनांक 15/10/2019 द्वारा पहले ही कर दिया गया था | इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य का निष्पादन भी तकनीकी स्वीकृति आने से पूर्व दिनांक 15/10/2019 को कर दिया गया था | नगर निगम द्वारा सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति से पूर्व निर्माण कार्य का आबंटन एवं निष्पादन करवाए जाने के बारे में कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया | अत: इस अनियमितता के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये |

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 33 दिनांक 11/10/2021 द्वारा भी उपरोक्त अनियमितताएं नगर निगम के ध्यान में आवश्यक स्पष्टीकरण / कार्रवाई हेतु लाई गई थी परंतु अंकेक्षण की समाप्ति तक इनके संदर्भ में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया |

61 **स्टोर / स्टॉक : -**

अंकेक्षण के दौरान नगर निगम/परिषद के स्टोर स्टॉक के नमूना परीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई :-

(i) स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical verification) न करवाए जाने बारे:-

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 140 तथा 141 में विहित निर्देशों तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43(सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है | भौतिक सत्यापन के अभाव में न तो स्टोर में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारण किया जा सकता है | अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक एवं अंकेक्षण पत्र / अधियाचना संख्या 21 दिनांक 01/06/2021 द्वारा आग्रह के पश्चात भी नगर निगम/परिषद द्वारा स्टोर एवं स्टॉक के भौतिक सत्यापन से संबन्धित अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि स्टोर एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा था जोकि उपरोक्त नियमों में विहित निर्देशों / प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है | गत अंकेक्षण में भी अंकेक्षण पैरा संख्या 58 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में अपेक्षित कार्रवाई न करना न केवल निगम की लापरवाह कार्यशैली दर्शाता है अपितु इस कारण परिषद कोष को हो रही हानि की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है | अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ 2- इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी

अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए | इसके अतिरिक्त भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाये |

(ii) क्रय की गई स्टोर / स्टॉक संबंधी विभिन्न वस्तुओं की प्रविष्टियाँ संबन्धित पंजिकाओं में न करना :-

अंकेक्षण के दौरान ज्ञापन संख्या 27 दिनांक 27/09/21 तथा 30 दिनांक 06/10/21 द्वारा आग्रह के बावजूद निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित पंजिकाओं में नहीं दर्शाई गई जोकि अनियमित है | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट कि जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए |

माह	वाउचर संख्या	राशि (₹)	विवरण
03/21	721/309	84350	26 जनवरी मनाने हेतु विभिन्न सजावटी एवं अन्य वस्तुओं के क्रय हेतु भुगतान
	676	1440	Rubber stamps का क्रय
09/19	302	5552 (2643+1000+ 900+ 1009)	बेनर्स (banners), नाम पट्टिका (name plate) आदि के बनवाने हेतु किया गया भुगतान	
	249-C	20886/-	Water tank, spindle आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान	
	292	4700	रोकड़ बही पंजिकाओं आदि के क्रय हेतु किया गया भुगतान
	278	5332/-	ट्रॉफीस (trophies) के क्रय हेतु किया गया भुगतान
	289	2900/-	Hand book writing pads का क्रय

(iii) Inventory Register का रख रखाव न करना -:

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी inventory register अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | इससे यह प्रतीत होता है कि नगर निगम/परिषद द्वारा inventory register का रख रखाव नहीं किया जा रहा था तथा विभिन्न पंजिकाओं

को मुख्य स्टोर से जारी करते समय Inventory Register में दर्ज नही किया गया था जोकि अनियमित है | inventory register के अभाव में कार्यालय प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न पंजिकाओं बारे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है | गत अंकेक्षण में भी अंकेक्षण पैरा संख्या 59 द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में निगम द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी | अतः स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा inventory register का रख रखाव किया जाए तथा परिषद की सभी पंजिकाओं को Inventory Register में दर्ज करके तथा उन पर inventory no. का उल्लेख करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

(iv) **अचल संपत्ति पंजिका (Immovable Property register) प्रस्तुत न करना :-**

Municipal Act 1994 के नियम 57 (3) में विहित निर्देशों के अनुसार परिषद द्वारा अचल संपत्ति पंजिका का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है जिसमें परिषद की विभिन्न अचल सम्पत्तियों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज हो | अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के पश्चात भी यह अभिलेख अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया | गत अंकेक्षण में भी पैरा संख्या 57 (i) द्वारा यह अनियमितता निगम के ध्यान में लाई गई थी परंतु इस संदर्भ में निगम द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी | अतः अत: इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाये तथा संबन्धित अभिलेख अधत (update) करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाये ताकि परिषद के अंतर्गत विभिन्न अचल सम्पत्तियों के संदर्भ में एवं उनके सही उपयोग बारे स्थिति स्पष्ट हो सके |

(v) सीमेंट एवं स्टील के क्रय/प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करना :-

निगम द्वारा **परिशिष्ट "भ"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निगम ने अंकेक्षण अवधि के दौरान सीमेंट एवं स्टील का न तो क्रय किया गया था तथा न ही जारी किया गया था | पत्र / अधियाचना संख्या 21 दिनांक 01/06/2021 एवं ज्ञापन संख्यां 32 दिनांक 11/10/2021 द्वारा

आग्रह के पश्चात भी सम्बन्धित पंजिका, निगम द्वारा **परिशिष्ट "भ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान वास्तव में सीमेंट एवं स्टील क्रय / जारी नहीं किया गया था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी | अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए |

62 **लघु आपत्ति विवरणी :-** अलग से जारी नही की गई |

63 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख- रखाव में सुधार की आवश्यकता है |

हस्ता / –
(पुनीश सागर)
सहायक नियन्त्रक (ले0प0)
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–09

हस्ता / –
निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–9

File No: Fin (LA)H(2)C(15)(5)04/73 Vol-8- 2980-2982 Dated 12.04.2022

परिशिष्ट "क"   पैरा–1 (ग) में सन्दर्भित

नगर परिषद सोलन के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट निर्णीत/अनिर्णीत अंकेक्षण पैरों की नवीनतम स्थितिः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1972 से 3/1973

1	पैरा–9	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1973 से 3/1975

1	पैरा–11 (डी)	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (एच)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1975 से 3/1976

1	पैरा–6	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–16	अनिर्णीत
4	पैरा–26 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–26 (4)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1976 से 3/1962

1	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–18 (बी) (डी)	अनिर्णीत
3	पैरा–20	अनिर्णीत
4	पैरा–21 (8)	अनिर्णीत
5	पैरा–21 (9)	अनिर्णीत
6	पैरा–21 (14)	अनिर्णीत
7	पैरा–21 (17)	अनिर्णीत
8	पैरा–21 (19)	अनिर्णीत
9	पैरा–21 (25)	अनिर्णीत
10	पैरा–29	अनिर्णीत
11	पैरा–31 (डी)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1982 से 3/1983

1	पैरा—18 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा—18 (एफ)	अनिर्णीत
3	पैरा—19	अनिर्णीत
4	पैरा—22	अनिर्णीत
5	पैरा—23	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1983 से 3/1984

1	पैरा—8	अनिर्णीत
2	पैरा—9	अनिर्णीत
3	पैरा—13	अनिर्णीत
4	पैरा—14	अनिर्णीत
5	पैरा—15	अनिर्णीत
6	पैरा—17	अनिर्णीत
7	पैरा—20	अनिर्णीत
8	पैरा—21	अनिर्णीत
9	पैरा—22	अनिर्णीत
10	पैरा—24	अनिर्णीत
11	पैरा—25	अनिर्णीत
12	पैरा—26	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1984 से 3/1985

1	पैरा—6	अनिर्णीत
2	पैरा—8	अनिर्णीत
3	पैरा—9	अनिर्णीत
4	पैरा—11	अनिर्णीत
5	पैरा—13 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा—14	अनिर्णीत
7	पैरा—15	अनिर्णीत

8	पैरा—16	अनिर्णीत
9	पैरा—17	अनिर्णीत
10	पैरा—18	अनिर्णीत
11	पैरा—19	अनिर्णीत
12	पैरा—20	अनिर्णीत
13	पैरा—21	अनिर्णीत
14	पैरा—22	अनिर्णीत
15	पैरा—23	अनिर्णीत
16	पैरा—24	अनिर्णीत
17	पैरा—25	अनिर्णीत
18	पैरा—26	अनिर्णीत
19	पैरा—27	अनिर्णीत
20	पैरा—28	अनिर्णीत
21	पैरा—29	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1985 से 3/1987

1	पैरा—3 (ए) (21) (3)	अनिर्णीत
2	पैरा—3 (ए) (21) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा—5	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा—7	अनिर्णीत
6	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत
7	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत
8	पैरा—8 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा—8 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा—8 (5)	अनिर्णीत
11	पैरा—9	अनिर्णीत

12	पैरा—10 (11)	अनिर्णीत
13	पैरा—10 (12)	अनिर्णीत
14	पैरा—10(13)	अनिर्णीत
15	पैरा—10 (14)	अनिर्णीत
16	पैरा—10 (15)	अनिर्णीत
17	पैरा—10 (16)	अनिर्णीत
18	पैरा—10 (17)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1988

1	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (डी)	अनिर्णीत
3	पैरा—6 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा—6 (एफ)	अनिर्णीत
5	पैरा—9	अनिर्णीत
6	पैरा—15	अनिर्णीत
7	पैरा—17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा—17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा—19	अनिर्णीत
10	पैरा—20	अनिर्णीत
11	पैरा—21	अनिर्णीत
12	पैरा—22 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा—22 (बी)	अनिर्णीत
14	पैरा—22 (सी)	अनिर्णीत
15	पैरा—23 (1)	अनिर्णीत
16	पैरा—23 (2)	अनिर्णीत
17	पैरा—24 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा—24 (बी)	अनिर्णीत

19	पैरा—24 (सी)	अनिर्णीत
20	पैरा—24 (डी)	अनिर्णीत
21	पैरा—24 (ई)	अनिर्णीत
22	पैरा—24 (एफ)	अनिर्णीत
23	पैरा—25	अनिर्णीत
24	पैरा—26 (ए)	अनिर्णीत
25	पैरा—26 (बी)	अनिर्णीत
26	पैरा—27	अनिर्णीत
27	पैरा—28	अनिर्णीत
28	पैरा—29	अनिर्णीत
29	पैरा—30 (ए)	अनिर्णीत
30	पैरा—30 (बी)	अनिर्णीत
31	पैरा—31 (ए)	अनिर्णीत
32	पैरा—31 (बी)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1990

1	पैरा—5 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—5 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा—5 (र्सी)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (डी)	अनिर्णीत
5	पैरा—5 (ई) (1 से 22)	अनिर्णीत
6	पैरा—6 (ए)	अनिर्णीत
7	पैरा—6 (बी)	अनिर्णीत
8	पैरा—6 (सी)	अनिर्णीत
9	पैरा—6 (डी)	अनिर्णीत
10	पैरा—6 (ई)	अनिर्णीत
11	पैरा—6 (एफ)	अनिर्णीत

12	पैरा–6 (जी)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (एच)	अनिर्णीत
14	पैरा–7 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (बी)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (सी)	अनिर्णीत
17	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
18	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
20	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–9 (सी)	अनिर्णीत
22	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
23	पैरा–10 (ए)	अनिर्णीत
24	पैरा–10 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
26	पैरा–10 (डी)	अनिर्णीत
27	पैरा–10 (ई) (1)	अनिर्णीत
28	पैरा–10 (ई) (2)	अनिर्णीत
29	पैरा–10 (ई) (3)	अनिर्णीत
30	पैरा–11	अनिर्णीत
31	पैरा–12	अनिर्णीत
32	पैरा–13	अनिर्णीत
33	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
34	पैरा–14 (2) (ए)	अनिर्णीत
35	पैरा–14 (2) (बी)	अनिर्णीत
36	पैरा–14 (2) (सी)	अनिर्णीत
37	पैरा–14 (2) (डी)	अनिर्णीत

38	पैरा—14 (2) (ई)	अनिर्णीत
39	पैरा—14 (2) (एफ)	अनिर्णीत
40	पैरा—15 (ए)	अनिर्णीत
41	पैरा—15 (सी)	अनिर्णीत
42	पैरा—15 (डी)	अनिर्णीत
43	पैरा—15 (ई)	अनिर्णीत
44	पैरा—16	अनिर्णीत
45	पैरा—17	अनिर्णीत
46	पैरा—18	अनिर्णीत
47	पैरा—19	अनिर्णीत
48	पैरा—20	अनिर्णीत
49	पैरा—21 (1)	अनिर्णीत
50	पैरा—21 (2)	अनिर्णीत
51	पैरा—22	अनिर्णीत
52	पैरा—23	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1991

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इस प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में नहीं किया जा सका। अतः अपेक्षित कार्यवाही अब करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1991 से 3/1994

1	पैरा—5	अनिर्णीत	
2	पैरा—7 (क से च)	अनिर्णीत	
3	पैरा—8	अनिर्णीत	
4	पैरा—9	अनिर्णीत	
5	पैरा—12	आंशिक निर्णीत	(कुल वसूली की ₹1716 में से ₹925 की वसूली जो कर्मचन्द सफाई निरीक्षक से होनी थी रसीद संख्या 812/61 दिनांक 5.3.18 को द्वारा कर ली गई जो बकाया वसूली योग्य

राशि है उसकी वसूली शीघ्र की जाये।)

6	पैरा–14	अनिर्णीत
7	पैरा–16	अनिर्णीत
8	पैरा–18	अनिर्णीत
9	पैरा–19	अनिर्णीत
10	पैरा–20	अनिर्णीत
11	पैरा–21	अनिर्णीत
12	पैरा–22	अनिर्णीत
13	पैरा–23	अनिर्णीत
14	पैरा–24	अनिर्णीत
15	पैरा–25	अनिर्णीत
16	पैरा–26	अनिर्णीत
17	पैरा–27	अनिर्णीत
18	पैरा–28	अनिर्णीत
19	पैरा–29	अनिर्णीत
20	पैरा–30	अनिर्णीत
21	पैरा–31	अनिर्णीत
22	पैरा–32 (1 से 12)	अनिर्णीत
23	पैरा–33	अनिर्णीत
24	पैरा–34	अनिर्णीत
25	पैरा–35	अनिर्णीत
26	पैरा–36 (1 से 5)	अनिर्णीत
27	पैरा–36 (क से छ)	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1994 से 3/1996

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध न करवाए जाने के कारण इस प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर कार्यवाही की समीक्षा अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः समस्त अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही अब करके वांछित समीक्षा अंकेक्षण से करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/1999

1	पैरा–3 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (ख) (i)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (ख) (ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–5 (ग) (i)	अनिर्णीत
7	पैरा–5 (ग) (ii)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (ग) (iii)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (घ) (ii)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (घ) (iii)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
12	पैरा–5 (ज)	अनिर्णीत
13	पैरा–5 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
15	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–7 (च) (ii)	अनिर्णीत
17	पैरा–7 (च) (iii)	अनिर्णीत
18	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
19	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
20	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
21	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत
22	पैरा–11 (ज)	अनिर्णीत
23	पैरा–15 (ii)	अनिर्णीत
24	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत

25	पैरा–15 (ङ)	अनिर्णीत	
26	पैरा–16	अनिर्णीत	
27	पैरा–17	अनिर्णीत	
28	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत	
29	पैरा–18 (ख)	अनिर्णीत	
30	पैरा–18 (ग)	अनिर्णीत	
31	पैरा–18 (घ)	अनिर्णीत	
32	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत	
33	पैरा–19 (घ) (ii)	अनिर्णीत	
34	पैरा–19 (ङ)	अनिर्णीत	
35	पैरा–20 (क)	अनिर्णीत	
36	पैरा–20 (ग) से (ञ)	अनिर्णीत	
37	पैरा–21 (क) (1 व 2)	अनिर्णीत	
38	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत	
39	पैरा–24	अनिर्णीत	
40	पैरा–25 (ए से जैड)	आंशिक निर्णीत	i) पैरा–25 (ए से जैड) के पैरा संख्या 25 (एच) (iii)25 (J)(3) 25(K)(iv)25 (M) (iv) 25 (O)(iii), 25 (P)(iv) 25 (Q)(V), 25 ®(V), 25 (W)(i), 25 (y)(2) उप निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.2013 के पत्र संख्या 1–548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–5648, दिनांक 30.8.2013 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया। ii) पैरा संख्या 25 (डी) (iii) निर्णीत ₹894 रसीद संख्या 438/85, दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए। iii) पैरा संख्या 25 (जी) (ii) निर्णीत ₹947 रसीद संख्या 438/86 दिनांक 27.9.2013

			द्वारा जमा किए गए।
			iv) पैरा संख्या 25 (जैड) (iv) निर्णीत ₹1539 रसीद संख्या 438/87 दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए।
41	पैरा–25 (एए से आई आई)	आंशिक निर्णीत	(पैरा–25 (एए से आईआई) के पैरा संख्या 25 (एए) (4) 25 (एए)(6) 25 (एए)(7), 25 (बीबी)(ii), 25 (सी सी (iii), 25 (ई ई) (iii) 25 (जीजी) (iii) 25 (एचएच) (5) उप निदेशक महोदय स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.2013 के पत्र संख्या 1– 548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–5648, दिनांक 30.8.2013 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया
42	पैरा–25 (क–i) से (iv)	अनिर्णीत	
43	पैरा–26 (ङ)(V) तथा (vi)	अनिर्णीत	
44	पैरा–26 (च) (ii)	अनिर्णीत	
45	पैरा–26 (च) (iii) से (v)	अनिर्णीत	
46	पैरा–27 (क) (i) से (iv)	अनिर्णीत	
47	पैरा–27 (ख) (i) से (iii)	अनिर्णीत	
48	पैरा–27 (ग) (i) से (iii)	अनिर्णीत	
49	पैरा–27 (घ) (1 से 17)	अनिर्णीत	
50	पैरा–27 (ङ) (i) से (iii)	अनिर्णीत	
51	पैरा–27 (च) (i) से (viii)	अनिर्णीत	
52	पैरा–27 (छ) (i) से (iii)	अनिर्णीत	
53	पैरा–27 (ज) (2 से 4)	अनिर्णीत	
54	पैरा–27 (झ) (i) से (iv)	अनिर्णीत	
55	पैरा–27 (ञ) से (ज्ञ)	अनिर्णीत	
56	पैरा–27 (क, क) से (ग, ग)	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण 4/1993 से 3/1999 तक की आय का विस्तृत अंकेक्षण प्रतिवेदन

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–7	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–12	अनिर्णीत
12	पैरा–13	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (घ)	अनिर्णीत
17	पैरा–15	अनिर्णीत
18	पैरा–16	अनिर्णीत
19	पैरा–17	अनिर्णीत
20	पैरा–18	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1999 से 3/2002

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (क) (1 से 3)	अनिर्णीत

5	पैरा–5 (ख से च)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
11	पैरा–11 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	
14	पैरा–12 (ख)	अनिर्णीत	
15	पैरा–12 (घ) तथा (ङ)	अनिर्णीत	
16	पैरा–12 (ज)	अनिर्णीत	
17	पैरा–12 (ञ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–12 (प)	अनिर्णीत	
19	पैरा–12 (फ)	अनिर्णीत	
20	पैरा–12 (ब से म) तक	अनिर्णीत	
21	पैरा–12 (द) तथा (ध)	अनिर्णीत	
22	पैरा–14	अनिर्णीत	
23	पैरा–15 (1 से 16)	अनिर्णीत	
24	पैरा–15 (क से ज्ञ)	आंशिक निर्णीत	i) पैंरा–15 (क से ज्ञ) के पैरा संख्या 15 (क) (2) (3), 15 (ख) (2) (3), 15 (च) (3) व (4), 15 (छ) (2) (3), 15 (झ) (3), 15 (ञ) (4) 15 (प) (2), 15 (फ) (1, 2, 3), 15 (व) (2)(3) 15 (ज) 15 (द) (4)15 (घ) (4), 15 (ट) (2), 15 (र) (3) 15 (ह)15 (ज) (i) उप निदेशक महोदय, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा दिनांक 22.8.2013 के पत्र संख्या 1–

			548/2011–फिन (एल0ए0) खण्ड–1–5648, दिनांक 30.8.2013 द्वारा स्थल पर ही निर्णीत किया गया। ii) पैरा संख्या 15 (क्ष) निर्णीत ₹1539 रसीद संख्या 438/88, दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए।
25	पैरा–15 (क,क से प,प)	अनिर्णीत	
26	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
27	पैरा–17 (ग) से (ञ) तक	अनिर्णीत	
28	पैरा–18	अनिर्णीत	
29	पैरा–19 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
30	पैरा–19 (ङ) तथा (च)	अनिर्णीत	
31	पैरा–20	अनिर्णीत	

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2007

1	पैरा–2 (ङ)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (च)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–2 (ज)	अनिर्णीत
5	पैरा–3 (क) (1)	अनिर्णीत
6	पैरा–3 (क) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–3 (क) (3)	अनिर्णीत
8	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (ख) (1)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (ख) (2)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (ख) (3)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (ख) (4)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (ख) (5)	अनिर्णीत

14	पैरा–4 (ख) (6)	अनिर्णीत	
15	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	
16	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत	
18	पैरा–4 (ङ) (1)	अनिर्णीत	
19	पैरा–4 (ङ) (2)	अनिर्णीत	
20	पैरा–4 (ङ) (3)	अनिर्णीत	
21	पैरा–4 (ङ) (4)	अनिर्णीत	
22	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत	
23	पैरा–4 (छ)	अनिर्णीत	
24	पैरा–4 (ज)	अनिर्णीत	
25	पैरा–4 (झ)	अनिर्णीत	
26	पैरा–4 (ञ)	अनिर्णीत	
27	पैरा–4 (ट)	अनिर्णीत	
28	पैरा–4 (ठ)	अनिर्णीत	
29	पैरा–4 (ड)	अनिर्णीत	
30	पैरा–4 (ढ)	अनिर्णीत	
31	पैरा–4 (ण)	अनिर्णीत	
32	पैरा–4 (न) (ध) (ण)	अनिर्णीत	
33	पैरा–4 (त)	आंशिक निर्णीत	(₹36248 में से मार्च 2010 तक ₹7070 की वसूली सम्बन्धित महिलाओं से की गई थी तथा एक महिला से ₹100 प्रतिमाह की दर से वसूली जारी है)
34	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत	
35	पैरा–5 (ग)	आंशिक निर्णीत	(इस पैरा में केवल श्रीमती सोमती देवी की वसूली शेष करनी बकाया में है। इसके इलावा सबसे वसूली की पुष्टि लेखा परीक्षा के दौरान करने पर)

36	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत	
37	पैरा–6 (क) (1)	अनिर्णीत	
38	पैरा–6 (क) (2)	अनिर्णीत	
39	पैरा–6 (क) (3)	अनिर्णीत	
40	पैरा–6 (क) (4)	अनिर्णीत	
41	पैरा–6 (क) (5)	अनिर्णीत	
42	पैरा–6 (क) (6)	अनिर्णीत	
43	पैरा–6 (ख)	आंशिक निर्णीत	(क्योंकि ₹43125 में से ₹39763 की वसूली की जा चुकी है। शेष ₹3362 की वसूली शीघ्र की जाए)
44	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत	
45	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत	
46	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत	
47	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत	
48	पैरा–6 (ज)	अनिर्णीत	
49	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत	
50	पैरा–6 (ञ)	अनिर्णीत	
51	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत	
52	पैरा–6 (ड)	अनिर्णीत	
53	पैरा–7 (1) से (2)	अनिर्णीत	
54	पैरा–7 (1) (क)	अनिर्णीत	
55	पैरा–7 (1) (ख)	अनिर्णीत	
56	पैरा–7 (1) (ग)	अनिर्णीत	
57	पैरा–7 (1) (घ)	अनिर्णीत	
58	पैरा–7 (1) (छ) (i)	अनिर्णीत	
59	पैरा–7 (1) (छ) (ii)	अनिर्णीत	

60	पैरा–7 (1) (छ) (iii)	अनिर्णीत	
61	पैरा–7 (1) (छ) (iv)	अनिर्णीत	
62	पैरा–7 (1) (ज)	अनिर्णीत	
63	पैरा–7 (1) (झ)	अनिर्णीत	
64	पैरा–7 (1) (ञ)	अनिर्णीत	
65	पैरा–7 (1) (ट) (1 से 8)	अनिर्णीत	
66	पैरा–7 (1) (ठ) (I to X)	अनिर्णीत	
67	पैरा–7 (1) (ङ) (1 से 6)	अनिर्णीत	
68	पैरा–7 (1) (ढ) (1 से 5)	अनिर्णीत	
69	पैरा–7 (1) (ण) (I से V)	अनिर्णीत	
70	पैरा–7 (1) (थ)	अनिर्णीत	
71	पैरा–7 (1) (द) (i से iii)	अनिर्णीत	
72	पैरा–7 (1) (ध) (i से ii)	आंशिक निर्णीत	(आंशिक रूप से निर्णीत ₹2824 रसीद संख्या 438 (88) दिनांक 27.9.2013 द्वारा जमा किए गए आंशिक रूप से निर्णीत पैरा संख्या 7 (1) (ब) (i) निर्णीत)
73	पैरा–7(1) (भ) (i तथा iv)	अनिर्णीत	
74	पैरा–7(1) (म) (i तथा iv)	अनिर्णीत	
75	पैरा–7 (1) (र)	अनिर्णीत	
76	पैरा–7 (1) (ल)	अनिर्णीत	
77	पैरा–7 (1) (व) (i तथा iii)	अनिर्णीत	
78	पैरा–7 (1) (श) (1 से 5)	अनिर्णीत	
79	पैरा–7 (1) (ष)	अनिर्णीत	
80	पैरा–7 (1) (स)	अनिर्णीत	
81	पैरा–7 (1) (ह)	अनिर्णीत	

82	पैरा–7 (1) (क्ष)	अनिर्णीत
83	पैरा–7 (1) (त्र)	अनिर्णीत
84	पैरा–7 (1) (ज्ञ) (i तथा ii)	अनिर्णीत
85	पैरा–8 (i)	अनिर्णीत
86	पैरा–8 (ii)	अनिर्णीत
87	पैरा–8 (iii)	अनिर्णीत
88	पैरा–8 (2) (ख)	अनिर्णीत
89	पैरा–8 (2) (ग)	अनिर्णीत
90	पैरा–8 (2) (घ)	अनिर्णीत
91	पैरा–8 (2) (ङ)	अनिर्णीत
92	पैरा–8 (2) (च)	अनिर्णीत
93	पैरा–8 (2) (छ)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–2 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–2 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–2 (ग)	अनिर्णीत
4	पैरा–2 (घ)	अनिर्णीत
5	पैरा–2 (ङ)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (क) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (क) (3)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (ख)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (ज)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (झ)	अनिर्णीत

14	पैरा–4 (ञ)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (ट)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (ठ)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (ड)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (ढ) (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (ढ) (3)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (ढ) (4)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (ढ) (5)	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (ढ) (6)	अनिर्णीत
23	पैरा–4 (ढ) (7)	अनिर्णीत
24	पैरा–4 (ण)	अनिर्णीत
25	पैरा–4 (त)	अनिर्णीत
26	पैरा–4 (थ)	अनिर्णीत
27	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
28	पैरा–5 (च)	अनिर्णीत
29	पैरा–5 (छ)	अनिर्णीत
30	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
31	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (छ) (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (छ) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (ञ)	अनिर्णीत

40	पैरा–6 (ट)	अनिर्णीत
41	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (ड) (1)	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (ड) (2)	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (ड) (3)	अनिर्णीत
45	पैरा–6 (ढ)	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (ण)	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (त) (1)	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (त) (2)	अनिर्णीत
49	पैरा–6 (त) (3)	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (थ) (1)	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (थ) (2)	अनिर्णीत
52	पैरा–6 (थ) (3)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (द)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (ध)	अनिर्णीत
55	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
56	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
57	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
58	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
59	पैरा–7 (ङ) (1)	अनिर्णीत
60	पैरा–7 (ङ) (2)	अनिर्णीत
61	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत
62	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
63	पैरा–7 (ज) (1)	अनिर्णीत
64	पैरा–7 (ज) (2)	अनिर्णीत
65	पैरा–7 (ज) (3)	अनिर्णीत

66	पैरा–7 (झ)	अनिर्णीत	
67	पैरा–7 (ण)	अनिर्णीत	
68	पैरा–7 (त)	अनिर्णीत	
69	पैरा–7 (थ)	अनिर्णीत	
70	पैरा–7 (द)	अनिर्णीत	
71	पैरा–7 (ध)	अनिर्णीत	
72	पैरा–7 (न)	अनिर्णीत	
73	पैरा–7 (प)	अनिर्णीत	
74	पैरा–7 (फ)	अनिर्णीत	
75	पैरा–7 (ब)	अनिर्णीत	
76	पैरा–7 (भ)	अनिर्णीत	
77	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
78	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
79	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत	
80	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत	
81	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत	
82	पैरा–9	अनिर्णीत	
83	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
84	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
85	पैरा–11	अनिर्णीत	
86	पैरा–12	अनिर्णीत	
87	पैरा–13	अनिर्णीत	

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा–4 (ख)	आंशिक निर्णीत	(आंशिक रूप से निर्णीत (केवल एफडीआर) संख्या पीएस 1820 ₹25 पर प्राप्त ब्याज की पुष्टि नहीं करवाई गई)
2	पैरा–4 (ग)	अनिर्णीत	

3	पैरा–4 (घ)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ङ)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (च)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (छ) (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (छ) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–5 (क) (1)	अनिर्णीत
9	पैरा–5 (क) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–5 (ख) (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–5 (ख) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
14	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
15	पैरा–6 (च)	अनिर्णीत
16	पैरा–6 (छ)	अनिर्णीत
17	पैरा–6 (झ)	अनिर्णीत
18	पैरा–6 (ञ) (1)	अनिर्णीत
19	पैरा–6 (ञ) (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–6 (ट)	अनिर्णीत
21	पैरा–6 (ठ)	अनिर्णीत
22	पैरा–6 (ड)	अनिर्णीत
23	पैरा–6 (ढ)	अनिर्णीत
24	पैरा–6 (त)	अनिर्णीत
25	पैरा–6 (थ) (1)	अनिर्णीत
26	पैरा–6 (थ) (2)	अनिर्णीत
27	पैरा–6 (थ) (3)	अनिर्णीत
28	पैरा–6 (द)	अनिर्णीत

29	पैरा–6 (ध)	अनिर्णीत
30	पैरा–6 (न)	अनिर्णीत
31	पैरा–6 (प)	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (फ)	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (म)	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (य)	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (र)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (ल) (1)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (ल) (2)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (व)	अनिर्णीत
39	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत
40	पैरा–7 (छ)	अनिर्णीत
41	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत
42	पैरा–7 (ञ)	अनिर्णीत
43	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
44	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
45	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
46	पैरा–8 (घ)	अनिर्णीत
47	पैरा–8 (ङ)	अनिर्णीत
48	पैरा–8 (छ)	अनिर्णीत
49	पैरा–8 (ज)	अनिर्णीत
50	पैरा–8 (झ)	अनिर्णीत
51	पैरा–8 (ञ)	अनिर्णीत
52	पैरा–8 (ट) तथा (ठ)	अनिर्णीत
53	पैरा–8 (ड)	अनिर्णीत
54	पैरा–8 (ढ)	अनिर्णीत

55	पैरा–8 (ण)	अनिर्णीत
56	पैरा–8 (त)	अनिर्णीत
57	पैरा–8 (थ)	अनिर्णीत
58	पैरा–8 (द)	अनिर्णीत
59	पैरा–8 (ध)	अनिर्णीत
60	पैरा–8 (न)	अनिर्णीत
61	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत
62	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत
63	पैरा–9 (ग) (i)	अनिर्णीत
64	पैरा–9 (ग) (ii)	अनिर्णीत
65	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत
66	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत
67	पैरा–9 (च)	अनिर्णीत
68	पैरा–9 (छ)	अनिर्णीत
69	पैरा–9 (ज)	अनिर्णीत
70	पैरा–9 (झ) (i) व (ii)	अनिर्णीत
71	पैरा–9 (ण)	अनिर्णीत
72	पैरा–9 (त)	अनिर्णीत
73	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत
74	पैरा–10 (ख) (i)	अनिर्णीत
75	पैरा–10 (ख) (ii)	अनिर्णीत
76	पैरा–10 (ख) (iii)	अनिर्णीत
77	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013

1	पैरा–4 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत

3	पैरा—7	अनिर्णीत
4	पैरा—8	अनिर्णीत
5	पैरा—9 (क) (3) (4)	अनिर्णीत
6	पैरा—9 (ख) (1) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा—14	अनिर्णीत
8	पैरा—15	अनिर्णीत
9	पैरा—20	अनिर्णीत
10	पैरा—21	अनिर्णीत
11	पैरा—24	अनिर्णीत
12	पैरा—25	अनिर्णीत
13	पैरा—26	अनिर्णीत
14	पैरा—28	अनिर्णीत
15	पैरा—29	अनिर्णीत
16	पैरा—30	अनिर्णीत
17	पैरा—35	अनिर्णीत
18	पैरा—36	अनिर्णीत
19	पैरा—38	अनिर्णीत
20	पैरा—39	अनिर्णीत
21	पैरा—40	अनिर्णीत
22	पैरा—42	अनिर्णीत
23	पैरा—44	अनिर्णीत
24	पैरा—45	अनिर्णीत
25	पैरा—47	अनिर्णीत
26	पैरा—50	अनिर्णीत
27	पैरा—51	अनिर्णीत
28	पैरा—52	अनिर्णीत

29	पैरा–53	अनिर्णीत
30	पैरा–54	अनिर्णीत
31	पैरा–58	अनिर्णीत
32	पैरा–59	अनिर्णीत
33	पैरा–60	अनिर्णीत
34	पैरा–61	अनिर्णीत
35	पैरा–62	अनिर्णीत
36	पैरा–64	अनिर्णीत
37	पैरा–65	अनिर्णीत
38	पैरा–68	अनिर्णीत
39	पैरा–70	अनिर्णीत
40	पैरा–71	अनिर्णीत
41	पैरा–72	अनिर्णीत
42	पैरा–73	अनिर्णीत
43	पैरा–74	अनिर्णीत
44	पैरा–75	अनिर्णीत
45	पैरा–76	अनिर्णीत
46	पैरा–77	अनिर्णीत
47	पैरा–78	अनिर्णीत
48	पैरा–79	अनिर्णीत
49	पैरा–80	अनिर्णीत
50	पैरा–81	अनिर्णीत
51	पैरा–82	अनिर्णीत
52	पैरा–83	अनिर्णीत
53	पैरा–84	अनिर्णीत
54	पैरा–85	अनिर्णीत

55	पैरा—86	अनिर्णीत
56	पैरा—87	अनिर्णीत
57	पैरा—88	अनिर्णीत
58	पैरा—90	अनिर्णीत
59	पैरा—91	अनिर्णीत
60	पैरा—92	अनिर्णीत
61	पैरा—93	अनिर्णीत
62	पैरा—94	अनिर्णीत
63	पैरा—95	अनिर्णीत
64	पैरा—96	अनिर्णीत
65	पैरा—97	अनिर्णीत
66	पैरा—98	अनिर्णीत
67	पैरा—99	अनिर्णीत
68	पैरा—100	अनिर्णीत
69	पैरा—101	अनिर्णीत
70	पैरा—102	अनिर्णीत
71	पैरा—103	अनिर्णीत
72	पैरा—104	अनिर्णीत
73	पैरा—105	अनिर्णीत
74	पैरा—106	अनिर्णीत
75	पैरा—107	अनिर्णीत
76	पैरा—108	अनिर्णीत
77	पैरा—109	अनिर्णीत
78	पैरा—110	अनिर्णीत
79	पैरा—111	अनिर्णीत
80	पैरा—112	अनिर्णीत

81	पैरा—113	अनिर्णीत
82	पैरा—114	अनिर्णीत
83	पैरा—115	अनिर्णीत
84	पैरा—116	अनिर्णीत
85	पैरा—117	अनिर्णीत
86	पैरा—118	अनिर्णीत

(य) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2013 से 3/2015

1	पैरा—4 (3) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (3) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (3) (3)	अनिर्णीत
4	पैरा—4 (3) (4)	अनिर्णीत
5	पैरा—4 (3) (5)	अनिर्णीत
6	पैरा—4 (3) (6)	अनिर्णीत
7	पैरा—4 (3) (7)	अनिर्णीत
8	पैरा—4 (3) (8)	अनिर्णीत
9	पैरा—4 (3) (9)	अनिर्णीत
10	पैरा—5	अनिर्णीत
11	पैरा—6	अनिर्णीत
12	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा—6 (1) (1)	अनिर्णीत
14	पैरा—6 (1) (2)	अनिर्णीत
15	पैरा—6 (1) (3)	अनिर्णीत
16	पैरा—6 (1) (4)	अनिर्णीत
17	पैरा—6 (1) (5)	अनिर्णीत
18	पैरा—6 (1) (6)	अनिर्णीत
19	पैरा—6 (1) (8)	अनिर्णीत

20	पैरा–6 (1) (9)	अनिर्णीत	
21	पैरा–8	अनिर्णीत	
22	पैरा–9 (1) (2)	अनिर्णीत	
23	पैरा–12	अनिर्णीत	
24	पैरा–14	अनिर्णीत	
25	पैरा–15	अनिर्णीत	
26	पैरा–16	अनिर्णीत	
27	पैरा–17	अनिर्णीत	
28	पैरा–19 (क) व (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा–20	अनिर्णीत	
30	पैरा–21	अनिर्णीत	
31	पैरा–22	अनिर्णीत	
32	पैरा–24	अनिर्णीत	
33	पैरा–25	अनिर्णीत	
34	पैरा–25.1 से 25.5	अनिर्णीत	
35	पैरा–26	अनिर्णीत	
36	पैरा–26.1	अनिर्णीत	
37	पैरा–27	अनिर्णीत	
38	पैरा–28	अनिर्णीत	
39	पैरा–29	अनिर्णीत	
40	पैरा–30	अनिर्णीत	
41	पैरा–30.1 से 30.4	अनिर्णीत	
42	पैरा–31	अनिर्णीत	
43	पैरा–32	निर्णीत	(₹1175 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 584 / 072 दिनांक 14.10.2021 द्वारा)
44	पैरा–33	अनिर्णीत	

45	पैरा–34	अनिर्णीत	
46	पैरा–35	अनिर्णीत	
47	पैरा–36	अनिर्णीत	
48	पैरा–37	निर्णीत	(₹1542 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 584/073 दिनांक 14.10.2021 द्वारा)
49	पैरा–38	निर्णीत	(₹1440 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 584/074 दिनांक 14.10.2021 द्वारा)
50	पैरा–39	निर्णीत	(₹802 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 584/075 दिनांक 14.10.2021 द्वारा)
51	पैरा–40	अनिर्णीत	
52	पैरा–41	अनिर्णीत	
53	पैरा–42	अनिर्णीत	
54	पैरा–43	अनिर्णीत	
55	पैरा–44	अनिर्णीत	

(र) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2017

1	पैरा–4 (3) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (3) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (3) (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (3) (5)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (3) (6)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (3) (7)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (3) (8)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (3) (9)	अनिर्णीत
9	पैरा–5	अनिर्णीत
10	पैरा–6	अनिर्णीत
11	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत

12	पैरा—6 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा—6 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा—6 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा—7.2	अनिर्णीत
16	पैरा—9	अनिर्णीत
17	पैरा—11 (ii)	अनिर्णीत
18	पैरा—11 (iii)	अनिर्णीत
19	पैरा—11 (iv)	अनिर्णीत
20	पैरा—13	अनिर्णीत
21	पैरा—16 (2)	अनिर्णीत
22	पैरा—16 (3)	अनिर्णीत
23	पैरा—16 (4)	अनिर्णीत
24	पैरा—19 (i)	अनिर्णीत
25	पैरा—19 (ii)	अनिर्णीत
26	पैरा—19 (iii)	अनिर्णीत
27	पैरा—20 (i से iv)	अनिर्णीत
28	पैरा—21 (i ii)	अनिर्णीत
29	पैरा—22	अनिर्णीत
30	पैरा—23	अनिर्णीत
31	पैरा—24 (ii)	अनिर्णीत
32	पैरा—25	अनिर्णीत
33	पैरा—26	अनिर्णीत
34	पैरा—27	अनिर्णीत
35	पैरा—29 (क)	अनिर्णीत
36	पैरा—29 (ख) (1, 2)	अनिर्णीत
37	पैरा—30	अनिर्णीत

38	पैरा–31 (क)	निर्णीत	(₹2300 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 570 / 075 दिनांक 18.8. 2021 द्वारा)
39	पैरा–31 (ख)	अनिर्णीत	
40	पैरा–31 (ग) (1)	निर्णीत	(₹503 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 570 / 076 दिनांक 18.8. 2021 द्वारा)
41	पैरा–31 (ग) (2)	अनिर्णीत	
42	पैरा–31 (घ)	अनिर्णीत	
43	पैरा–31 (ङ) (1)	निर्णीत	(₹990 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 570 / 077 दिनांक 18.8. 2021 द्वारा)
44	पैरा–31 (ङ) (2)	निर्णीत	(₹1250 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 570 / 078 दिनांक 18.8. 2021 द्वारा)
45	पैरा–31 (च)	निर्णीत	(₹616 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 570 / 079 दिनांक 18.8. 2021 द्वारा)
46	पैरा–31 (छ) (क से 2)	निर्णीत	(₹831 की वसूली उपरान्त रसीद संख्या 570 / 080 दिनांक 18.8. 2021 द्वारा)
47	पैरा–31 (छ) (3)	अनिर्णीत	
48	पैरा–31 (ज)	अनिर्णीत	
49	पैरा–31 (झ)	अनिर्णीत	
50	पैरा–31 (ञ)	अनिर्णीत	
51	पैरा–31 (ट)	अनिर्णीत	
52	पैरा–32	अनिर्णीत	
53	पैरा–33 (1, 2)	अनिर्णीत	
54	पैरा–34 (क) (i से	अनिर्णीत	

	ix)	
55	पैरा—34 (ख) (i से viii)	अनिर्णीत
56	पैरा—35	अनिर्णीत
57	पैरा—36 (i से iv)	अनिर्णीत
58	पैरा—37 (1 से 7)	अनिर्णीत
59	पैरा—38	अनिर्णीत
60	पैरा—39	अनिर्णीत
61	पैरा—40	अनिर्णीत
62	पैरा—41	अनिर्णीत
63	पैरा—42 (1 से 3)	अनिर्णीत
64	पैरा—43	अनिर्णीत
65	पैरा—44	अनिर्णीत
66	पैरा—45	अनिर्णीत

(ल) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 3/20121

1	पैरा—3	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
2	पैरा—4 (क, ख, ग, घ (1), (2) (i, ii, iii, iv, v, v, vi, vii, viii, ix, ग) घ (4, 5, 6)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
3	पैरा—4 (ङ)	अनिर्णीत	
4	पैरा—5 (i, iii, iv, v)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
5	पैरा—5 (ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा—6 (ग, घ, ङ)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
7	पैरा—6 (क, ख, च)	अनिर्णीत	
8	पैरा—7	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
9	पैरा—8 (क, ङ)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)

10	पैरा–8 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–9 (क, ग, ङ)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
12	पैरा–9 (ख, घ, च)	अनिर्णीत	
13	पैरा–10 (i)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवई उपरान्त)
14	पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा–10 (iii)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
16	पैरा–11	निर्णीत एवं पैरा पुनः प्रारूपित किया गया	(पैरा पुनः प्रारूपित किए गए)
17	पैरा–12 (क, ख, ग)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
18	पैरा–13 (ख) (i)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
19	पैरा–13 (क, ख) (ii), (iii), (ग) (घ)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
20	पैरा–14 (क)	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)
21	पैरा–14 (ख) (i, ii, iii) (ग)	अनिर्णीत	
22	पैरा–15 (क, ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा–16	अनिर्णीत	
24	पैरा–17	अनिर्णीत	
25	पैरा–18 (क) (i, ii, iii) (ख) (i, ii)	अनिर्णीत	
26	पैरा–19	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
27	पैरा–20 (क)	निर्णीत	(₹450 रसीद संख्या 584/71 दिनांक 14.10.21 द्वारा जमा की पुष्टि के उपरान्त)
28	पैरा–20 (ख)	अनिर्णीत	
29	पैरा–21	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)

30	पैरा—22	अनिर्णीत	
31	पैरा—23, 24	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
32	पैरा—24 (i)	अनिर्णीत	
33	पैरा—25	अनिर्णीत	
34	पैरा—26	अनिर्णीत	
35	पैरा—27	अनिर्णीत	
36	पैरा—28(क)(i, ii, iii, iv) (i, ii, iii)	अनिर्णीत	
37	पैरा—29	अनिर्णीत	
38	पैरा—30	अनिर्णीत	
39	पैरा—31	निर्णीत	(अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त)
40	पैरा—32	अनिर्णीत	
41	पैरा—33	अनिर्णीत	
42	पैरा—34	अनिर्णीत	
43	पैरा—35	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
44	पैरा—36(क, ख, घ)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किया गया)
45	पैरा—36 (ग, ङ)	अनिर्णीत	
46	पैरा—37 (क) (i, ii, iii, iv, v, vi) (ख, ग) (i, ii) (घ) (i, ii) (ङ) (i, ii, iii, iv, v)	अनिर्णीत	
47	पैरा—38(i, ii, iii, iv, v, vi, vii)	अनिर्णीत	
48	पैरा—39(i, ii, iii)	अनिर्णीत	
49	पैरा—40	अनिर्णीत	
50	पैरा—41	अनिर्णीत	
51	पैरा—42(i, ii)	अनिर्णीत	
52	पैरा—43	अनिर्णीत	
53	पैरा—44	अनिर्णीत	

54	पैरा–45	अनिर्णीत	
55	पैरा–46	अनिर्णीत	
56	पैरा–47	अनिर्णीत	
57	पैरा–48	अनिर्णीत	
58	पैरा–49	अनिर्णीत	
59	पैरा–50	अनिर्णीत	
60	पैरा–51	अनिर्णीत	
61	पैरा–52	अनिर्णीत	
62	पैरा–53	अनिर्णीत	
63	पैरा–54	अनिर्णीत	
64	पैरा–55	अनिर्णीत	
65	पैरा–56 (क,ख, ग)	अनिर्णीत	
66	पैरा–57 (i)	निर्णीत	(पैरा पुनः प्रारूपित किए गए)
67	पैरा–57(ii, iii, iv, v, vi)	निर्णीत	
68	पैरा–58, 59, 60, 61	निर्णीत	(पैरे पुनः प्रारूपित किए गए)

अनिर्णीत पैरो का सार

अवधि को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	833
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	(+) 59
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 33
अन्तशेष	859